



विनियोग लेखे

APPROPRIATION ACCOUNTS

2019-20



सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

विनियोग लेखे
APPROPRIATION ACCOUNTS

2019-20

विषय-सूची

	पृष्ठ संख्या
प्रस्तावना	(i)
विनियोग लेखों का सारांश 2019-20	(ii) – (vii)
लेखा परीक्षा प्रमाण-पत्र	(viii) – (ix)

विनियोग लेखे

1. अनुदान संख्या 1 – विधान सभा	1
2. अनुदान संख्या 2 – सामान्य प्रशासन	2
3. अनुदान संख्या 3 – न्याय प्रशासन	7
4. अनुदान संख्या 4 – वित्त	12
5. अनुदान संख्या 5 – गृह	17
6. अनुदान संख्या 6 – शिक्षा	21
7. अनुदान संख्या 7 – चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	37
8. अनुदान संख्या 8 – समाज कल्याण	52
9. अनुदान संख्या 9 – उद्योग	67
10. अनुदान संख्या 10 – विकास	71
11. अनुदान संख्या 11– शहरी विकास तथा लोक निर्माण	88
12. अनुदान संख्या 12– सरकारी कर्मचारियों को ऋण	109
13. अनुदान संख्या 13– पेंशन	110
14. अनुदान संख्या 14– आकस्मिक निधि के अर्न्तगत विनियोजन	111
15. अनुदान संख्या 15– सार्वजनिक ऋण	112
16. अनुबन्ध 'क'	114

प्रस्तावना

इस संकलन में, 2019-20 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा खर्च की गई राशियों के विनियोग लेखे, जिनकी तुलना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली अधिनियम 1991 की धारा 29 एवं 30 के अन्तर्गत विनियोग के साथ लगी अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट अनेक राशियों से की गई हैं । इन लेखों में :-

“मू.” का तात्पर्य मूल अनुदान या विनियोग से है ।

“पू.” का तात्पर्य पूरक अनुदान या विनियोग से है ।

“पु.” का तात्पर्य सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत किये गये पुनर्विनियोगों, निकासियों अथवा अभ्यर्पण से है ।

प्रभारित विनियोगों और व्यय को रेखांकित किया गया है ।

विनियोग लेखों का सार

SUMMARY OF APPROPRIATION ACCOUNTS

2019-20

वर्ष 2019-20 के विनियोग लेखों का सार
SUMMARY OF APPROPRIATION ACCOUNTS 2019-20

अनुदान या विनियोग की संख्या No. & Name of Grant or Appropriation			अनुदान या विनियोग की राशि Amount of Grant or Appropriation		व्यय Expenditure		बचत Savings		अधिक व्यय Excess	
			राजस्व Revenue	पूंजीगत Capital	राजस्व Revenue	पूंजीगत Capital	राजस्व Revenue	पूंजीगत Capital	राजस्व Revenue	पूंजीगत Capital
(In thousand of rupees)										
1-विधान सभा	प्रभारित	Charged	8500	0	5723	0	-2777	0	0	0
Legislative Assembly	स्वीकृत	Voted	569200	0	288226	0	-280974	0	0	0
2-सामान्य प्रशासन	प्रभारित	Charged	157750	0	137604	0	-20146	0	0	0
General Administration	स्वीकृत	Voted	9870675	0	7357421	0	-2513254	0	0	0
3-न्याय प्रशासन	प्रभारित	Charged	3316400	0	2943217	0	-373183	0	0	0
Admn. of Justice	स्वीकृत	Voted	13922800	310000	10862679	80000	-3060121	-230000	0	0
4-वित्त	प्रभारित	Charged	1360	0	405	0	-955	0	0	0
Finance	स्वीकृत	Voted	3640852	1027848	2453702	29801	-1187150	-998047	0	0
5-गृह	प्रभारित	Charged	6000	0	3444	0	-2556	0	0	0
Home	स्वीकृत	Voted	7756300	438000	7107879	86545	-648421	-351455	0	0

अनुदान या विनियोग की संख्या No. & Name of Grant or Appropriation			अनुदान या विनियोग की राशि Amount of Grant or Appropriation		व्यय Expenditure		बचत Savings		अधिक व्यय Excess	
			राजस्व Revenue	पूंजीगत Capital	राजस्व Revenue	पूंजीगत Capital	राजस्व Revenue	पूंजीगत Capital	राजस्व Revenue	पूंजीगत Capital
(In thousand of rupees)										
6— शिक्षा	प्रभारित	<u>Charged</u>	<u>6500</u>	<u>0</u>	<u>233</u>	<u>0</u>	<u>-6267</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Education	स्वीकृत	Voted	134925200	3920800	106269808	1280496	-28655392	-2640304	0	0
7— चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	प्रभारित	<u>Charged</u>	<u>121378</u>	<u>19392</u>	<u>24866</u>	<u>19336</u>	<u>-96512</u>	<u>-56</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Medical & Public Health	स्वीकृत	Voted	62696000	3022253	52319518	1094065	-10376482	-1928188	0	0
8— समाज कल्याण	प्रभारित	<u>Charged</u>	<u>400</u>	<u>0</u>	<u>143</u>	<u>0</u>	<u>-257</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Social Welfare	स्वीकृत	Voted	72893490	19381850	66129122	15176791	-6764368	-4205059	0	0
9— उद्योग	प्रभारित	<u>Charged</u>	<u>1350</u>	<u>0</u>	<u>50</u>	<u>0</u>	<u>-1300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Industries	स्वीकृत	Voted	4524100	22200	2044844	1902	-2479256	-20298	0	0
10—विकास	प्रभारित	<u>Charged</u>	<u>3270</u>	<u>10000</u>	<u>243</u>	<u>4322</u>	<u>-3027</u>	<u>-5678</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Development	स्वीकृत	Voted	32381955	7166600	26276036	4430041	-6105919	-2736559	0	0

अनुदान या विनियोग की संख्या No. & Name of Grant or Appropriation			अनुदान या विनियोग की राशि Amount of Grant or Appropriation		व्यय Expenditure		बचत Savings		अधिक व्यय Excess	
			राजस्व Revenue	पूंजीगत Capital	राजस्व Revenue	पूंजीगत Capital	राजस्व Revenue	पूंजीगत Capital	राजस्व Revenue	पूंजीगत Capital
(In thousand of rupees)										
11—शहरी विकास एवं लोक निर्माण विभाग Urban Development & PWD	प्रभारित स्वीकृत	Charged Voted	3369 94072600	0 99249800	1867 87593507	0 65415925	-1502 -6479093	0 -33833875	0 0	0 0
12—सरकारी कर्मचारियों को ऋण Loans to Govt. Servants	स्वीकृत	Voted	0	15000	0	5508	0 -9492		0	0
13—पेंशन Pensions	स्वीकृत	Voted	1250000	0	25298	0	-1224702	0	0	0
14—आकस्मिक निधि के अर्न्तगत विनियोजन Appropriation to the Contingency Fund	स्वीकृत	Voted	0	0	0	0	0 0		0	0
15—सार्वजनिक ऋण Public Debt	प्रभारित	Charged	31782700	33311000	27518709	28111012	-4263991	-5199988	0	0
योग Total	प्रभारित स्वीकृत	Charged Voted	35408977 438503172	33340392 134554351	30636504 368728040	28134670 87601074	-4772473 -69775132	-5205722 -46953277	0 0	0 0

विनियोग लेखों का सार (जारी)

चूंकि अनुदान और विनियोग की कुल आवश्यक राशियों के लिए उनके सामने दर्शाये गये आंकड़े वसूलियों में शामिल नहीं हैं, जिन्हें व्यय में से घटा कर समायोजित किया जाता है, निवल व्यय के आंकड़े वित्त लेखों में दिखाये गये हैं ।

2019-20 के विनियोग लेखों एवं वित्त लेखों के अनुसार कुल व्यय का मिलान निम्न प्रकार से दर्शाया गया है :-

	राजस्व	पूंजीगत	कुल
	(हजार रुपयों में)		
<u>प्रभारित :-</u>			
विनियोग लेखों के अनुसार कुल खर्च	3063,65,04	2813,46,70	5877,11,74
घटायें—परिशिष्ट 'क' में दिखाई गई कुल वसूलियां	6,71	0	6,71
वित्त लेखों की विवरणी संख्या — 8 में दिखाया गया कुल निवल व्यय	3063,58,33	2813,46,70	5877,05,03
<u>स्वीकृत :-</u>			
विनियोग लेखों के अनुसार कुल खर्च	36872,80,40	8760,10,74	45632,91,14
घटायें—परिशिष्ट 'क' में दिखाई गई कुल वसूलियां	29,93,693	24,33,70	323,70,63
वित्त लेखों की विवरणी संख्या — 8 में दिखाया गया कुल निवल व्यय	36573,43,47	8735,77,04	45309,20,51

विनियोग लेखों का सार (समापन)

मैं, अपनी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार प्रमाणित करता हूं कि वर्ष 2019-20 के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के विनियोग लेखों में शामिल कुल व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया गया है ।



(लीला धर जोशी)

लेखा नियन्त्रक

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

नई दिल्ली 09 JUL 2021
दिनांक.....

प्रतिहस्ताक्षरित



(संदीप कुमार)

सचिव (वित्त)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

नई दिल्ली 12 JUL 2021
दिनांक.....

विनियोग लेखे पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रमाण-पत्र

इस संकलन में 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के विनियोग लेखे समाहित हैं, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 की धारा 29 एवं 30 के अंतर्गत पारित विनियोग अधिनियमों के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट राशियों की तुलना में वर्ष में व्यय की गई राशियों के लेखे प्रस्तुत करता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के वित्त लेखे जो सरकार की इस वर्ष की वित्तीय स्थिति तथा प्राप्तियों और संवितरणों को प्रस्तुत करते हैं, को एक अलग संकलन के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

विनियोग लेखे, जिनको तैयार करने का दायित्व लेखा नियंत्रक तथा प्रधान सचिव (वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार का है, की जाँच मेरे निर्देशन में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 149, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 की धारा 48 तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार किया गया है। हमारी लेखापरीक्षा पर आधारित इन लेखाओं पर अपनी राय को अभिव्यक्त करना हमारी जिम्मेदारी है।

लेखापरीक्षा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार की गई थी। इन मानकों द्वारा यह अपेक्षा की जाती है कि लेखे महत्वपूर्ण त्रुटियों से मुक्त हैं, इस पर यथोचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए हम योजना बनाकर लेखापरीक्षा करें। लेखापरीक्षा में, वित्तीय विवरणों में दी गई राशियों एवं प्रकट की गई सूचना से संबंधित साक्ष्यों की नमूना आधार पर जाँच शामिल है।

मेरे अधिकारियों द्वारा अपेक्षित एवं प्राप्त सूचना और स्पष्टीकरणों के आधार पर तथा लेखाओं की नमूना आधार पर लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप प्राप्त सम्पूर्ण जानकारी के अनुसार और दिये गये स्पष्टीकरणों पर विचार करते हुए, मैं अपने सम्पूर्ण ज्ञान और विश्वास के साथ प्रमाणित करता हूँ कि इस संकलन में अभ्युक्तियों के साथ पठित विनियोग लेखे, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली विधान सभा द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 की धारा 29 एवं 30 के अंतर्गत पारित विनियोग अधिनियमों के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट राशियों की तुलना में 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष में व्यय की गई राशियों के लेखे की सही और निष्पक्ष प्रस्तुति करते हैं।

इन लेखाओं के अध्ययन तथा इस वर्ष या विगत वर्षों के दौरान की गई नमूना लेखापरीक्षा से उद्भूत महत्वपूर्ण मुद्दे, 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार पर पृथक रूप से प्रस्तुत किये जा रहे मेरे वित्तीय, अनुपालना तथा निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल हैं।

ह०

(गिरीश चंद्र मुर्मू)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

दिनांक : 14.11.2021

स्थान : नई दिल्ली

अनुदान संख्या 1 – विधान सभा

	कुल अनुदान या विनियोजन	वास्तविक व्यय	बचत (-) अधिक व्यय (+)
(हजार रूपयों में)			
राजस्व			
प्रभारित	<u>85.00</u>	<u>57.23</u>	<u>-27.77</u>
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			<u>-15.00</u>
स्वीकृत –	56,92.00	28,82.26	-28,09.74
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			-26,52.00

टीका एवं टिप्पणियां

अनुदान के राजस्व भाग के प्रभारित अंश में 27.77 लाख रुपये की कुल बचत थी (85.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान, की तुलना में) जोकि सम्पूर्ण स्वीकृत विनियोजन का 32.67 प्रतिशत थी ।

अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में 2809.74 लाख रुपये की कुल बचत थी (5692.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) जोकि सम्पूर्ण स्वीकृत प्रावधान का 49.36 प्रतिशत थी ।

बचत/अधिक व्यय मुख्यतः निम्नलिखित मुख्यशीर्ष के अन्तर्गत हुई :-

(लाख रूपयों में)

विधान मण्डल

मुख्यशीर्ष “2011”

संसद/राज्य/संघ क्षेत्रों के विधान

मू.	5647.00)			
पु.	-2652.00)	2995.00	2843.30	-151.70

1.00 करोड़ रुपये से अधिक बचत मुख्यतः निम्नलिखित उपशीर्षों के अन्तर्गत हुई :-

- मुख्यशीर्ष “2011”** – संसद/राज्य/संघ क्षेत्रों के विधान – राज्य/संघ क्षेत्र विधान – (क) विधान मंडल – सदस्य – 169.96 लाख रुपये की बचत (1020.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों, पदग्राहियों का स्थानांतरण होने, कम बिलों/दावों की प्राप्ति होने, कम खरीद होने, कम यात्राओं एवं सदस्यों द्वारा प्रत्याशित दावों के जमा न कराने के कारण हुई।

(ख) विधायी सचिवालय – सचिवालय – 1916.77 लाख रुपये की बचत (3177.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों, पदग्राहियों का स्थानांतरण होने, कम खरीद होने, कम बिलों, कम विदेशी यात्राओं, आधिकारिक यात्राओं की कम संख्या/रद्द होने एवं आपूर्तिकर्ताओं/सेवादाताओं द्वारा बिलों/दावों को जमा न कराने के कारण हुई।

(ग) दिल्ली विधान सभा अनुसंधान केंद्र – 716.97 लाख रुपये की बचत (1450.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम बिलों की प्राप्ति एवं कम खरीद होने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 2 – सामान्य प्रशासन

कुल अनुदान या विनियोजन	वास्तविक व्यय	बचत (-) अधिक व्यय (+)
(हजार रूपयों में)		

राजस्व

प्रभारित –

मूल	15,09,25)			
पूरक	68,25)	15,77,50	13,76,04	-2,01,46

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि -3,00

स्वीकृत –

मूल	612,42,75)			
पूरक	374,64,00)	987,06,75	735,74,21	-251,32,54

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि -167,98,25

टीका एवं टिप्पणियां

अनुदान के राजस्व भाग के प्रभारित अंश में 201.46 लाख रुपये की कुल बचत थी (1577.50 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 68.25 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) जोकि सम्पूर्ण स्वीकृत विनियोजन का 12.77 प्रतिशत थी ।

2.50 लाख रुपये की राशि एक उपशीर्ष के अंतर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रही ।

बचत/अधिक व्यय मुख्यतः निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत हुई :-

(लाख रूपयों में)

उप राज्यपाल सचिवालय

मुख्य शीर्ष "2012"

राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति/राज्यपाल
संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक

मू	1257.00)			
पु	-22.00)	1235.00	1111.89	-123.11

1.00 करोड़ रुपये से अधिक बचत मुख्यतः निम्नलिखित उपशीर्षों के अन्तर्गत हुई :-

- मुख्यशीर्ष "2012" – राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति/राज्यपाल संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक – संघ प्रशासक – सचिवालय – 107.85 लाख रुपये की बचत (1130.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम दावों/बिलों के प्राप्त होने, वकीलों की भर्ती न होने एवं विदेशी दौरों के आयोजित न होने के कारण हुई ।

इसके अतिरिक्त 53.85 लाख रुपये की बचत एक उपशीर्ष के अन्तर्गत हुई जो कि 50.00 लाख रुपये से अधिक परन्तु 1.00 करोड़ रुपये से कम थी ।

अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में 25132.54 लाख रुपये की कुल बचत थी (98706.75 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 37464.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) जोकि सम्पूर्ण स्वीकृत प्रावधान का 25.46 प्रतिशत थी ।

131.00 लाख रुपये की राशि छह उपशीर्षों के अंतर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रही ।

बचत/अधिक व्यय मुख्यतः निम्नलिखित मुख्यशीर्षों के अन्तर्गत हुई :-

(लाख रुपयों में)

मंत्री परिषद

मुख्यशीर्ष "2013"

मंत्री परिषद

मू.	982.00)			
पु.	-265.00)	717.00	488.29	-228.71

सामान्य प्रशासन विभाग

मुख्यशीर्ष "2052"

सचिवालय सामान्य सेवायें

मू.	8898.00)			
पु.	-1823.00)	7075.00	6027.10	-1047.90

मुख्यशीर्ष "2055"

पुलिस

मू.	13.00)			
पू	37456.00)			
पु .	109.00)	37578.00	33334.58	-4243.42

मुख्यशीर्ष "2235"

सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण

मू.	437.00)			
पु .	40.00)	477.00	212.10	-264.90

सेवायें विभाग

मुख्यशीर्ष "2052"

सचिवालय सामान्य सेवायें

मू.	6.00)			
पु.	204.00)	210.00	136.23	-73.77

जन शिकायत आयोग

मुख्यशीर्ष "2070"

अन्य प्रशासनिक सेवायें

मू.	481.50)			
पु .	-101.50)	380.00	318.94	-61.06

प्रशिक्षण निदेशालय

मुख्यशीर्ष "2070"

अन्य प्रशासनिक सेवायें

मू.	815.00)			
पु .	-57.00)	758.00	686.16	-71.84

सतर्कता निदेशालय**मुख्यशीर्ष "2070"**

अन्य प्रशासनिक सेवायें

मू.	1082.50)			
पु .	-181.50)	901.00	801.40	-99.60

सूचना एवं प्रसारण निदेशालय**मुख्यशीर्ष "2220"**

सूचना एवं प्रसारण

मू.	30749.00)			
पु .	-10215.00)	20534.00	20417.67	-116.33

दिल्ली अधीनस्थ कर्मचारी**चयन बोर्ड****मुख्यशीर्ष "2051"**

लोक सेवा आयोग

मू.	14247.75)			
पु .	-3689.25)	10558.50	8996.59	-1561.91

प्रशासनिक सुधार विभाग**मुख्यशीर्ष "2052"**

सचिवालय सामान्य सेवायें

मू.	2831.00)			
पु.	-950.00)	1881.00	1660.06	-220.94

1.00 करोड़ रुपये से अधिक बचत मुख्यतः निम्नलिखित उपशीर्षों के अन्तर्गत हुई :-

1. **मुख्यशीर्ष "2013"** — मंत्री परिषद — (क) यात्रा व्यय — यात्रा व्यय — 121.88 लाख रुपये की बचत (150.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम बिलों एवं कम विदेशी यात्राओं के कारण हुई।

(ख) अन्य व्यय — 242.37 लाख रुपये की बचत (512.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम बिलों, कम खरीद होने एवं जनवरी 20 के माह में आदर्श आचार संहिता के लागू होने एवं वित्तीय वर्ष 2019-20 की आखिरी तिमाही में कोविड-19 महामारी के फैलने के कारण कुछ विद्युतीय मर्दें, कम्प्यूटर मर्दें एवं नए वाहनों की खरीद न किये जा सकने के कारण हुई।

2. **मुख्यशीर्ष "2052"** — सचिवालय सामान्य सेवाएं — सचिवालय — (i) मुख्य सचिवालय — 1660.44 लाख रुपये की बचत (5910.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों, पदग्राहियों के स्थानांतरण होने, कम खरीद, वकीलों से वकालत संबंधी बिलों के प्राप्त न होने, अफसरों की विदेशी यात्राओं के न होने एवं कर्मचारियों के निजी दावों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

(ii) वित्त विभाग — 229.84 लाख रुपये की बचत (601.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों, पदग्राहियों के स्थानांतरण होने एवं कम दावों के प्राप्त होने के कारण हुई।

(iii) गृह विभाग — 366.94 लाख रुपये की बचत (705.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों, पदग्राहियों के स्थानांतरण होने एवं कम बिलों/दावों के प्राप्त होने के कारण हुई।

(iv) मंत्री परिषद कार्यालय – 412.70 लाख रुपये की बचत (777.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों, पदग्राहियों के स्थानांतरण होने, कम खरीद, वकीलों से वकालत संबंधी बिलों के प्राप्त न होने, अफसरों की विदेशी यात्राओं के न होने एवं कर्मचारियों के निजी दावों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

(v) सुरक्षा व्यवस्था – 199.34 लाख रुपये की बचत (902.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों एवं कर्मचारियों का स्थानांतरण आदि होने के कारण हुई।

3. **मुख्यशीर्ष "2055"** – पुलिस – पुलिस कर्मियों का कल्याण – अपराध और आपराधिक टैकिंग प्रणाली के लिए दिल्ली पुलिस सेवा सोसायटी के कंप्यूटरीकरण के लिए सहायता अनुदान (सी.एस.एस) – 4082.42 लाख रुपये की बचत (4090.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 4078.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निधियों की स्वीकृति न मिलने एवं वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान निधियों का आवंटन न करने के कारण हुई।
4. **मुख्यशीर्ष "2235"** – सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण – अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम – स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना – दिल्ली में स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन – 247.39 लाख रुपये की बचत (350.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः स्वतंत्रता सेनानियों की मृत्यु के कारण पेंशन धारियों की संख्या में कमी होने के कारण हुई।
5. **मुख्यशीर्ष "2070"** – अन्य प्रशासनिक सेवाएं – विशेष जांच आयोग – जन शिकायत आयोग – 162.56 लाख रुपये की बचत (481.50 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों, पदग्राहियों का स्थानांतरण होने, कम बिलों की प्राप्ति होने, कम खरीद होने एवं पी.जी.सी. अध्यक्ष के लिए वाहन की खरीद के प्रस्ताव के अंतिम रूप से स्वीकृत न होने के कारण हुई।
6. **मुख्यशीर्ष "2070"** – अन्य प्रशासनिक सेवाएं – प्रशिक्षण – प्रशिक्षण निदेशालय – 128.84 लाख रुपये की बचत (815.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम बिलों, कम खरीद, विक्रेता से बिलों के प्राप्त न होने, कम सहभागियों के प्रशिक्षण में उपस्थित होने एवं कुछ मदों के खरीद प्रस्तावों के क्रियावित न होने के कारण हुई।
7. **मुख्यशीर्ष "2070"** – अन्य प्रशासनिक सेवाएं – सतर्कता – सतर्कता निदेशालय – 281.10 लाख रुपये की बचत (1082.50 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों, पदग्राहियों के स्थानांतरण होने, कम बिलों/दावों के प्राप्त होने, वित्तीय वर्ष 2019-20 में कुछ निश्चित मदों की आपूर्ति न होने एवं कुछ खरीद प्रस्तावों के अंतिम रूप से स्वीकृत न होने के कारण भुगतान जारी नहीं कर सकने के कारण हुई।
8. **मुख्यशीर्ष "2220"** – सूचना एवं प्रसारण – चलचित्र – निर्देशन एवं प्रशासन – जन सम्पर्क निदेशालय – 10326.33 लाख रुपये की बचत (30744.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों, पदग्राहियों के स्थानांतरण होने, सूचना एवं प्रचार पर कम व्यय होने एवं कुछ प्रशासनिक कार्यों की वजह से कम्प्यूटर, यू.पी.एस. व प्रिंटरों की खरीद न होने के कारण हुई।

9. **मुख्यशीर्ष "2051"** – लोक सेवा आयोग – कर्मचारी चयन आयोग – दिल्ली सरकार के लिए कर्मचारी चयन बोर्ड – 5251.16 लाख रुपये की बचत (14247.75 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों, पदग्राहियों के स्थानांतरण होने, कम परीक्षाओं के आयोजित होने के कारण कम बिलों की प्राप्ति होने एवं वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में कोविड-19 महामारी व लॉकडाउन की वजह से कुछ भुगतानों के जारी न हो सकने के कारण हुई।
10. **मुख्यशीर्ष "2052"** – सचिवालय सामान्य सेवायें – सचिवालय – सार्वजनिक सेवाओं का द्वार पर वितरण – 917.44 लाख रुपये की बचत (1800.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम बिलों के प्राप्त होने एवं कोविड-19 महामारी की वजह से वित्तीय वर्ष 2019-20 की समाप्ति से पहले सार्वजनिक सेवाओं का द्वार पर वितरण करने के लिए नियुक्त संस्था द्वारा बिलों के जमा न कराने के कारण हुई।

इसके अतिरिक्त 389.17 लाख रुपये की बचत पांच उपशीर्षों के अन्तर्गत हुई जो कि 50.00 लाख रुपये से अधिक परन्तु 1.00 करोड़ रुपये से कम थी।

उपरोक्त बचतें निम्नलिखित उपशीर्षों के अंतर्गत हुए अधिक व्यय से अंशतः प्रतिसंतुलित की गयी थी।

1. **मुख्यशीर्ष "2052"** – सचिवालय सामान्य सेवायें – सचिवालय – सेवा विभाग – 130.23 लाख रुपये का अधिक व्यय (6.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों के भरने एवं अधिक बिलों की प्राप्ति होने व अधिक खरीद होने के कारण हुआ।

अनुदान संख्या 3 – न्याय प्रशासन

	कुल अनुदान या विनियोजन	वास्तविक व्यय	बचत (-) अधिक व्यय (+)
(हजार रूपयों में)			
राजस्व			
प्रभारित			
मूल	308,15,00)		
पूरक	23,49,00)	331,64,00	294,32,17
			-37,31,83
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			-9,46,00
स्वीकृत –			
मूल	1300,78,00)		
पूरक	91,50,00)	1392,28,00	1086,26,79
			-306,01,21
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			-129,73,00
पूँजीगत			
स्वीकृत –			
	31,00,00	8,00,00	-23,00,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			-21,00,00
टीका एवं टिप्पणियां			

अनुदान के राजस्व भाग के प्रभारित अंश में कुल 3731.83 लाख रुपये की बचत थी (33164.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 2349.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) जोकि सम्पूर्ण स्वीकृत विनियोजन का 11.25 प्रतिशत थी ।

335.00 लाख रुपये की राशि तीन उपशीर्षों के अंतर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रही। जिसमें निम्नलिखित उपशीर्ष शामिल है :-

1. **मुख्यशीर्ष "2014"** – न्याय प्रशासन – उच्च न्यायालय – उच्च न्यायालय के अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण – 100.00 लाख रुपये – दूसरे खाता शीर्ष से व्यय करने के कारण ।
2. **मुख्यशीर्ष "2015"** – चुनाव – निर्वाचन अधिकारी – 200.00 लाख रुपये – कम खरीद होने एवं महालक्ष्मी टेंट हाउस बनाम मुख्य निर्वाचन कार्यालय पर न्यायालय का निर्णय/आदेश लंबित होने के कारण ।

बचत/अधिक व्यय मुख्यतः निम्नलिखित मुख्यशीर्ष के अन्तर्गत हुई:-

(लाख रुपयों में)

उच्च न्यायालय

मुख्यशीर्ष "2014"

न्याय प्रशासन

मू.	30580.00)			
पू.	2349.00)			
पु.	-816.00)	32113.00	29432.17	-2680.83

1.00 करोड़ रुपये से अधिक बचत मुख्यतः निम्नलिखित उपशीर्षों के अंतर्गत हुई :-

1. **मुख्यशीर्ष "2014"** - न्याय प्रशासन - उच्च न्यायालय - (i) निर्देशन एवं प्रशासन - 3220.81 लाख रुपये की बचत (32349.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 2349.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों, पदग्राहियों के स्थानांतरण होने, कम बिलों/दावों के प्राप्त होने, देशीय/विदेशीय यात्राओं के संचालित न होने एवं आदरणीय जजों के लिए गाड़ियों की खरीद न होने के कारण हुई।

(ii) दिल्ली उच्च न्यायालय का मध्यस्थता केन्द्र - 176.02 लाख रुपये की बचत (480.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों के कारण हुई।

अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में 30601.21 लाख रुपये की बचत थी (139228.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 9150.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) जोकि सम्पूर्ण स्वीकृत प्रावधान का 21.97 प्रतिशत थी।

5125.00 लाख रुपये की राशि तीन उपशीर्षों के अंतर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रही। जिसमें निम्नलिखित उपशीर्ष शामिल है :-

1. **मुख्यशीर्ष "2014"** - न्याय प्रशासन - विशेष न्यायालय - निर्वाचित विधायकों एवं सांसदों से सम्बंधित आपराधिक मामलों के परिक्षण व निपटान के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना - 119.00 लाख रुपये - भारत सरकार से निधि के प्राप्त न होने एवं अव्ययित राशि के उपयोग के लिए भारत सरकार से अनुमोदन न मिलने के कारण हुई।
2. **मुख्यशीर्ष "2235"** - सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण - सामाजिक कल्याण - अन्य कार्यक्रम - मुख्यमंत्री वकील कल्याण योजना - 5000.00 लाख रुपये - कम बिलों के प्राप्त होने, लाभार्थियों की संख्या कम होने एवं वकीलों को समूह (अवधि) जीवन बीमा एवं समूह चिकित्सा-दावा बीमा देने वाली निविदाओं का अंतिम रूप से स्वीकृत न होने के कारण हुई।

बचत/अधिक व्यय मुख्यतः निम्नलिखित मुख्यशीर्षों के अन्तर्गत हुई :-

(लाख रुपयों में)

उच्च न्यायालय

मुख्यशीर्ष "2014"

न्याय प्रशासन

मू.	1028.00)			
पु.	-195.00)	833.00	662.33	-170.67

सिविल एवं सत्र न्यायालय

मू.	93385.50)			
पू.	3500.00)			
पु.	-10356.00)	86529.50	80983.52	-5545.98

अभियोजन निदेशालय

मू.	4612.00)			
पु.	-68.00)	4544.00	3971.56	-572.44

विधि विभाग

मू.	7319.00)			
पु.	-278.20)	7040.80	5352.84	-1687.96

मुख्यशीर्ष "2052"

सचिवालय सामान्य सेवायें

मू.	760.00)			
पु.	-202.80)	557.20	515.11	-42.09

मुख्यशीर्ष "2235"

सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण

मू.	15000.00)			
पु.	-2500.00)	12500.00	6206.04	-6293.96

चुनाव कार्यालय**मुख्यशीर्ष "2015"**

चुनाव

मू.	7819.00)			
पू.	5650.00)			
पु.	614.00)	14083.00	10786.08	-3296.92

1.00 करोड़ रुपये से अधिक बचत मुख्यतः निम्नलिखित उपशीर्षों के अंतर्गत हुई :-

1. **मुख्यशीर्ष "2014"** - न्याय प्रशासन - (क) उच्च न्यायालय - दिल्ली न्यायिक अकादमी - निर्देशन एवं प्रशासन - 359.67 लाख रुपये की बचत (1022.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम बिलों/दावों के प्राप्त होने, कम खरीद होने, रिक्त पदों एवं कोविड-19 महामारी की वजह से निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं ग्राम विर्सजन कार्यक्रमों के आयोजित न होने के कारण हुई।

(ख) सिविल एवं सत्र न्यायालय - (i) सत्र न्यायालय - 13068.05 लाख रुपये की बचत (89600.22 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 3500.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः कम बिलों/दावों के प्राप्त होने, कम खरीद होने, रिक्त पदों, वेतन बकायों का भुगतान न करने एवं स्वीकृतियों का पुनःसत्यापन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के पास लंबित रहने के कारण विभिन्न पदों के लिए विभागीय परीक्षाओं के आयोजन के लिए रखे गए बजट का उपयोग न कर सकने के कारण हुई।

(ii) जिला एवं सत्र न्यायालय का कम्प्यूटरीकरण - 199.32 लाख रुपये की बचत (200.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम खरीद होने, निविदाओं के अंतिम रूप से स्वीकृत न होने एवं स्वीकृतियों का पुनःसत्यापन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार से प्राप्त न होने के कारण हुई।

(ग) फौजदारी अदालतें – न्यायिक मेजिस्ट्रेटों की अदालतें – 2634.61 लाख रुपये की बचत (7085.28 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम बिलों के प्राप्त होने, कम विदेशी यात्राओं, कम खरीद, रिक्त पदों एवं सॉफ्टवेयर की खरीद प्रक्रिया के पूर्ण न होने के कारण हुई।

(घ) विधि सलाहकार और परामर्श – (i) अभियोजन पक्ष – 640.44 लाख रुपये की बचत (4612.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम बिलों के प्राप्त होने, कम खरीद एवं मार्च 2020 में राष्ट्रीय स्तर पर लॉकडाउन लागू होने के कारण भुगतान के लिए कुछ बिलों को वेतन एवं लेखा कार्यालय में जमा न कर सकने के कारण हुई।

(ii) विधि अधिकारी – 164.63 लाख रुपये की बचत (1050.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः अतिरिक्त जन अभियोक्ता से बिलों की प्राप्ति न होने एवं लॉकडाउन लागू होने से पूर्व कुछ भुगतानों के अंतिम रूप से स्वीकृत न हो सकने के कारण हुई।

(iii) दिल्ली विधि सेवा प्राधिकरण – 826.16 लाख रुपये की बचत (2249.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों एवं डी.एस.एल.एस.ए. कार्यालय के राऊज एवेन्यू स्थानांतरित न होने की वजह से व्यय न हो सकने के कारण हुई।

(iv) दिल्ली विवाद समाधान समाज को सहायता अनुदान – 144.60 लाख रुपये की बचत (300.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः पिछले वर्षों के अव्ययित राशि में से व्यय होने के कारण हुई।

(ड.) परिवार अदालतें – परिवार अदालतों की स्थापना – 711.77 लाख रुपये की बचत (2701.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों, कम खरीद होने, कुछ बिलों का निपटारा न होने एवं ठेकेदारों द्वारा बिलों के जमा न कराने के कारण हुई।

2. **मुख्यशीर्ष "2052"** – सचिवालय सामान्य सेवायें – सचिवालय – विधि विभाग – 244.89 लाख रुपये की बचत (760.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों, कम बिलों के प्राप्त होने एवं विदेशी यात्राओं के न होने के कारण हुई।

3. **मुख्यशीर्ष "2235"** – सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण – पुनर्वास – अन्य व्यय – अपराध पीड़ितों के लिए मुआवजा – 3793.96 लाख रुपये की बचत (10000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः पिछले वर्ष की अव्ययित राशि के समायोजित होने एवं संपूर्ण लॉकडाउन के अकस्मात लागू होने की वजह से सहायता अनुदान की आखिरी किश्त के क्रियावित न किये जा सकने के कारण हुई।

4. **मुख्यशीर्ष "2015"** – चुनाव – (क) मतगणना अधिकारी – 237.19 लाख रुपये की बचत (1228.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः वित्तीय वर्ष के अंत तक बिलों के प्राप्त न होने एवं कॉविड-19 महामारी एवं राष्ट्रीय स्तर पर लॉकडाउन की वजह से प्रक्रिया के धीमा होने के कारण हुई।

(ख) मत सूची को तैयार करना व छपवाना – 755.45 लाख रुपये की बचत (1000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः वित्तीय वर्ष के अंत तक बिलों के प्राप्त न होने एवं कॉविड-19 महामारी एवं राष्ट्रीय स्तर पर लॉकडाउन की वजह से प्रक्रिया के धीमा होने के कारण हुई।

(ग) संसद के लिए चुनाव कराने पर प्रभार –लोक सभा चुनाव – 536.32 लाख रुपये की बचत (2800.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1500.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः वित्तीय वर्ष के अंत तक बिलों के प्राप्त न होने एवं कॉविड-19 महामारी एवं राष्ट्रीय स्तर पर लॉकडाउन की वजह से प्रक्रिया के धीमा होने के कारण हुई।

(घ) राज्य/संघ शासित क्षेत्र विधान मण्डल के लिए चुनाव कराने का प्रभार – (i) चुनावों पर व्यय – 943.34 लाख रुपये की बचत (4850.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 3150.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः वित्तीय वर्ष के अंत तक बिलों के प्राप्त न होने एवं कॉविड-19 महामारी एवं राष्ट्रीय स्तर पर लॉकडाउन की वजह से प्रक्रिया के धीमा होने के कारण हुई।

(ii) मतदाताओं को पहचान पत्र जारी करना – 210.62 लाख रुपये की बचत (3591.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1000.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः वित्तीय वर्ष के अंत तक बिलों के प्राप्त न होने एवं कॉविड-19 महामारी एवं राष्ट्रीय स्तर पर लॉकडाउन की वजह से प्रक्रिया के धीमा होने के कारण हुई।

अनुदान के पूंजीगत भाग के स्वीकृत अंश में कुल 2300.00 लाख रुपये की बचत थी (3100.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) जोकि सम्पूर्ण स्वीकृत प्रावधान का 74.19 प्रतिशत थी।

बचत/अधिक व्यय मुख्यतः निम्नलिखित मुख्यशीर्षों के अंतर्गत हुई :-

(लाख रुपयों में)

चुनाव

मुख्यशीर्ष "4059"

सार्वजनिक कार्यों पर

पूंजीगत परिव्यय

मू.	3100.00)			
पु.	-2100.00)	1000.00	800.00	-200.00

1.00 करोड़ रुपये से अधिक बचत मुख्यतः निम्नलिखित उपशीर्षों के अंतर्गत हुई :-

- मुख्यशीर्ष "4059"** – सार्वजनिक कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय – कार्यालय भवन – निर्माण – मुख्य चुनाव कार्यालय भवन – 2300.00 लाख रुपये की बचत (3100.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य की धीमी गति, 22/03/2020 से 31/03/2020 कॉविड-19 महामारी की वजह से लॉकडाउन की घोषणा एवं व्यय अनुमानों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 4 – वित्त

	कुल अनुदान या विनियोजन	वास्तविक व्यय	बचत (-) अधिक व्यय (+)
(हजार रूपयों में)			

राजस्व

प्रभारित

मूल	10,00)			
पूरक	3,60)	13,60	4,05	-9,55

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि कुछ नहीं

स्वीकृत –

मूल	362,29,52)			
पूरक	1,79,00)	364,08,52	245,37,02	-118,71,50

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि -66,79,12

पूँजीगत

स्वीकृत –

मूल	97,28,48)			
पूरक	5,50,00)	102,78,48	2,98,01	-99,80,47

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि -91,28,48

टीका एवं टिप्पणियां

अनुदान के राजस्व भाग के प्रभारित अंश में कुल 9.55 लाख रुपये की बचत थी (13.60 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 3.60 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) जोकि सम्पूर्ण स्वीकृत विनियोजन का 70.22 प्रतिशत थी ।

अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में कुल 11871.50 लाख रुपये की बचत थी (36408.52 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 179.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) जोकि सम्पूर्ण स्वीकृत प्रावधान का 32.60 प्रतिशत थी ।

157.25 लाख रुपये की राशि आठ उपशीर्षों के अंतर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रही ।

- मुख्यशीर्ष "3451" – सचिवालय आर्थिक सेवाएं – जिला योजना मशीनरी – दिल्ली में निवेशों व उद्यमों के लिए ब्यूरो को सहायता अनुदान – 100.00 लाख रुपये – सहायता अनुदान के जारी न होने के कारण ।

बचत/अधिक व्यय मुख्यतः निम्नलिखित मुख्य शीषों के अंतर्गत हुई:-

(लाख रुपयों में)

प्रधान लेखा कार्यालय

मुख्यशीर्ष "2054"

राजकोष एवं लेखा प्रशासन

मू.	5959.50)			
पु.	-833.50)	5126.00	4913.60	-212.40

आंतरिक लेखा परीक्षा निदेशालय

मुख्यशीर्ष "2016"

लेखा परीक्षा

मू.	2356.00)			
पु.	-300.00)	2056.00	1921.08	-134.92

योजना तथा मूल्यांकन निदेशालय

मुख्यशीर्ष "3451"

सचिवालय सामान्य सेवाएं

मू.	1376.52)			
पु.	-388.52)	988.00	828.82	-159.18

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

मुख्यशीर्ष "3454"

जनगणना सर्वेक्षण व आंकड़े

मू.	4517.00)			
पू.	1.00)			
पु.	-1256.00)	3262.00	3000.75	-261.25

उत्पाद शुल्क एवं मनोरंजन कर विभाग

मुख्यशीर्ष "2039"

राज्य उत्पाद शुल्क

मू.	3454.72)			
पू.	1.00)			
पु.	215.68)	3671.40	3304.03	-367.37

व्यापार एवं कर विभाग

मुख्यशीर्ष "2040"

बिक्री कर

मू.	7027.60)			
पु.	-1266.65)	5760.95	4139.83	-1621.12

मुख्यशीर्ष "2043"

राज्य माल और सेवा कर

के तहत संग्रह प्रभार

मू.	10219.40)			
पू.	1.00)			
पु.	-2609.35)	7611.05	5589.86	-2021.19

सूचना तकनीकी विभाग

मुख्यशीर्ष "3454"

जनगणना, सर्वेक्षण एवं सांख्यिकी

मू.	879.00)			
पू.	175.00)			
पु.	-189.00)	865.00	523.57	-341.43

1.00 करोड़ रुपये से अधिक बचत मुख्यतः निम्नलिखित उपशीर्षों के अंतर्गत हुई :-

- मुख्यशीर्ष "2054"** – राजकोष एवं लेखा प्रशासन – लेखा तथा राजकोष निदेशालय – लेखा निदेशालय – 973.73 लाख रुपये की बचत (5642.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों, कम मरम्मत कार्यों एवं कम बिलों की प्राप्ति के कारण हुई।
- मुख्यशीर्ष "2016"** – लेखा परीक्षा – सिविल लेखा परीक्षण तथा लेखा कार्यालय – लेखा परीक्षा निदेशालय – 434.92 लाख रुपये की बचत (2356.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों, कम बिलों की प्राप्ति, कम खरीद होने एवं लॉकडाउन के कारण शेष बजट का उपयोग न कर सकने के कारण हुई।
- मुख्यशीर्ष "3451"** – सचिवालय आर्थिक सेवाएं – जिला योजना मशीनरी – (i) योजना तथा मूल्यांकन विभाग – 131.22 लाख रुपये की बचत (916.52 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों के कारण हुई।

(ii) कार्यान्वयन आधारित नीति निर्माण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, बड़ा डाटा एवं अन्य मशीनरी एवं उपकरण गतिविधियों हेतु कार्यक्रम – 229.58 लाख रुपये की बचत (260.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम बिलों की प्राप्ति एवं कम खरीद होने के कारण हुई।
- मुख्यशीर्ष "3454"** – जनगणना, सर्वेक्षण व आंकड़े – सर्वेक्षण एवं आंकड़े – (क) महत्वपूर्ण आंकड़े – घरेलू स्तर पर समायोजित डाटा का संग्रह – 1347.01 लाख रुपये की बचत (3535.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः कम बिलों की प्राप्ति, कम खरीद होने, कम कर्मचारियों की संलग्नता, लॉकडाउन लागू होने के कारण भुगतान जारी नहीं कर सकने एवं कर्मचारियों को मानदेय के भुगतान के लिए अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण हुई।

(ख) आर्थिक सलाह और सांख्यिकी – अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय – 164.24 लाख रुपये की बचत (977.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों, कम खरीद होने, कम दावों/बिलों के प्राप्त होने एवं सर्वर, डेस्कटॉप, प्रिंटरों आदि के खरीद प्रस्तावों के कार्यान्वित न होने के कारण हुई।
- मुख्यशीर्ष "2039"** – राज्य उत्पाद शुल्क – अन्य व्यय – उत्पाद शुल्क एवं मनोरंजन कर विभाग – 131.82 लाख रुपये की बचत (590.20 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों, कम बिलों की प्राप्ति एवं विभाग द्वारा दिए गए आदेशानुसार पूर्ण इंडेंट की पूर्ति न होने व कॉविड-19 के चलते राष्ट्रीय स्तर पर लॉकडाउन के कारण हुई।
- मुख्यशीर्ष "2040"** – बिक्रीकर – (क) निर्देशन एवं प्रशासन – 161.84 लाख रुपये की बचत (264.35 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम खरीद होने, रिक्त पदों के न भरने, कम दावों के प्राप्त होने एवं दिल्ली विधान सभा चुनाव 2020 में कर्मचारियों के संलग्न होने की वजह से कुछ बिलों के क्रियान्वित न होने के कारण हुई।

(ख) संग्रह प्रभार – 239.01 लाख रुपये की बचत (2316.29 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों के न भरने, कम दावों के प्राप्त होने एवं दिल्ली विधान सभा चुनाव 2020 में कर्मचारियों के संलग्न होने की वजह से कुछ बिलों के क्रियान्वित न होने के कारण हुई।

(ग) अन्य व्यय – (i) वैट विभाग के प्रशासन में ढांचागत बदलाव – 370.29 लाख रुपये की बचत (1604.65 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों के न भरने एवं कम दावों/बिलों के प्राप्त होने के कारण हुई।

(ii) कम्प्यूटरीकरण प्रणाली – 2116.63 लाख रुपये की बचत (2842.31 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम खरीद होने, रिक्त पदों, कम्प्यूटर हार्डवेयर के खरीद प्रस्तावों का निपटारा न होने एवं कॉविड-19 महामारी की वजह से कुछ व्यय न किये जा सकने के कारण हुई।

7. **मुख्यशीर्ष "2043"** – राज्य माल और सेवा कर के तहत संग्रह प्रभार – (क) निर्देशन एवं प्रशासन – निर्देशन एवं प्रशासन – 708.83 लाख रुपये की बचत (904.78 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों के न भरने, कम दावों/बिलों के प्राप्त होने एवं विद्युतीय बिलों का भुगतान न होने के कारण हुई।

(ख) संग्रह प्रभार – (i) संग्रह प्रभार – 3366.72 लाख रुपये की बचत (7294.62 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम खरीद होने, रिक्त पदों के न भरने, कम दावों/बिलों के प्राप्त होने एवं प्रशासनिक कारणों की वजह से कर्मचारियों की कम तैनाती/वेतन में काटौती के कारण हुई।

(ii) उपयोगकर्ता प्रभार – जी.एस.टी.एन. – 552.28 लाख रुपये की बचत (2010.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम बिलों की प्राप्ति, कम योगदान, जी.एस.टी.एन. उपयोगकर्ता प्रभार एवं जी.एस.टी.एन. द्वारा उपलब्ध कराये गये ढांचे से संबंधित अन्य विविध कार्यों के संबंध में कम बिलों के प्राप्त होने के कारण हुई।

8. **मुख्यशीर्ष "3454"** – जनगणना सर्वेक्षण एवं सांख्यिकी – सर्वेक्षण एवं सांख्यिकी – अन्य व्यय – (i) सुविधा प्रबंधन/वेबसाइट – 106.01 लाख रुपये की बचत (150.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः मार्च 2020 के दौरान सरकार द्वारा कॉविड-19 महामारी की वजह से लॉकडाउन लागू करने के कारण विक्रेता द्वारा अपेक्षित सामान की आपूर्ति न कर सकने एवं इसी कारण से एन.आई.सी.एस.आई. को संग्रह शुल्क का भुगतान न कर सकने के कारण हुई।

(ii) दिल्ली सचिवालय में एल.ए.एन. का रखरखाव और दिल्ली में डब्लू.ए.एन. वान की स्थापना – 177.47 लाख रुपये की बचत (195.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 175.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः मार्च 2020 के दौरान सरकार द्वारा कॉविड-19 महामारी की वजह से लॉकडाउन लागू करने के कारण विक्रेता द्वारा अपेक्षित सामान की आपूर्ति न कर सकने के कारण हुई।

(iii) डिजीटल दिल्ली/राष्ट्र मण्डल खेलों की तैयारी सहित – 153.55 लाख रुपये की बचत (350.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम बिलों की प्राप्ति एवं कार्य की धीमी गति के कारण हुई।

इसके अतिरिक्त, 219.72 लाख रुपये की बचत तीन उपशीर्षों के अंतर्गत हुई जो कि 50.00 लाख रुपये से अधिक परंतु 1.00 करोड़ रुपये से कम थी।

अनुदान के पूंजीगत भाग के स्वीकृत अंश में कुल 9980.47 लाख रुपये की बचत थी (10278.48 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 550.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) जोकि सम्पूर्ण स्वीकृत प्रावधान का 97.10 प्रतिशत थी ।

9078.48 लाख रुपये की राशि दो उपशीर्षों के अंतर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रही। जिसमे निम्नलिखित उपशीर्ष शामिल है :-

1. **मुख्यशीर्ष "7615"** – अन्य ऋण – अन्य ऋण – स्थानीय निकायों को उपाय और साधन के लिए ऋण – 8928.48 लाख रुपये – कम ऋणों के जारी होने के कारण।
2. **मुख्यशीर्ष "4059"** – लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय – कार्यालय भवन – निर्माण – व्यापार एवं कर एनैक्सी भवन – 150.00 लाख रुपये – दक्षिणी दिल्ली नगर निगम द्वारा एनैक्सी भवन के निर्माण की योजना को स्वीकृति प्रदान न करने के कारण।

बचत/अधिक व्यय मुख्यतः निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(लाख रुपयों में)

व्यापार एवं कर विभाग

मुख्यशीर्ष "4059"

सार्वजनिक कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय

मू.	500.00)			
पू.	550.00)	1050.00	212.22	-837.78

मुख्यशीर्ष "4070"

अन्य प्रशासनिक सेवाओं

पर पूंजीगत परिव्यय

मू.	300.00)			
पू.	-200.00)	100.00	85.79	-14.21

1.00 करोड़ रुपये से अधिक बचत मुख्यतः निम्नलिखित उपशीर्षों के अंतर्गत हुई:-

1. **मुख्यशीर्ष "4059"** – लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय – कार्यालय भवन – निर्माण – भवन का नवीनीकरण/मरम्मत – 687.78 लाख रुपये की बचत (900.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 550.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः आदर्श आचार संहिता के लागू होने एवं उसके बाद कॉविड-19 महामारी की वजह से भवन के नवीनीकरण/मरम्मत कार्य के शुरू न होने के कारण हुई।
2. **मुख्यशीर्ष "4070"** – अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय – अन्य व्यय – व्यापार एवं कर – 214.21 लाख रुपये की बचत (300.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम मोटर वाहनों की खरीद के कारण हुई।

अनुदान संख्या 5 – गृह

	कुल अनुदान या विनियोजन	वास्तविक व्यय	बचत (-) अधिक व्यय (+)
(हजार रूपयों में)			
राजस्व			
प्रभारित	60,00	34,44	-25,56
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			-5,00
स्वीकृत –			
मूल 755,32,00)			
पूरक 20,31,00)	775,63,00	710,78,79	-64,84,21
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			-28,03,00
पूँजीगत			
स्वीकृत –			
मूल 43,50,00)			
पूरक 30,00)	43,80,00	8,65,45	-35,14,55
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			-10,30,00
टीका एवं टिप्पणियां			

अनुदान के राजस्व भाग के प्रभारित अंश में 25.56 लाख रुपये की कुल बचत थी (60.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) जो कि सम्पूर्ण स्वीकृत विनियोजन का 42.60 प्रतिशत थी ।

अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में कुल 6484.21 लाख रुपये की बचत थी (77563.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 2031.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) जोकि सम्पूर्ण स्वीकृत प्रावधान का 8.35 प्रतिशत थी ।

517.00 लाख रुपये की राशि दो उपशीर्षों के अन्तर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रही। जिसमें निम्नलिखित उपशीर्ष शामिल हैं :-

- मुख्यशीर्ष "2055" – पुलिस – अपराध विज्ञान – (i) महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध साइबर अपराध की रोकथाम (सीएसएस) – 187.00 लाख रुपये – प्रशासनिक कारणों की वजह से कुछ प्रस्तावों के कार्यान्वित न हो सकने के कारण ।

(i) डी.एन.ए. जांच प्रयोगशाला –निर्भया निधि (सीएसएस) – 330.00 लाख रुपये – प्रशासनिक कारणों की वजह से कुछ प्रस्तावों के कार्यान्वित न हो सकने के कारण ।

बचत/अधिक व्यय मुख्यतः निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(लाख रुपयों में)

केन्द्रीय कारागार

मुख्यशीर्ष "2056"

जेल

मू.	39150.00)			
पू.	1701.00)			
पु.	2862.00)	43713.00	42135.93	-1577.07

मुख्यशीर्ष "2210"

चिकित्सा एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य

मू.	5326.00)			
पु.	-474.00)	4852.00	4604.09	-247.91

नागरिक सुरक्षा तथा

होम गार्ड निदेशालय

मुख्यशीर्ष "2070"

अन्य प्रशासनिक सेवाएं

मू.	2570.00)			
पु.	-292.00)	2278.00	2120.66	-157.34

दिल्ली अग्निशमन सेवा

मुख्यशीर्ष "2070"

अन्य प्रशासनिक सेवाएं

मू.	23188.00)			
पु.	-3796.00)	19392.00	18584.06	-807.94

अपराध विज्ञान प्रयोगशाला

मुख्यशीर्ष "2055"

अपराध विज्ञान

मू.	5298.00)			
पू.	330.00)			
पु.	-1103.00)	4525.00	3634.05	-890.95

1.00 करोड़ रुपये से अधिक बचत मुख्यतः निम्नलिखित उपशीर्षों के अंतर्गत हुई :-

1. **मुख्यशीर्ष "2056"**— जेल — जेल का उत्पादक — 836.85 लाख रुपये की बचत (2500.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम खरीद के कारण हुई।
2. **मुख्यशीर्ष "2210"**— चिकित्सा एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य — शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-ऐलौपेथी — चिकित्सालय एवं औषधालय — केन्द्रीय जेल अस्पताल — 721.91 लाख रुपये की बचत (5326.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम खरीद, दवाओं की निविदाओं का देरी से निपटारा होने एवं कॉविड-19 महामारी की वजह से बिलों का निपटारा न होने के कारण हुई।
3. **मुख्यशीर्ष "2070"** — अन्य प्रशासनिक सेवाएँ — (क) नागरिक सुरक्षा — नागरिक सुरक्षा एवं होम गार्ड — 449.34 लाख रुपये की बचत (2570.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों के न भरने एवं कॉविड-19 महामारी होने के कारण कुछ बिलों की प्राप्ति न होने के कारण हुई।

(ख) अग्नि सुरक्षा एवं नियंत्रण – (i) सुरक्षा एवं नियंत्रण – 4244.78 लाख रुपये की बचत (22170.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम बिलों की प्राप्ति, कम खरीद होने, रिक्त पदों, लॉकडाउन की वजह से बिलों/दावों के कम क्रियान्वित होने एवं कुछ मदों की खरीद के लिए प्रस्तावों का निपटारा न हो सकने के कारण हुई।

(ii) निर्देशन एवं प्रशासन – 117.86 लाख रुपये की बचत (403.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों एवं कम पुरस्कारों के वितरण के कारण हुई।

(iii) प्रशिक्षण – 241.30 लाख रुपये की बचत (615.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों, कम बिलों की प्राप्ति, कम खरीद होने एवं लाभार्थियों की संख्या कम होने के कारण हुई।

4. **मुख्यशीर्ष "2055"** – पुलिस – अपराध विज्ञान – अपराध विज्ञान प्रयोगशाला – 1476.95 लाख रुपये की बचत (5111.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों, कम खरीद होने, कम बिलों की प्राप्ति एवं प्रशासनिक कारणों की वजह से कुछ प्रस्तावों के क्रियान्वित न हो सकने के कारण हुई।

उपरोक्त बचतें निम्नलिखित उपशीर्ष के अंतर्गत हुए अधिक व्यय से अंशतः प्रतिसंतुलित की गयी थी।

1. **मुख्यशीर्ष "2056"** – जेल – निर्देशन एवं प्रशासन – जेल की स्थापना – 2158.65 लाख रुपये का अधिक व्यय (38251.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1701.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः अधिक बिलों के प्राप्ति, अधिक खरीद होने एवं अधिक पेशेवर सेवाओं को लेने की वजह से अधिक बिलों के कारण हुई।

अनुदान के पूंजीगत भाग के स्वीकृत अंश में कुल 3514.55 लाख रुपये की बचत थी (4380.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 30.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) जोकि सम्पूर्ण स्वीकृत प्रावधान का 80.24 प्रतिशत थी।

बचत/अधिक व्यय मुख्यतः निम्नलिखित मुख्यशीर्षों के अंतर्गत हुई :-

(लाख रुपयों में)

केन्द्रीय कारागार

मुख्यशीर्ष "4070"

अन्य प्रशासनिक सेवा पर पूंजी परिव्यय

मू.	300.00)			
पू.	30.00)			
पु.	120.00)	450.00	51.38	-398.62

दिल्ली अग्निशमन सेवायें

मुख्यशीर्ष "4070"

अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय

मू.	2500.00)			
पु.	-600.00)	1900.00	542.66	-1357.34

अपराध विज्ञान प्रयोगशाला

मुख्यशीर्ष "4055"

पुलिस पर पूंजी परिव्यय

मू.	1550.00)			
पु.	-550.00)	1000.00	271.41	-728.59

1.00 करोड़ रुपये से अधिक बचत मुख्यतः निम्नलिखित उपशीर्षों के अंतर्गत हुई:-

1. **मुख्यशीर्ष "4070"**- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजी परिव्यय - अन्य व्यय - (i) केन्द्रीय कारागार- 278.62 लाख रुपये की बचत (330.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 30.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः बी-IV वाहनों को बी-VI वाहनों में बदलने की सरकारी नीति के कारण ऐम्बुलेंसों की खरीद के प्रस्तावों के कार्यान्वित न होने के कारण हुई।

(ii) दिल्ली अग्नि सेवायें - 1957.34 लाख रुपये की बचत (2500.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम मशीनरी व उपकरणों की खरीद, मोटर वाहनों की खरीद न होने, लॉकडाउन होने, वाहनों का निर्माण न हो सकने एवं 31/03/2020 तक डी.डी.ए. को भूमि की कीमत के भुगतान के लिए सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण हुई।
2. **मुख्यशीर्ष "4055"**- पुलिस पर पूँजी परिव्यय - अन्य व्यय - अपराध विज्ञान प्रयोगशाला - 1278.59 लाख रुपये की बचत (1550.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम मशीनरी व उपकरणों की खरीद, आई.टी. हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर की खरीद के कुछ प्रस्तावों के क्रियान्वित न हो सकने एवं मार्च 2020 में कॉविड-19 के प्रादुर्भाव के कारण हुई।

अनुदान संख्या 6 – शिक्षा

	कुल अनुदान या विनियोजन	वास्तविक व्यय	बचत (-) अधिक व्यय (+)
(हजार रूपयों में)			
राजस्व			
प्रभारित –			
मूल	60,00)		
पूरक	5,00)	65,00	2,33
			-62,67
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			-38,00
स्वीकृत –			
मूल	13491,65,00)		
पूरक	87,00)	13492,52,00	10626,98,08
			-2865,53,92
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			-2293,87,69
पूँजीगत			
स्वीकृत –			
मूल	387,78,00)		
पूरक	4,30,00)	392,08,00	128,04,96
			-264,03,04
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			-167,94,00
टीका एवं टिप्पणियां			

अनुदान के राजस्व भाग के प्रभारित अंश में 62.67 लाख रुपये की कुल बचत थी (65.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 5.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) जोकि सम्पूर्ण स्वीकृत विनियोजन का 96.41 प्रतिशत थी।

10.00 लाख रुपये की राशि दो उपशीर्षों के अंतर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रहीं।

इसके अतिरिक्त, 52.67 लाख रुपये की बचत एक उपशीर्ष के अंतर्गत हुई जो कि 50.00 लाख रुपये से अधिक परंतु 1.00 करोड़ रुपये से कम थी।

अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में 286553.92 लाख रुपये की कुल बचत थी (1349252.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 87.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) जोकि सम्पूर्ण स्वीकृत प्रावधान का 21.23 प्रतिशत थी।

215583.00 लाख रुपये की राशि 64 उपशीर्षों के अन्तर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रही। जिसमें निम्नलिखित उपशीर्ष शामिल हैं :-

- मुख्यशीर्ष "2202" – सामान्य शिक्षा – (अ) प्राथमिक शिक्षा – सर्व शिक्षा अभियान – (i) सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.) – 50000.00 लाख रुपये – कम सहायता अनुदान जारी होने के कारण।

(ii) सर्व शिक्षा अभियान (सी.एस.एस.) – 150000.00 लाख रुपये – कम सहायता अनुदान जारी होने के कारण।

(ब) माध्यमिक शिक्षा – सरकारी माध्यमिक विद्यालय – विद्यार्थियों के लिए उद्यमिता विकास कार्यक्रम (स्कूल विद्यार्थी) – 3000.00 लाख रुपये – योजना का कार्यान्वयन न होने के कारण।

(स) सामान्य – निर्देशन एवं प्रशासन – विकलांगों के लिए माध्यमिक स्तर पर एकीकृत शिक्षा (आईडीएसएस-सीएसएस) (केन्द्रीय हिस्सा) – 1200.00 लाख रुपये – रिक्त पदों एवं कम खरीद होने के कारण।

2. **मुख्यशीर्ष "2204"** – खेल एवं युवा सेवाएं – खेल व कीड़ा – (i) खेलकूद संघों को सहायता अनुदान – 100.00 लाख रुपये – कम सहायता अनुदान जारी होने के कारण।

(ii) विधान सभा क्षेत्रों में खेल गतिविधियां – 1500.00 लाख रुपये – योजना का कार्यान्वयन न होने के कारण।

3. **मुख्यशीर्ष "2203"** – तकनीकी शिक्षा – (क) अनुसंधान – विद्यार्थियों के लिए उद्यमिता विकास कार्यक्रम (तकनीकी) – 500.00 लाख रुपये – योजना की धीमी गति, भुगतान की प्रक्रिया फरवरी 2020 में अंतिम रूप से स्वीकृत हुई परन्तु कॉविड-19 महामारी की वजह से लॉकडाउन होने से क्रियांवित न हो सकी।

(ख) विश्वविद्यालयों को तकनीकी शिक्षा के लिए सहायता – अनुप्रयुक्त विज्ञान के विश्वविद्यालयों को सहायता अनुदान – 1000.00 लाख रुपये – कम अनुदान जारी होने के कारण।

(ग) इंजीनियरिंग/तकनीकी कॉलेज एवं संस्थान – (i) तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम (टीईक्यूआईपी) के लिए दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को सहायता अनुदान (सीएसएस) – 100.00 लाख रुपये – कम अनुदान जारी होने के कारण।

(ii) विश्वविद्यालय व कालेजों में उष्मायन केन्द्र की स्थापना – 400.00 लाख रुपये – कम मरम्मत कार्यों, कम बिलों की प्राप्ति एवं वित्त विभाग द्वारा कॉविड-19 महामारी की वजह से निधियों को जारी करने के प्रस्ताव को अनुमोदित न करने के कारण।

(iii) अनुसंधान अनुदान योजना – 1000.00 लाख रुपये – सक्षम अधिकारी द्वारा प्रस्ताव को अनुमोदित न करने के कारण राशि का उपयोग नहीं किया जा सका।

4. **मुख्यशीर्ष "2230"** – श्रम एवं रोजगार – प्रशिक्षण – औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान – विद्यार्थियों के लिए उद्यमिता विकास कार्यक्रम (आई.टी.आई) – 500.00 लाख रुपये – कार्य की धीमी गति के कारण।

5. **मुख्यशीर्ष "2205"** – कला एवं संस्कृति – (क) कला व संस्कृति का विकास – (i) नई भाषा अकादमियों की स्थापना – 2500.00 लाख रुपये – रिक्त पदों, कम खरीद होने, कम बिलों की प्राप्ति एवं नई भाषा अकादमियों का विभाजन होने के कारण।

(ii) सांस्कृतिक गतिविधियों के संवर्धन के लिए नई पहल – राज्य स्तरीय नृत्य एवं गायन प्रतिभाओं की खोज के लिए वार्षिक श्रृंखला योजना – 500.00 लाख रुपये – प्रशासनिक कारणों की वजह से योजना कार्यान्वित न हो सकी।

(iii) 11 कार्यक्रम अधिकारियों की भर्ती – 100.00 लाख रुपये – कम खरीद होने एवं कम कार्यक्रम अधिकारियों की भर्ती होने के कारण।

(iv) युवा महोत्सव – 500.00 लाख रुपये – प्रशासनिक कारणों की वजह से योजना कार्यान्वित न हो सकी।

6. **मुख्यशीर्ष "2202"** – सामान्य शिक्षा – विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा – (क) विश्वविद्यालयों को सहायता – (i) पूर्व बाल्यावस्था देखभाल केन्द्र के लिए अम्बेडकर विश्वविद्यालय को सहायता अनुदान – 201.00 लाख रुपये – दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड द्वारा प्रस्तावित 8 पूर्व बाल्यावस्था देखभाल केन्द्रों को अम्बेडकर विश्वविद्यालय को न सौंपे जाने के कारण।

(ii) दिल्ली शिक्षकों का विश्वविद्यालय – 500.00 लाख रुपये – कम सहायता अनुदान जारी होने के कारण।

(ख) गैर-सरकारी कॉलेजों को सहायता – कॉलेज जाने वाली छात्राओं के लिए छात्रावास निर्माण हेतु कॉलेजों को सहायता अनुदान – 100.00 लाख रुपये – कम सहायता अनुदान जारी होने के कारण।

(ग) उच्च शिक्षा संस्थान – (i) राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (सीएसएस) – 500.00 लाख रुपये – भारत सरकार से सहायता राशि प्राप्त न होने के कारण।

(ii) राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (राज्य अंश) – 500.00 लाख रुपये – योजना का कार्यान्वयन न होने के कारण।

(घ) अन्य व्यय – नई शिक्षा प्रयोग का अध्ययन – 150.00 लाख रुपये – योजना का कार्यान्वयन न होने के कारण।

बचत/अधिक व्यय मुख्यतः निम्नलिखित मुख्यशीर्षों के अन्तर्गत हुई :-

(लाख रुपयों में)

शिक्षा निदेशालय

मुख्यशीर्ष "2202"

सामान्य शिक्षा

मू.	1221454.62)			
पू.	35.00)			
पु.	-215665.77)	1005823.85	966689.69	-39134.16

मुख्यशीर्ष "2204"

खेल एवं युवा सेवायें

मू.	15341.88)			
पु.	-2968.42)	12373.46	10188.21	-2185.25

प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय

मुख्यशीर्ष "2203"

तकनीकी शिक्षा

मू.	33605.86)			
पू.	1.00)			
पु.	-1701.16)	31905.70	24324.58	-7581.12

मुख्यशीर्ष "2230"

श्रम एवं रोजगार

मू.	16010.14)			
पू.	4.00)			
पु.	-3987.84)	12026.30	11266.46	-759.84

जी.बी. पंत इंजीनियरिंग कॉलेज

मुख्यशीर्ष "2203"

तकनीकी शिक्षा

मू.	1420.00)			
पु.	39.00)	1459.00	966.63	—492.37

राष्ट्रीय कैंडेट कोर

निदेशालय

मुख्यशीर्ष "2204"

खेल एवं युवा सेवायें

मू.	2199.00)			
पु.	—41.00)	2158.00	1920.79	—237.21

ललित कला महाविद्यालय

मुख्यशीर्ष "2205"

कला एवं संस्कृति

मू.	1395.00)			
पु.	—76.00)	1319.00	904.40	—414.60

भाषा विभाग

मुख्यशीर्ष "2202"

सामान्य शिक्षा

मू.	1895.00)			
पू.	1.00)			
पु.	34.00)	1930.00	1195.87	—734.13

मुख्यशीर्ष "2205"

कला एवं संस्कृति

मू.	14065.00)			
पू.	38.00)			
पु.	—1645.00)	12458.00	8020.95	—4437.05

पुरातत्व विभाग

मुख्यशीर्ष "2205"

कला एवं संस्कृति

मू.	661.00)			
पु.	—137.00)	524.00	508.31	—15.69

दिल्ली अभिलेखागार

मुख्यशीर्ष "2205"

कला एवं संस्कृति

मू.	1951.50)			
पु.	—659.50)	1292.00	1199.97	—92.03

उच्च शिक्षा निदेशालय

मुख्यशीर्ष "2202"

सामान्य शिक्षा

मू.	38450.00)			
पू.	8.00)			
पु.	—2633.00)	35825.00	34888.47	—936.53

1.00 करोड़ रुपये से अधिक बचत मुख्यतः निम्नलिखित उपशीर्षों के अंतर्गत हुई :-

1. **मुख्यशीर्ष "2202"**— सामान्य शिक्षा — (अ) प्रारंभिक शिक्षा — (क) सरकारी प्राथमिक विद्यालय — वर्तमान सरकारी विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक/प्राथमिक कक्षाओं का प्रावधान — 3906.08 लाख रुपये की बचत (23390.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों, खरीद न होने एवं एम.ए.सी. पी./स्टैपिंग अप मामलों का निपटारा न होने के कारण हुई।

(ख) प्राथमिक शिक्षा के लिए क्षेत्रिय निकायों को सहायता — (i) दिल्ली नगर निगम — प्राथमिक शिक्षा के लिए उत्तरी दिल्ली नगर निगम को सहायता अनुदान — 6731.00 लाख रुपये की बचत (70000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम सहायता अनुदान जारी होने के कारण हुई।

(ii) दिल्ली नगर निगम — प्राथमिक शिक्षा के लिए दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को सहायता अनुदान — 2200.00 लाख रुपये की बचत (45800.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम सहायता अनुदान जारी होने के कारण हुई।

(iii) दिल्ली नगर निगम — प्राथमिक शिक्षा के लिए पूर्वी दिल्ली नगर निगम को सहायता अनुदान — 2431.00 लाख रुपये की बचत (40000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम सहायता अनुदान जारी होने के कारण हुई।

(ग) स्कूल में मिड डे मील के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम — (i) बच्चों के लिए मिड डे मील (सीएसएस) — 109.29 लाख रुपये की बचत (3539.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः कॉविड-19 महामारी की वजह से कुछ प्रस्तावों के अंतिम रूप से स्वीकृत न हो सकने एवं स्कूलों के बंद होने की वजह से स्कूल स्तर पर बिलों का सत्यापन न हो सकने के कारण हुई।

(ii) मिड डे मील कार्यक्रम के लिए सहायता प्राप्त स्कूलों को सहायता अनुदान (सीएसएस) — 212.46 लाख रुपये की बचत (500.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम सहायता अनुदान जारी होने के कारण हुई।

(iii) बच्चों के लिए मिड डे मील (राज्य अंश) — 844.68 लाख रुपये की बचत (3500.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम सहायता अनुदान जारी होने के कारण हुई।

(iv) मिड डे मील कार्यक्रम के लिए सहायता प्राप्त स्कूलों को सहायता अनुदान (राज्य अंश) — 398.08 लाख रुपये की बचत (500.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम सहायता अनुदान जारी होने एवं कॉविड-19 महामारी की वजह से कुछ प्रस्तावों के अंतिम रूप से स्वीकृत न होने एवं स्कूलों के बंद होने की वजह से स्कूल स्तर पर बिलों का सत्यापन न हो सकने के कारण हुई।

(घ) अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना — (i) बच्चों के लिए मिड डे मील (सीएसएस) (एससीएसपी) — 194.70 लाख रुपये की बचत (700.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम खरीद होने, समय पर बिलों के प्राप्त न होने, कॉविड-19 महामारी की वजह से कुछ प्रस्तावों के अंतिम रूप से स्वीकृत न होने एवं स्कूलों के बंद होने की वजह से स्कूल स्तर पर बिलों का सत्यापन न हो सकने के कारण हुई।

(ii) बच्चों के लिए मिड डे मील (राज्य अंश) (एससीएसपी) — 401.16 लाख रुपये की बचत (800.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम खरीद होने, समय पर बिलों के प्राप्त न होने, कॉविड-19 महामारी की वजह से कुछ प्रस्तावों के अंतिम रूप से स्वीकृत न होने एवं स्कूलों के बंद होने की वजह से स्कूल स्तर पर बिलों का सत्यापन न हो सकने के कारण हुई।

(ब) माध्यमिक शिक्षा – (क) उपकरण – विद्यालय विस्तार कार्यक्रम – 728.59 लाख रुपये की बचत (900.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम खरीद होने, समय पर बिलों के प्राप्त न होने एवं विद्यालयों व प्रशासनिक शाखाओं द्वारा निधियों का कम उपयोग करने के कारण हुई।

(ख) भवनों का रखरखाव – विद्यालय कल्याण समिति (वी.के.एस./एस.एम.सी.) – 1693.58 लाख रुपये की बचत (6900.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः मरम्मतों आदि पर कम व्यय करने एवं विद्यालयों द्वारा निधियों का कम उपयोग करने के कारण हुई।

(ग) निरीक्षण – निरीक्षण – 862.97 लाख रुपये की बचत (3410.95 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम बिलों/दावों के प्राप्त होने, एम.ए.सी.पी./स्टैंपिंग अप मामलों का निपटारा न होने एवं रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

(घ) अनौपचारिक शिक्षा – पत्राचार पाठ्यक्रम द्वारा माध्यमिक स्तर पर पर्यवेक्षीय अनुदेश – 192.95 लाख रुपये की बचत (706.40 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम बिलों/दावों के प्राप्त होने, एम.ए.सी.पी./स्टैंपिंग अप मामलों का निपटारा न होने एवं रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

(ङ) शिक्षक एवं अन्य सेवायें – शिक्षक नवाचार गतिविधियों को बढ़ावा देना – 999.76 लाख रुपये की बचत (1000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः योजना की धीमी गति एवं विद्यालयों द्वारा निधियों के कम उपयोग करने के कारण हुई।

(च) शिक्षक प्रशिक्षण – एस.सी.ई.आर.टी. को सहायता अनुदान – 2101.00 लाख रुपये की बचत (6100.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम सहायता अनुदान जारी होने एवं तकनीकी कारणों की वजह से प्रस्ताव में देरी के कारण हुई।

(छ) पाठ्य पुस्तकें – (i) पाठ्य पुस्तकों की मुफ्त आपूर्ति – 1876.07 लाख रुपये की बचत (15000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम खरीद होने, समय पर बिलों के प्राप्त न होने एवं लाभार्थियों की संख्या कम होने के कारण हुई।

(ii) स्कूली पुस्तकालयों में सुधार – 142.09 लाख रुपये की बचत (900.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम खरीद होने एवं समय पर बिलों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

(ज) परीक्षाएं – गुणवत्ता सुधार के लिए परीक्षा सुधार शाखा – 279.30 लाख रुपये की बचत (2500.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः विद्यालयों द्वारा निधियों का कम उपयोग किये जाने के कारण हुई।

(झ) सरकारी माध्यमिक विद्यालय – (i) सरकारी माध्यमिक विद्यालय – 17300.44 लाख रुपये की बचत (182563.46 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों, कम बिलों की प्राप्ति एवं एम.ए.सी.पी./स्टैंपिंग अप मामलों का निपटारा न होने के कारण हुई।

(ii) बारहवीं कक्षा में कंप्यूटर विज्ञान का परिचय – 2936.39 लाख रुपये की बचत (10000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम खरीद होने एवं तकनीकी कारणों की वजह से प्रस्तावों में देरी के कारण हुई।

(iii) लड़कियों में मासिक चक्र स्वच्छता – 154.90 लाख रुपये की बचत (1500.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः सेवादाताओं से बिलों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

(iv) अतिरिक्त स्कूली सुविधाएं – 54115.45 लाख रुपये की बचत (440976.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों, कम बिलों की प्राप्ति, कम कर्मचारियों की भर्ती, कम खरीद एवं एम.ए.सी.पी./स्टैपिंग अप मामलों का निपटारा न होने के कारण हुई।

(v) विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा – 3526.54 लाख रुपये की बचत (9619.50 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों, समय पर बिलों के प्राप्त न होने, कम खरीद होने एवं बिलों का निपटारा न होने के कारण हुई।

(vi) स्कूलों में शैक्षिक और व्यावसायिक मार्गदर्शन सेवा – 150.90 लाख रुपये की बचत (505.50 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों एवं कम बिलों की प्राप्ति के कारण हुई।

(vii) स्कूलों में योग योजना का परिचय – 1898.28 लाख रुपये की बचत (4831.25 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम बिलों की प्राप्ति, एम.ए.सी.पी./स्टैपिंग अप मामलों का निपटारा न होने एवं रिक्त पदों के न भरने के कारण हुई।

(viii) सरकारी स्कूलों में ग्रीष्मकालीन शिविरों का आयोजन – 5766.41 लाख रुपये की बचत (7000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम बिलों की प्राप्ति, कम ग्रीष्मकालीन शिविरों के आयोजित होने एवं कम संख्या में विद्यार्थियों के शिविर में भाग लेने के कारण हुई।

(ix) डिजिटल लर्निंग के प्रचार के लिए प्रतिभा फेलोशिप (सरकारी स्कूलों/आर.पी.वी.वी) – 423.62 लाख रुपये की बचत (2110.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः योजना की धीमी गति के कारण हुई।

(ज) गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को सहायता – अन्य व्ययों के लिए सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों को सहायता – 182.59 लाख रुपये की बचत (300.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः एम.ए.सी.पी./स्टैपिंग अप मामलों का निपटारा न होने एवं रिक्त पदों के न भरने के कारण हुई।

(ट) अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना – (i) पाठ्य पुस्तकों का निःशुल्क वितरण (एस.सी. एस.पी.) – 498.10 लाख रुपये की बचत (4000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः लाभार्थियों की संख्या कम होने के कारण हुई।

(ii) छात्रों को विद्यालय वर्दियों पर छूट (एस.सी.एस.पी.) – 179.01 लाख रुपये की बचत (4500.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः लाभार्थियों की संख्या कम होने के कारण हुई।

(ठ) अन्य व्यय – (i) सर्वोत्तम विधार्थियों, विद्यालयों एवं अध्यापकों को प्रोत्साहन – 149.17 लाख रुपये की बचत (190.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम पुरस्कार देने के कारण हुई।

(ii) छात्रों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण के लिए सहायता प्राप्त विद्यालयों को सहायता अनुदान – 209.32 लाख रुपये की बचत (950.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः लाभार्थियों की संख्या कम होने के कारण हुई।

(iii) छात्रों को विद्यालय वर्दियों पर छूट के लिए सहायता प्राप्त विद्यालयों को सहायता अनुदान – 164.77 लाख रुपये की बचत (1700.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः लाभार्थियों की संख्या कम होने के कारण हुई।

(iv) निजी विद्यालयों में निःशुल्क कोटा के अन्तर्गत प्रवेश छात्रों को पाठ्य पुस्तकों/वर्दियों हेतु सहायता अनुदान – 199.18 लाख रुपये की बचत (300.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों से दावों के न मिलने के कारण जिलों द्वारा निधियों का कम उपयोग करने के कारण हुई।

(स) सामान्य – (क) (i) निर्देशन एवं प्रशासन – 567.34 लाख रुपये की बचत (3390.21 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों, कम बिलों के प्राप्त होने एवं एम.ए.सी.पी./स्टैंपिंग अप मामलों का निपटारा न होने के कारण हुई।

(ii) बाल अधिकार संरक्षण के लिए दिल्ली आयोग को सहायता अनुदान (डीसीपीसीआर) – 875.00 लाख रुपये की बचत (1800.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम सहायता अनुदान जारी होने के कारण हुई।

(iii) शिक्षा व्यवसायिक मार्गदर्शन परिषद् (ईवीजीसी) (मुस्कान कार्यक्रमों सहित योजना) – 286.95 लाख रुपये की बचत (300.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः लॉकडाउन की वजह से प्रशासनिक शाखा द्वारा निधि का उपयोग न करने के कारण हुई।

(ख) छात्रवृत्ति – (i) शैक्षणिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यक छात्रों का कल्याण – 119.61 लाख रुपये की बचत (2000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः लाभार्थियों की संख्या कम होने के कारण हुई।

(ii) विकलांगों के लिए माध्यमिक स्तर पर एकीकृत शिक्षा (आई.ई.डी.एस.एस.) (राज्य अंश) – 289.70 लाख रुपये की बचत (4570.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम बिलों/दावों के प्राप्त होने एवं विद्यालय स्तर पर कम व्यय होने के कारण हुई।

2. **मुख्यशीर्ष "2204"** – खेल एवं युवा सेवाएं – (क) छात्रों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम – स्कूलों में छात्राओं के लिए आत्मरक्षा – 107.00 लाख रुपये की बचत (1000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः विद्यालय द्वारा निधि के कम उपयोग करने के कारण हुई।

(ख) गैर छात्रों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम – (i) उत्कृष्ट खिलाड़ियों को नगद प्रोत्साहन एवं राजीव गांधी खेल पुरस्कार – 105.97 लाख रुपये की बचत (1500.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान तुलना में) मुख्यतः कॉविड-19 लॉकडाउन की वजह से गतिविधि आयोजित न हो सकने के कारण हुई।

(ii) उत्कृष्टता अभियान – खिलाड़ियों के लिए वित्तीय सहायता – 878.01 लाख रुपये की बचत (1500.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान तुलना में) मुख्यतः लाभार्थियों की संख्या कम होने एवं कॉविड-19 लॉकडाउन की वजह से गतिविधियां आयोजित न हो सकने के कारण हुई।

(ग) खेल व क्रीड़ा – (i) खेलों को प्रोत्साहन – 202.20 लाख रुपये की बचत (1238.30 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान तुलना में) मुख्यतः कम बिलों/दावों के प्राप्त होने, कम खरीद होने, एम.ए.सी.पी./स्टैंपिंग अप मामलों का निपटारा न होने एवं रिक्त पदों के न भरने के कारण हुई।

(ii) खेलकूद एवं क्रीड़ा गति-विधियों को प्रोत्साहन – 1159.98 लाख रुपये की बचत (5958.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान तुलना में) मुख्यतः कम बिलों के प्राप्त होने, कम खरीद होने, एम.ए.सी.पी./स्टैंपिंग अप मामलों का निपटारा न होने एवं रिक्त पदों के न भरने के कारण हुई।

(iii) खेल और प्रगति-खेल में उत्कृष्टता के लिए स्कूली छात्रों के लिए वित्तीय सहायता - 1010.13 लाख रुपये की बचत (2000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान तुलना में) मुख्यतः कम खरीद होने एवं कॉविड-19 लॉकडाउन की वजह से गतिविधि आयोजित न हो सकने के कारण हुई।

3. **मुख्यशीर्ष "2203"**— तकनीकी शिक्षा — (क) निर्देशन एवं प्रशासन — तकनीकी शिक्षा निदेशालय — 199.54 लाख रुपये की बचत (1370.54 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान तुलना में) मुख्यतः एम.ए.सी.पी./ए.सी.पी. मामलों का निपटारा न होने एवं कॉविड-19 महामारी की वजह से लॉकडाउन होने के कारण बिलों का भुगतान न हो सकने के कारण हुई।

(ख) तकनीकी शिक्षा के लिए विश्वविद्यालयों को सहायता — नेताजी सुभाष तकनीकी संस्थान को सहायता अनुदान — 196.75 लाख रुपये की बचत (3000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान तुलना में) मुख्यतः वित्त/योजना विभाग द्वारा विश्वविद्यालयों के पिछले वर्ष की अव्ययित शेष राशि पर विचार करते हुए राशि पर प्रतिबंध लगाने एवं कॉविड-19 महामारी की वजह से लॉकडाउन होने के कारण हुई।

(ग) पोलिटेक्निक — निर्देशन एवं प्रशासन — 4124.61 लाख रुपये की बचत (14636.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान तुलना में) मुख्यतः संकाय सदस्यों को सातवें वेतन आयोग के बकायों का भुगतान न करने एवं कॉविड-19 महामारी की वजह से लॉकडाउन लगने से खरीद/बिलों का भुगतान न कर सकने के कारण हुई।

(घ) इंजीनियरिंग/तकनीकी कालेज और संस्थान — (i) वाणिज्यिक संस्थान — 161.23 लाख रुपये की बचत (689.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों एवं कम बिलों की प्राप्ति होने के कारण हुई।

(ii) अम्बेडकर तकनीकी संस्थान — 511.14 लाख रुपये की बचत (1717.50 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों, कम बिलों की प्राप्ति, कम विदेशी यात्राओं, कम खरीद, लाभार्थियों की संख्या कम होने एवं कॉविड-19 महामारी की वजह से लॉकडाउन लगने से बिलों का भुगतान न कर सकने के कारण हुई।

(iii) दिल्ली तकनीकी विश्वविद्यालय को सहायता अनुदान — 225.00 लाख रुपये की बचत (2900.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः वित्त/योजना विभाग द्वारा विश्वविद्यालयों के पिछले वर्ष की अव्ययित शेष राशि पर विचार करते हुए राशि पर प्रतिबंध लगाने एवं कॉविड-19 महामारी की वजह से लॉकडाउन होने के कारण हुई।

(iv) दिल्ली औषध विज्ञान एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय को सहायता अनुदान — 125.00 लाख रुपये की बचत (2200.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः वित्त/योजना विभाग द्वारा विश्वविद्यालयों के पिछले वर्ष की अव्ययित शेष राशि पर विचार करते हुए राशि पर प्रतिबंध लगाने एवं कॉविड-19 महामारी की वजह से लॉकडाउन होने के कारण हुई।

(v) महिलाओं के लिए तकनीकी विश्वविद्यालय को सहायता अनुदान — 150.00 लाख रुपये की बचत (1900.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः वित्त/योजना विभाग द्वारा विश्वविद्यालयों के पिछले वर्ष की अव्ययित शेष राशि पर विचार करते हुए राशि पर प्रतिबंध लगाने एवं कॉविड-19 महामारी की वजह से लॉकडाउन होने के कारण हुई।

(vi) दिल्ली उपकरण इंजीनियरिंग संस्थान — 200.00 लाख रुपये की बचत (1700.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः सहायता अनुदान जारी न होने के कारण हुई।

4. **मुख्यशीर्ष "2230"** – श्रम एवं रोजगार – प्रशिक्षण – (क) निर्देशन एवं प्रशासन – (i) औद्योगिक प्रशिक्षण निदेशालय – 146.34 लाख रुपये की बचत (737.55 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम बिलों की प्राप्ति, रिक्त पदों, कम विदेशीय यात्राओं, कम खरीद होने, एम.ए.सी.पी./ए.सी.पी. मामलों का निपटारा न होने एवं कॉविड-19 महामारी की वजह से लॉकडाउन लगने से बिलों का भुगतान न कर सकने के कारण हुई।
- (ii) 25 विश्व स्तरीय कौशल केन्द्रों की स्थापना – 2253.60 लाख रुपये की बचत (2300.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों, कम निर्माण कार्यों, कम खरीद होने एवं समय से बिलों के प्राप्त न होने के कारण हुई।
- (ख) शिल्पकार व पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण – शिल्पकार प्रशिक्षण योजना – 1385.81 लाख रुपये की बचत (11006.59 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों, कम बिलों के प्राप्त होने, कम खरीद होने एवं एम.ए.सी.पी./ए.सी.पी. मामलों का निपटारा न होने एवं कॉविड-19 महामारी की वजह से लॉकडाउन लगने से बिलों का भुगतान न कर सकने के कारण हुई।
- (ग) अन्य व्यय – जोनापुर में कौशल केन्द्र – 120.06 लाख रुपये की बचत (250.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कॉविड-19 महामारी की वजह से लॉकडाउन लगने से कुछ खरीद/बिलों का भुगतान न हो सकने के कारण हुई।
5. **मुख्यशीर्ष "2203"** – तकनीकी शिक्षा – इंजीनियरिंग/तकनीकी कॉलेज/संस्थान – जी.बी.पंत इंजीनियरिंग कॉलेज, औखला – 404.46 लाख रुपये की बचत (1370.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः संकाय सदस्यों को प्रशासनिक कारणों की वजह से सातवें वेतन आयोग के बकायों का भुगतान न होने एवं कॉविड-19 महामारी की वजह से प्रस्तावों के पूरा न होने के कारण हुई।
6. **मुख्यशीर्ष "2204"** – खेल एवं युवा सेवाएं – विद्यार्थियों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम – एन.सी.सी./ए.सी.सी. – 271.28 लाख रुपये की बचत (2130.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः 2019-20 के संशोधित अनुमान को देरी से अनुमोदन मिलने एवं कॉविड-19 महामारी व लॉकडाउन की वजह से बजट का पूर्णतः उपयोग न कर सकने के कारण हुई।
7. **मुख्यशीर्ष "2205"** – कला एवं संस्कृति – ललित कला शिक्षा – ललित कला महाविद्यालय – मुख्यालय स्थापना – 479.54 लाख रुपये की बचत (1383.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों, सातवें वेतन आयोग के बकायों का भुगतान न होने, कम दावों/ बिलों की प्राप्ति एवं कम्प्यूटर की खरीद के लिए निविदा के अंतिम रूप से स्वीकृत न होने के कारण हुई।
8. **मुख्यशीर्ष "2202"** – सामान्य शिक्षा – प्रारम्भिक शिक्षा – शिक्षक प्रशिक्षण – (i) स्कूलों में पंजाबी शिक्षण कार्यक्रमों के लिए पंजाबी अकादमी को अनुदान – 491.28 लाख रुपये की बचत (1130.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः अंशकालिक पंजाबी भाषा अध्यापक को बकायों का भुगतान न करने एवं दिल्ली विधान सभा चुनाव व कॉविड-19 महामारी की वजह से बच्चों व युवाओं के लिए निर्धारित कार्यक्रमों के आयोजित न हो सकने के कारण हुई।
- (ii) स्कूलों में संस्कृत शिक्षण कार्यक्रमों के लिए संस्कृत अकादमी को अनुदान – 118.58 लाख रुपये की बचत (315.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कॉविड-19 महामारी की वजह से नए अंशकालिक अध्यापकों की भर्ती न हो सकने के कारण हुई।

9. **मुख्यशीर्ष "2205"** – कला एवं संस्कृति – (क) कला व संस्कृति का विकास – (i) संस्कृत अकादमी को अनुदान – 125.42 लाख रुपये की बचत (515.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः दिल्ली विधान सभा चुनाव व कॉविड-19 महामारी की वजह से कुछ कार्यक्रमों के आयोजित न हो सकने के कारण हुई।

(ii) साहित्य कला परिषद को सहायता अनुदान (सामान्य अनुदान)– 215.73 लाख रुपये की बचत (828.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः दिल्ली विधान सभा चुनाव व कॉविड-19 महामारी की वजह से वित्तीय वर्ष 2019-20 की आखिरी तिमाही के दौरान निर्धारित कार्यक्रमों का आयोजन न होने के कारण हुई।

(iii) राजकीय समारोहों के आयोजन के लिए साहित्य कला परिषद को सहायता अनुदान – 249.01 लाख रुपये की बचत (700.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः दिल्ली विधान सभा चुनाव व कॉविड-19 महामारी की वजह से वित्तीय वर्ष 2019-20 की आखिरी तिमाही के दौरान निर्धारित कार्यक्रमों का आयोजन न होने के कारण हुई।

(iv) सांस्कृतिक गतिविधियों के संवर्धन के लिए नई पहल – सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए विधानसभा स्तरीय कोष – 1086.72 लाख रुपये की बचत (1750.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः दिल्ली विधान सभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता के लागू होने एवं कॉविड-19 महामारी की वजह से योजना का कार्यान्वयन आंशिक रूप से होने के कारण हुई।

(v) सांस्कृतिक गतिविधियों के संवर्धन के लिए नई पहल – गली थियेटर एवं प्रदर्शन कलाएं – 450.00 लाख रुपये की बचत (600.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः दिल्ली विधान सभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता के लागू होने एवं कॉविड-19 महामारी की वजह से योजना का कार्यान्वयन आंशिक रूप से होने के कारण हुई।

(ख) सार्वजनिक पुस्तकालय – पंजाबी अकादमी द्वारा संचालित सभी विधान सभा क्षेत्रों में संयुक्त पुस्तकालय योजना – 368.31 लाख रुपये की बचत (875.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों एवं नमूना पुस्तकालयों का डिजिटलीकरण न होने के कारण हुई।

(ग) पुरातत्व सर्वेक्षण – पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग – 127.69 लाख रुपये की बचत (636.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों, कम बिलों की प्राप्ति, कम खरीद होने एवं कम विदेशी यात्राओं के कारण हुई।

(घ) अभिलेखागार – (i) दिल्ली अभिलेखागार – 108.96 लाख रुपये की बचत (412.50 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कॉविड-19 महामारी की वजह से लॉकडाउन लगने से शेष राशि का उपयोग न किए जा सकने के कारण हुई।

(ii) डिजिटलीकरण और माइक्रो अभिलेखों का फिल्मांकन और अभिलेखीय रिकॉर्ड का संरक्षण – 604.77 लाख रुपये की बचत (1500.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः योजना की धीमी गति के कारण हुई।

10. **मुख्यशीर्ष "2202"** – सामान्य शिक्षा – (क) विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा – निर्देशन व प्रशासन – 294.61 लाख रुपये की बचत (300.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः क्रियान्वयन करने वाली संस्था पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा निधियों का उपयोग न करने के कारण हुई।

(ख) गैर सरकारी कॉलेजों को सहायता – डिग्री कॉलेजों को सहायता अनुदान – 2901.00 लाख रुपये की बचत (26401.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः कम सहायता अनुदान जारी होने के कारण हुई।

(ग) अन्य व्यय – उद्यमिता विकास – 139.85 लाख रुपये की बचत (150.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः योजना की धीमी गति के कारण हुई।

इसके अतिरिक्त, 1674.82 लाख रुपये की बचत 23 उपशीर्षों के अंतर्गत हुई जो कि 50.00 लाख रुपये से अधिक परंतु 1.00 करोड़ रुपये से कम थी।

उपरोक्त बचतें निम्नलिखित उपशीर्षों के अंतर्गत हुए अधिक व्यय से अंशतः प्रतिसंतुलित की गयी थी।

1. **मुख्यशीर्ष "2202" – सामान्य शिक्षा – (अ) प्रारम्भिक शिक्षा – (क) स्कूलों में मिड-डे मील के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम – (i) मिड-डे मील कार्यक्रम के लिए उत्तरी दिल्ली नगर निगम को सहायता अनुदान (राज्य अंश) – 213.00 लाख रुपये का अधिक व्यय (901.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः अधिक अनुदान जारी होने के कारण हुआ।**
(ii) मिड-डे मील कार्यक्रम के लिए दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को सहायता अनुदान (राज्य अंश) – 106.00 लाख रुपये का अधिक व्यय (801.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः अधिक अनुदान जारी होने के कारण हुआ।
(ख) समग्र शिक्षा – (i) समग्र शिक्षा (राज्य अंश) – 20764.43 लाख रुपये का अधिक व्यय (3.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः अधिक अनुदान जारी होने के कारण हुआ।
(ii) समग्र शिक्षा (सी.एस.एस) – 21996.88 लाख रुपये का अधिक व्यय (3.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः अधिक अनुदान जारी होने के कारण हुआ।
(ब) माध्यमिक शिक्षा – (क) छात्रवृत्ति – मेधावी छात्रों के लिए मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति – 136.88 लाख रुपये का अधिक व्यय (601.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः अधिक बिलों के प्राप्त होने के कारण हुआ।
(ख) राजकीय माध्यमिक विद्यालय – (i) युवा योजना – 881.06 लाख रुपये का अधिक व्यय (6103.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 3.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः प्रकाशन पर अधिक व्यय, अधिक बिलों की प्राप्ति एवं अधिक खरीद होने के कारण हुआ।
(ii) सरकारी स्कूलों के 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों को सी.बी.एस.ई. परीक्षा के लिए छूट – 5433.13 लाख रुपये का अधिक व्यय (2.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः अधिक छूट जारी होने के कारण हुआ।
(iii) सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों को सी.बी.एस.ई. परीक्षा के लिए छूट – 494.19 लाख रुपये का अधिक व्यय (1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः अधिक छूट जारी होने के कारण हुआ।
(iv) पत्राचार विद्यालयों के स्कूलों के 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों को सी.बी.एस.ई. परीक्षा के लिए छूट – 200.76 लाख रुपये का अधिक व्यय (1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः अधिक छूट जारी होने के कारण हुआ।

(ग) गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को सहायता – (i) कर्मचारियों के वेतन हेतु सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों को सहायता – 367.20 लाख रुपये का अधिक व्यय (62100.50 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 0.50 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः अधिक अनुदान जारी होने के कारण हुआ।

(ii) शिक्षा का अधिकार अधिनियम – 5813.13 लाख रुपये का अधिक व्यय (7002.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 2.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः अधिक छूट जारी होने के कारण हुआ।

(घ) समग्र शिक्षा – (i) समग्र शिक्षा (राज्य अंश) – 5656.32 लाख रुपये का अधिक व्यय (2.50 लाख रुपये के पूरक प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः अधिक अनुदान जारी होने के कारण हुआ।

(ii) समग्र शिक्षा (सी.एस.एस) – 2896.07 लाख रुपये का अधिक व्यय (2.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः अधिक अनुदान जारी होने के कारण हुआ।

(स) सामान्य – अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना – शिक्षा का अधिकार अधिनियम (एस.सी. एस.पी.) – 1968.44 लाख रुपये का अधिक व्यय (2001.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः अधिक छूट जारी होने के कारण हुआ।

2. **मुख्यशीर्ष "2205"** – कला एवं संस्कृति – कला व संस्कृति का विकास – (i) हिंदी अकादमी को अनुदान – 136.08 लाख रुपये का अधिक व्यय (1441.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः अधिक अनुदान जारी होने के कारण हुआ।

(ii) पंजाबी अकादमी को अनुदान – 140.10 लाख रुपये का अधिक व्यय (996.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः अधिक अनुदान जारी होने के कारण हुआ।

(iii) गढ़वाली, कुमाउनी व जोनसारी अकादमी को सहायता अनुदान – 198.00 लाख रुपये का अधिक व्यय (2.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः अधिक अनुदान जारी होने के कारण हुआ।

3. **मुख्यशीर्ष "2202"** – सामान्य शिक्षा – विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा – विश्वविद्यालयों को सहायता – अम्बेडकर विश्वविद्यालय की स्थापना – 1998.00 लाख रुपये का अधिक व्यय (7002.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 2.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः अधिक अनुदान जारी होने के कारण हुआ।

इसके अतिरिक्त, 195.43 लाख रुपये का अधिक व्यय तीन उपशीर्षों के अंतर्गत हुआ जो कि 50.00 लाख रुपये से अधिक परंतु 1.00 करोड़ रुपये से कम था।

अनुदान के पूंजीगत भाग के स्वीकृत अंश में 26403.04 लाख रुपये की कुल बचत थी (39208.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 430.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) जोकि सम्पूर्ण स्वीकृत प्रावधान का 67.34 प्रतिशत थी।

1608.00 लाख रुपये की राशि 11 उपशीर्षों के अन्तर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रही। इसमें निम्नलिखित उपशीर्ष शामिल हैं :-

1. **मुख्यशीर्ष "4202"** – शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति पर पूंजी परिव्यय – तकनीकी शिक्षा – (क) पॉलिटेक्निक – नए पॉलिटेक्निक की स्थापना (सीएसएस) – 400.00 लाख रुपये – योजना का क्रियान्वयन न होने के कारण।
(ख) इंजीनियरिंग तकनीकी कॉलेज और संस्थान – अम्बेडकर तकनीकी संस्थान – 100.00 लाख रुपये – मशीनरी व उपकरणों की कम खरीद होने एवं कॉविड-19 महामारी की वजह से लॉकडाउन लगने से बिलों का भुगतान न हो सकने के कारण।
2. **मुख्यशीर्ष "4250"** – अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय – श्रम – (i) सरकारी आई.टी.आई. का आदर्श आई.टी.आई. में उन्नयन (सी.एस.एस.) – 295.00 लाख रुपये – मुख्यतः मशीनरी व उपकरणों की कम खरीद होने एवं योजना की धीमी प्रगति होने के कारण।
(ii) सरकारी आई.टी.आई. का आदर्श आई.टी.आई. में उन्नयन (राज्य अंश) – 127.00 लाख रुपये – मुख्यतः योजना का क्रियान्वयन न होने के कारण।
3. **मुख्यशीर्ष "4202"** – शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति पर पूंजी परिव्यय – (अ) कला एवं संस्कृति – ललित कला शिक्षा – दिल्ली कला केन्द्र – 100.00 लाख रुपये – योजना का आंशिक रूप से क्रियान्वयन होने के कारण।
(ब) सामान्य शिक्षा – उच्च शिक्षा एवं विश्वविद्यालय – खेल विश्वविद्यालय की स्थापना – 500.00 लाख रुपये – कार्य की धीमी प्रगति के कारण।

बचत/अधिक व्यय मुख्यतः निम्नलिखित मुख्यशीर्षों के अन्तर्गत हुई :-

(लाख रुपयों में)

शिक्षा निदेशालय

मुख्यशीर्ष "4202"

शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति
पर पूंजी परिव्यय

मू.	7460.00)			
पु.	-3045.00)	4415.00	3869.72	-545.28

प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय

मुख्यशीर्ष "4202"

शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति
पर पूंजी परिव्यय

मू.	10950.00)			
पु.	-3580.00)	7370.00	3228.63	-4141.37

मुख्यशीर्ष "4250"

अन्य सामाजिक सेवाओं
पर पूंजी परिव्यय

मू.	15422.00)			
पू.	28.00)			
पु.	-10622.00)	4828.00	3143.21	-1684.79

मुख्यशीर्ष "6202"

शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति
पर ऋण

मू.	2500.00)			
पु.	-1500.00)	1000.00	1000.00	..

पुरातत्व विभाग**मुख्यशीर्ष "4202"**

शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति
पर पूंजी परिव्यय

मू.	675.00)			
पु.	-370.00)	305.00	195.92	-109.08

1.00 करोड़ रुपये से अधिक बचत मुख्यतः निम्नलिखित उपशीर्षों के अंतर्गत हुई :-

1. **मुख्यशीर्ष "4202"** - शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति पर पूंजी परिव्यय - (अ) सामान्य शिक्षा - सामान्य - विद्यालय भवनों के काम की आउटसोर्सिंग - 2688.28 लाख रुपये की बचत (5000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य की धीमी प्रगति के कारण हुई।

(ब) खेल-कूद युवा सेवाएं व क्रीडा स्टेडियम - अन्य व्यय - खेल के मैदान, खेल परिसर तरणताल आदि का विकास - 902.00 लाख रुपये की बचत (2460.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः क्रियान्वयन करने वाले विभाग पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा पूर्ण व्यय न किये जाने के कारण हुई।

(स) तकनीकी शिक्षा - (क) पोलिटेक्निक - उपकरण - 846.50 लाख रुपये की बचत (1000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः मशीनरी व उपकरण की कम खरीद होने एवं कॉविड-19 महामारी की वजह से लॉकडाउन लगने से फर्नीचर, खराद मशीनों व सी.एन.सी. मशीनों को खरीदने की निविदाओं का निपटारा न हो सकने के कारण हुई।

(ख) इंजीनियरिंग तकनीकी कॉलेज और संस्थान - स्वायत्त संस्थानों/विश्वविद्यालयों के लिए बुनियादी ढांचागत परियोजनाएं - 6328.10 लाख रुपये की बचत (9400.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य की धीमी प्रगति एवं डी.टी.यू. व एन.एस.यू.टी. के लिए पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा निधियों का उपयोग न होने के कारण हुई।

2. **मुख्यशीर्ष "4250"** - अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय - श्रम - (i) उपकरण - 566.67 लाख रुपये की बचत (1000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम मशीनरी व उपकरणों की खरीद होने एवं कॉविड-19 महामारी की वजह से लॉकडाउन लगने से फर्नीचर, खराद मशीनों व सी.एन.सी. मशीनों को खरीदने की निविदाओं का निपटारा न हो सकने के कारण हुई।

(ii) 25 कौशल केन्द्रों की स्थापना - 11290.12 लाख रुपये की बचत (14000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम मशीनरी व उपकरणों की खरीद होने, कार्य की धीमी प्रगति, डी.टी.टी. डी.सी. को फरवरी/मार्च 2020 के महीने में नए डब्ल्यू.सी.एस.सी. के निर्माण के लिए 90 प्रतिशत अग्रिम भुगतान जारी करने के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा प्रस्ताव को कॉविड-19 महामारी की वजह से अगले वित्त वर्ष तक स्थिर रखने के कारण हुई।

3. **मुख्यशीर्ष "6202"** - शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति के लिए ऋण - तकनीकी शिक्षा - इंजीनियरिंग/तकनीकी कॉलेज एवं संस्थान - इंद्रप्रस्थ सूचना तकनीकी संस्थान (आईआईआईटी) दिल्ली को ऋण - 1500.00 लाख रुपये की बचत (2500.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम ऋण जारी होने के कारण हुई।

4. **मुख्यशीर्ष "4202"** – शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति पर पूंजी परिव्यय – कला एवं संस्कृति – अन्य व्यय – स्मारकों का संरक्षण – 422.08 लाख रुपये की बचत (618.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य की धीमी प्रगति एवं कॉविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन लगने की वजह से व्यय के लिए रखे गए प्रस्ताव का निपटारा न होने के कारण हुई।

इसके अतिरिक्त, 176.28 लाख रुपये की बचत दो उपशीर्षों के अंतर्गत हुई जो कि 50.00 लाख रुपये से अधिक परंतु 1.00 करोड़ रुपये से कम थी ।

अनुदान संख्या 7 – चिकित्सा एवं जनस्वास्थ्य

	कुल अनुदान या विनियोजन	वास्तविक व्यय	बचत (-) अधिक व्यय (+)
--	------------------------------	------------------	--------------------------

(हजार रुपयों में)

राजस्व

प्रभारित

मूल	9,59,00)			
पूरक	2,54,78)	12,13,78	2,48,66	-9,65,12

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि -4,72,00

स्वीकृत –

मूल	6269,38,00)			
पूरक	22,00)	6269,60,00	5231,95,18	-1037,64,82

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि -858,39,78

पूंजीगत

प्रभारित

पूरक	1,93,92)	1,93,92	1,93,36	-56
------	----------	---------	---------	-----

स्वीकृत –

मूल	276,28,00)			
पूरक	25,94,53)	302,22,53	109,40,65	-192,81,88

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि -136,63,45

टीका एवं टिप्पणियां

अनुदान के राजस्व भाग के प्रभारित अंश में 965.12 लाख रुपये की कुल बचत थी (1213.78 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 254.78 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) जोकि सम्पूर्ण स्वीकृत विनियोजन का 79.51 प्रतिशत थी।

33.50 लाख रुपये की राशि 7 उपशीर्षों के अन्तर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रही।

बचत/अधिक व्यय मुख्यतः निम्नलिखित मुख्यशीर्षों के अन्तर्गत हुई :-

स्वास्थ्य सेवा निर्देशालय

(लाख रुपयों में)

मुख्यशीर्ष "2210"

चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य

मू.	6,50,00)			
पु.	-4,50,00)	2,00,00	1,01,30	-98.70

**गुरु तेग बहादुर मेडिकल
कॉलेज एवं अस्पताल
मुख्यशीर्ष "2210"**

चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	2,00,00	71,88	-1,28,12
---------------------------	---------	-------	----------

**श्री दादा देव मातृ एवं
शिशु चिकित्सालय
मुख्यशीर्ष "2210"**

चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य			
पू.	1,65,00	34,05	-1,30,95

1.00 करोड़ रुपये से अधिक की बचत मुख्यतः निम्नलिखित उपशीर्षों के अन्तर्गत हुई :-

1. **मुख्यशीर्ष "2210"**— चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य — शहरी स्वास्थ्य सेवाएं ऐलोपैथी — (क) निर्देशन एवं प्रशासन — चिकित्सा स्थापना — 548.70 लाख रुपये की बचत (650.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः अदालती मुकदमों का निपटारा न होने एवं न्यायालय के निर्देशानुसार देयताओं को पूरा करने के लिए राशि को रखने के कारण हुई।

(ख) अस्पताल एवं औषधालय — (i) गुरु तेग बहादुर चिकित्सा कॉलेज एवं अस्पताल — 128.12 लाख रुपये की बचत (200.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः न्यायालय में मामलों के लंबित होने की वजह से राशि अव्ययित रहने के कारण हुई।

(ii) श्री दादा देव मातृ एवं शिशु चिकित्सालय — 130.95 लाख रुपये की बचत (165.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः न्यायालय में मामलों के लंबित होने एवं उनपर अंतिम निर्णय न होने की वजह से राशि के अव्ययित रहने के कारण हुई।

इसके अतिरिक्त, 82.53 लाख रुपये की बचत एक उपशीर्ष के अंतर्गत हुई जो कि 50.00 लाख रुपये से अधिक परंतु 1.00 करोड़ रुपये से कम थी।

अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में 103764.82 लाख रुपये की कुल बचत थी (626960.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 22.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) जोकि सम्पूर्ण स्वीकृत प्रावधान का 16.55 प्रतिशत थी।

26455.00 लाख रुपये की राशि 50 उपशीर्षों के अन्तर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रही। जिसमें निम्नलिखित उपशीर्ष शामिल हैं :-

1. **मुख्यशीर्ष "2210"**— चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य — (अ) शहरी स्वास्थ्य सेवाएं ऐलोपैथी — (क) राज्य कर्मचारी बीमा योजना — कर्मचारी राज्य बीमा निगम को अंशदान — 500.00 लाख रुपये — ई.एस.आई. को कम अंशदान के कारण।

(ख) अस्पताल एवं औषधालय — दिल्ली में नए अस्पताल — 200.00 लाख रुपये — योजना के आंशिक रूप से कार्यान्वित होने के कारण।

(ग) अन्य स्वास्थ्य योजनाएं — (i) स्वास्थ्य बीमा — बीमा कंपनियों को भुगतान — 10000.00 लाख रुपये — बीमा कंपनियों को भुगतान न करने के कारण।

(ii) पी.पी.पी. के माध्यम से प्रयोगशाला की सुविधा – 2500.00 लाख रुपये – योजना के आंशिक रूप से कार्यान्वित होने के कारण।

(iii) टेली रेडियोलॉजी – 400.00 लाख रुपये – योजना के कार्यान्वित न होने के कारण।

(iv) पी.पी.पी. के माध्यम से सीटी स्कैन/एम.आर.आई – 2000.00 लाख रुपये – योजना के कार्यान्वित न होने के कारण।

(v) जन औषधी जेनेरिक फार्मसी की आउटसोर्सिंग – 100.00 लाख रुपये – योजना के आंशिक रूप से कार्यान्वित होने के कारण।

(vi) आम आदमी डेंटल क्लीनिक – 300.00 लाख रुपये – योजना के कार्यान्वित न होने के कारण।

(vii) स्वास्थ्य हेल्प लाईन – 500.00 लाख रुपये – योजना के आंशिक रूप से कार्यान्वित होने के कारण।

(viii) स्वास्थ्य कार्ड – 1000.00 लाख रुपये – योजना के कार्यान्वित न होने के कारण।

(ix) आंख एवं कान की देखभाल सेवाओं के लिए मोबाइल वैन क्लीनिक – 200.00 लाख रुपये – योजना के आंशिक रूप से कार्यान्वित होने के कारण।

(ब) सार्वजनिक स्वास्थ्य – (क) प्रशिक्षण – प्रशिक्षण एवं विनिमय कार्यक्रम (प्रबंध कौशल एवं कर्मचारी कौशल) – 500.00 लाख रुपये – योजना की धीमी गति, डॉक्टरों की कम संख्या एवं प्रस्तावित प्रशिक्षण क्षमता निर्माण कार्यक्रम के लिए संबंधित नियंत्रण अधिकारी द्वारा जिला/अस्पतालों में पैरा मेडिकल कर्मचारियों को भेजने/नामांकित करने के कारण।

(ख) अन्य व्यय – रोगी कल्याण समिति को सहायता अनुदान – 5000.00 लाख रुपये – सहायता अनुदान जारी न होने के कारण।

(ग) रोगों की रोकथाम एवं नियंत्रण – टेली चिकित्सा सुविधा – 125.00 लाख रुपये – कम खरीद होने एवं योजना की धीमी गति के कारण।

(स) चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान-एल्लोपैथी – (i) डी.डी.यू. मेडिकल कॉलेज की स्थापना – 100.00 लाख रुपये – योजना का कार्यान्वयन न होने के कारण।

(ii) विश्वविद्यालय का आयुर्विज्ञान महाविद्यालय – 500.00 लाख रुपये – योजना का कार्यान्वयन न होने के कारण।

2. **मुख्यशीर्ष "2211"** – परिवार कल्याण – (क) ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएं – उप केन्द्र (सी.एस.एस.) – 420.00 लाख रुपये – भारत सरकार से निधियों के प्राप्त न होने के कारण।

(ख) शहरी परिवार कल्याण सेवाएं – शहरी परिवार कल्याण केन्द्रों का सुधार (सी.एस.एस.) – 800.00 लाख रुपये – सहायता अनुदान जारी न होने के कारण।

(ग) मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य – विशेष प्रतिरक्षण योजना एम.एम.आर – 580.00 लाख रुपये – योजना का कार्यान्वयन न होने के कारण।

3. **मुख्यशीर्ष "2210"** – चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य – चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान – आयुर्वेद – आयुष संस्थानों/कॉलेजों का विकास एवं उच्चीकरण – आयुष औषधालयों को आवश्यक औषधियां (सीएसएस) – 200.00 लाख रुपये – भारत सरकार से निधियों के प्राप्त न होने के कारण।

बचत/अधिक व्यय मुख्यतः निम्नलिखित मुख्यशीर्षों के अन्तर्गत हुई :-

(लाख रुपयों में)

स्वास्थ्य सेवा निदेशालय

मुख्यशीर्ष "2210"

चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य

मू.	275687.00)			
पू.	17.00)			
पु.	-57272.00)	218432.00	210747.85	-7684.15

लोक नायक अस्पताल

मू.	52498.00)			
पु.	-3107.00)	49391.00	48609.46	-781.54

जी. बी. पंत अस्पताल

मू.	37822.00)			
पु.	-1553.73)	36268.27	33566.29	-2701.98

दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल

मू.	30522.00)			
पु.	-720.00)	29802.00	28546.26	-1255.74

गुरु तेग बहादुर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल

मू.	41667.00)			
पु.	-1679.00)	39988.00	39338.77	-649.23

गुरु नानक नेत्र केन्द्र

मू.	3749.00)			
पु.	-83.00)	3832.00	3763.52	-68.48

मौलाना आजाद चिकित्सा महाविद्यालय

मू.	21566.50)			
पु.	-839.50)	20727.00	20385.45	-341.55

खाद्य सुरक्षा विभाग

मू.	1799.50)			
पु.	-167.50)	1632.00	1570.70	-61.30

औषधी नियंत्रण विभाग

मू.	1106.00)			
पु.	-184.00)	922.00	772.96	-149.04

परिवार कल्याण निर्देशालय

मुख्यशीर्ष "2211"

परिवार कल्याण

मू.	18435.00)			
पु.	-9297.00)	9138.00	8883.81	-254.19

संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल

मुख्यशीर्ष "2210"

चिकित्सा एवं जनस्वास्थ्य

मू.	11884.00)			
पु.	-97.00)	11787.00	11699.64	-87.36

आयुष निर्देशालय

मू.	11987.00)			
पू.	3.00)			
पु.	-1349.00)	10641.00	10384.18	-256.82

डॉ० बाबा साहेब अम्बेडकर अस्पताल

मू.	19982.00)			
पु.	-540.00)	19442.00	18908.59	-533.41

**डॉ० बाबा साहेब अम्बेडकर मेडिकल
कॉलेज एवं अस्पताल**

मू.	3939.00)			
पु.	-1444.50)	2494.50	2359.64	-134.86

सरदार बल्लभ भाई पटेल अस्पताल

मू.	4146.00)			
पु.	-109.05)	4036.95	3972.77	-64.18

अतरसैन अस्पताल

मू.	976.00)			
पु.	-160.00)	816.00	704.52	-111.48

भगवान महावीर अस्पताल

मू.	7000.00)			
पु.	-1036.00)	5964.00	5848.11	-115.89

मालवीय नगर कॉलोनी अस्पताल

मू.	5056.50)			
पु.	-182.50)	4874.00	4865.19	-8.81

आचार्य भिक्षु अस्पताल

मू.	5978.00)			
पु.	-220.00)	5758.00	4998.98	-759.02

जग प्रवेश चंद्र अस्पताल

मू.	6290.00)			
पु.	-280.00)	6010.00	5734.18	-275.82

डा. एन.सी. जोशी मेमोरियल अस्पताल

मू.	2494.00)			
पु.	-130.00)	2364.00	2353.71	-10.29

राव तुला राम अस्पताल

मू.	5252.00)			
पु.	-474.00)	4778.00	4633.08	-144.92

गुरु गोविंद सिंह अस्पताल				
मू.	6016.00)			
पू.	1.00)			
पु.	-421.00)	5596.00	5370.74	-225.26
बाबू जग जीवन राम अस्पताल				
मू.	5685.00)			
पु.	-184.00)	5501.00	5439.93	-61.07
महर्षि बाल्मिकी अस्पताल				
मू.	5946.00)			
पु.	-656.00)	5290.00	5141.32	-148.68
सत्यवादी राजा हरीशचन्द्र अस्पताल				
मू.	4909.00)			
पु.	-219.00)	4690.00	4571.75	-118.25
ए.एवं.यू. तिब्बिया कालेज				
मू.	4074.00)			
पु.	-637.00)	3437.00	3192.62	-244.38
नेहरू हौम्योपैथी चिकित्सा कॉलेज एवं अस्पताल				
मू.	2234.50)			
पु.	-247.50)	1987.00	1993.33	6.33
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशालय मुख्यशीर्ष "2052"				
मू.	864.50)			
पु.	-101.00)	763.50	674.54	-88.96
मुख्यशीर्ष "2210"				
मू.	3000.00)			
पु.	-2900.00)	100.00	42.06	-57.94

1.00 करोड़ रुपये से अधिक की बचत मुख्यतः निम्नलिखित उपशीर्षों के अन्तर्गत हुई :-

1. **मुख्यशीर्ष "2210"** - चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य - (अ) शहरी स्वास्थ्य सेवायें ऐलोपैथी - (क) निर्देशन एवं प्रशासन - चिकित्सा स्थापना - 735.17 लाख रुपये की बचत (3049.95 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः कम बिलों की प्राप्ति, कम खरीद होने, रिक्त पदों के न भरने, एल.टी.सी. एवं कुछ आकस्मिकता बिलों का निपटारा न होने के कारण हुई।
(ख) मेडिकल स्टोर डिपो - रसद आपूर्ति एवं श्रृंखला प्रबंधन - 127.18 लाख रुपये की बचत (151.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों एवं कम खरीद होने के कारण हुई।

(ग) स्कूल स्वास्थ्य योजना – 413.59 लाख रुपये की बचत (2474.30 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों, कम खरीद होने एवं कम बिलों की प्राप्ति के कारण हुई।

(घ) अस्पताल एवं औषधालय – (i) सरकारी औषधालय – 5015.49 लाख रुपये की बचत (23353.50 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों, कम बिलों की प्राप्ति एवं कम खरीद होने के कारण हुई।

(ii) दिल्ली राज्य कैंसर संस्थान को सहायता अनुदान – 5501.00 लाख रुपये की बचत (13501.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः कम सहायता अनुदान जारी होने के कारण हुई।

(iii) मौलाना आजाद दंत विज्ञान संस्थान को सहायता अनुदान – 201.00 लाख रुपये की बचत (5701.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः कम सहायता अनुदान जारी होने के कारण हुई।

(iv) आम आदमी मोहल्ला क्लीनिक के लिए दिल्ली राज्य स्वास्थ्य मिशन को सहायता अनुदान – 12000.00 लाख रुपये की बचत (22000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम अनुदान जारी होने के कारण हुई।

(v) दीप चन्द बंधु अस्पताल – 403.81 लाख रुपये की बचत (5197.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम खरीद होने, बिलों के समय पर प्राप्त न होने एवं कॉविड-19 महामारी व लॉकडाउन की वजह से पूर्ति आदेशों का निपटारा न हो सकने के कारण हुई।

(vi) जनकपुरी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल सोसाइटी को सहायता अनुदान – 1250.00 लाख रुपये की बचत (5200.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम सहायता अनुदान जारी होने के कारण हुई।

(vii) राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को सहायता अनुदान – 2251.00 लाख रुपये की बचत (7601.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः कम सहायता अनुदान जारी होने, संशोधित अनुमानों के देरी से प्राप्त होने एवं सरकार द्वारा लॉकडाउन लागू करने से शेष राशि का उपयोग न हो सकने के कारण हुई।

(viii) चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय को सहायता अनुदान – 1851.00 लाख रुपये की बचत (9101.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः कम सहायता अनुदान जारी होने के कारण हुई।

(ड.) अन्य स्वास्थ्य योजनाएँ – सड़क यातायात दुर्घटना के शिकार लोगों को चिकित्सा देखभाल के लिए अस्पताल लाने के लिए अच्छे नागरिकों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन – 198.47 लाख रुपये की बचत (200.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः योजना के आंशिक रूप से कार्यान्वित होने के कारण हुई।

(च) अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना – (i) जेजे क्लस्टर्स के लिए मोबाइल वैन औषधालय (एससीएसपी) – 335.91 लाख रुपये की बचत (1904.75 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों के न भरने, एम.एच.एस. भवन की मरम्मत कार्य के प्रक्रियाधीन होने एवं कोर्ट केस की वजह से मेसर्स करिश्मा ट्रेवल्स का भुगतान लंबित होने के कारण हुई।

(ii) स्वास्थ्य केन्द्र (एससीएसपी) – 3372.79 लाख रुपये की बचत (9555.50 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों, कम बिलों की प्राप्ति एवं कम खरीद होने के कारण हुई।

(छ) अन्य व्यय – (i) केन्द्रीयकृत दुर्घटना एवं अपघात सेवाओं के लिए सहायता अनुदान – 500.00 लाख रुपये की बचत (6000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम सहायता अनुदान जारी होने के कारण हुई।

(ii) दिल्ली राज्य स्वास्थ्य मिशन (सीएसएस) – 7629.40 लाख रुपये की बचत (14014.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः कम सहायता अनुदान जारी होने एवं भारत सरकार से वित्त वर्ष 2019–20 से संबंधित स्वीकृतियां वित्त वर्ष 2020–21 में प्राप्त होने के कारण हुई।

(iii) राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (सी.एस.एस) – 3000.00 लाख रुपये की बचत (6000.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम सहायता अनुदान जारी होने के कारण हुई।

(v) राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (राज्य अंश) – 1000.00 लाख रुपये की बचत (3000.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम सहायता अनुदान जारी होने के कारण हुई।

(ब) जन स्वास्थ्य – अन्य व्यय – विभिन्न जन-स्वास्थ्य प्रचार के संचालन हेतु विशेष प्रकोष्ठ – 181.92 लाख रुपये की बचत (200.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः योजना की धीमी गति के कारण हुई।

(स) सामान्य – अन्य व्यय – (i) केन्द्रीय अधिप्राप्ति एजेंसी एवं राज्य औषधी प्राधिकरण – 326.90 लाख रुपये की बचत (30000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों, कर्मचारियों के स्थानांतरण/सेवानिवृत्ति, फर्मों द्वारा देरी से बिलों के जमा करने एवं सी.आर.सी. के देरी से बनने के कारण हुई।

(ii) दिल्ली सरकार कर्मचारी स्वास्थ्य योजना – पेंशनरों को चिकित्सा सेवाएं – 662.91 लाख रुपये की बचत (25000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः 22.03.2020 को लॉकडाउन की घोषणा एवं कर्मचारियों की कॉविड-19 से संबंधित अन्य कार्यों में तैनाती की वजह से निधियों का पूर्ण उपयोग न कर सकने के कारण हुई।

2 **मुख्यशीर्ष "2210" – चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य – (अ) शहरी स्वास्थ्य सेवायें – ऐलोपैथी – अस्पताल एवं औषधालय – (i) लोक नायक अस्पताल – 3774.52 लाख रुपये की बचत (52178.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों, कम बिलों की प्राप्ति एवं विक्रेता से आपूर्ति व बिलों के प्राप्त न होने के कारण हुई।**

(ii) जी.बी.पंत अस्पताल – 3999.67 लाख रुपये की बचत (37167.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों, कम बिलों की प्राप्ति एवं वित्तीय प्रोन्नति व एम.ए.सी.पी. मामलों का निपटारा न हो सकने की वजह से भुगतान के जारी न हो सकने के कारण हुई।

(iii) दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल, अस्पताल प्रशासन का पुनरुद्धार – 1867.64 लाख रुपये की बचत (30407.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों, कम दावों/बिलों की प्राप्ति एवं कम खरीद होने के कारण हुई।

(iv) गुरु तेग बहादुर चिकित्सा कॉलेज एवं अस्पताल – 1828.23 लाख रुपये की बचत (41167.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों, कम बिलों की प्राप्ति, कम खरीद होने, लाभार्थियों की संख्या कम होने, कॉविड-19 लॉकडाउन की वजह से औषधियों की आपूर्ति इत्यादि न होने एवं चिकित्सा व अन्य आकस्मिक व्ययों का निपटारा न होने के कारण हुई।

(ब) चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान – ऐलोपैथी – शिक्षा – मौलाना आजाद चिकित्सा कॉलेज – 1171.05 लाख रुपये की बचत (21556.50 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों, कम बिलों की प्राप्ति, कम खरीद होने, सुरक्षा व स्वच्छता के बिलों के प्राप्त न होने एवं निविदाओं का निपटारा न होने के कारण हुई।

(स) जन स्वास्थ्य – (क) खाद्य पदार्थ अपमिश्रण रोकथाम – खाद्य पदार्थ अपमिश्रण रोकथाम अधिनियम का कार्यान्वयन – 194.96 लाख रुपये की बचत (1581.50 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों, कम बिलों की प्राप्ति एवं कम खरीद होने के कारण हुई।

(ख) औषधि नियंत्रण – औषधि नियंत्रण संगठन – 188.89 लाख रुपये की बचत (924.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों एवं कम बिलों के प्राप्त होने के कारण हुई।

3. **मुख्यशीर्ष "2211"** – परिवार कल्याण – (क) निर्देशन एवं प्रशासन – (i) प्रणाली सुधार एवं टी.क्यू.एम. सहित परिवार कल्याण निदेशालय – 137.09 लाख रुपये की बचत (150.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम बिलों की प्राप्ति, खरीद न होने एवं कम विज्ञापन व प्रचार के कारण हुई।

(ii) परिवार कल्याण निदेशालय (सी.एस.एस.) – 333.89 लाख रुपये की बचत (750.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों, कम बिलों की प्राप्ति एवं पर्याप्त राशि प्राप्त न होने के कारण हुई।

(ख) ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएं – ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएं – 287.93 लाख रुपये की बचत (600.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम सहायता अनुदान जारी होने के कारण हुई।

(ग) शहरी परिवार कल्याण सेवाएं – (i) शहरी परिवार कल्याण केन्द्र (सी.एस.एस.) – 2807.32 लाख रुपये की बचत (3000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों, कम बिलों की प्राप्ति, कम खरीद होने एवं सहायता अनुदान जारी न होने के कारण हुई।

(ii) अस्पतालों में पोस्ट पार्टम ईकाइयों पर व्यय के लिए अनुदान – 177.11 लाख रुपये की बचत (700.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः पिछले अनुदानों की लेखा परीक्षा रिपोर्ट एवं उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त न होने के कारण स्थानीय निकायों को कम सहायता अनुदान जारी करने के कारण हुई।

(घ) अन्य व्यय – दिल्ली स्वास्थ्य सोसाइटी को सहायता अनुदान (दिल्ली) – 4000.00 लाख रुपये की बचत (11000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम सहायता अनुदान जारी होने के कारण हुई।

3. **मुख्यशीर्ष "2210"** – चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य – (अ) शहरी स्वास्थ्य सेवाएं – ऐलोपैथी – अस्पताल व औषधालय – संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल – 184.36 लाख रुपये की बचत (11884.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम बिलों की प्राप्ति, पुराने कोर्ट केसों का निपटारा न होने एवं एम.आई.एस. इनोवेशन लिमिटेड द्वारा दर्ज किए गए मध्यस्थता मामले में चल रही कार्यवाही का निपटारा न होने के कारण हुई।

(ब) शहरी स्वास्थ्य सेवाएं चिकित्सा की अन्य पद्धतियां – आयुर्वेद – (i) आयुष निदेशालय – 1419.93 लाख रुपये की बचत (4460.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम खरीद होने, रिक्त पदों के न भरने, प्रत्याशित बिलों के प्राप्त न होने एवं लॉकडाउन लागू होने की वजह से समान की आपूर्ति न हो पाने के कारण भुगतान जारी न कर सकने के कारण हुई।

(ii) खेडा डाबर में दिल्ली आयुर्वेदिक चरक संस्थान को सहायता अनुदान – 151.00 लाख रुपये की बचत (3701.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः कम अनुदान जारी होने एवं लॉकडाउन लागू होने के कारण सभी निविदा प्रक्रियाएं आगे बढ़ा देने के कारण हुई।

5. **मुख्यशीर्ष "2210"**— चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य — (अ) शहरी स्वास्थ्य सेवाये — ऐलोपैथी — अस्पताल एवं औषधालय — डा० बाबा साहेब अम्बेडकर अस्पताल — 1073.41 लाख रुपये की बचत (19982.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कोई विदेशी यात्रा न होने, कम खरीद होने, संस्थाओं द्वारा बिलों के जमा न करने, कोर्ट केसों का निपटारा न होने एवं कुछ बिलों/स्वीकृतियों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

(ब) चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान — ऐलोपैथी — डा० बाबा साहेब अम्बेडकर चिकित्सा कॉलेज एवं अस्पताल — 1576.61 लाख रुपये की बचत (3934.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों, कम बिलों की प्राप्ति, कम खरीद होने, कम मरम्मतें, अनुबंधित कर्मचारियों के वेतन बढ़ाने से संबंधित प्रस्तावों का निपटारा न होने, परीचारकों की भर्ती करने के लिए निविदाओं का निपटारा न होने, कर्मचारियों द्वारा कम दावों एवं कुछ निविदाएं जारी हुई परन्तु उनका निपटारा न होने के कारण हुई।

6. **मुख्यशीर्ष "2210"**— चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य — शहरी स्वास्थ्य सेवाये — ऐलोपैथी — (क) अस्पताल एवं औषधालय — (i) सरदार वल्लभ भाई पटेल अस्पताल — 173.23 लाख रुपये की बचत (4146.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों, कम बिलों व दावों की प्राप्ति, विक्रेता/ठेकेदारों द्वारा समय से बिलों के जमा न करने एवं संशोधित अनुमान के देरी से स्वीकृत होने की वजह से कुछ मदों की खरीद प्रक्रिया पूरी न हो सकने के कारण हुई।

(ii) अत्तर सेन अस्पताल — 271.48 लाख रुपये की बचत (976.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों, कम बिलों की प्राप्ति, कम खरीद होने एवं कॉविड-19 महामारी की वजह से लॉकडाउन लागू होने से निधियों का पूर्णतः उपयोग न हो सकने के कारण हुई।

(iii) भगवान महावीर अस्पताल — 1150.89 लाख रुपये की बचत (6999.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों, कम खरीद होने, समय से बिलों की प्राप्ति न होने एवं विक्रेता द्वारा बिलों के जमा न करने के कारण हुई।

(iv) मालवीय नगर कॉलोनी अस्पताल — 191.31 लाख रुपये की बचत (5056.50 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम खरीद होने एवं समय से बिलों की प्राप्ति न होने के कारण हुई।

(v) आचार्य भिक्षु अस्पताल — 979.02 लाख रुपये की बचत (5978.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों, कम बिलों की प्राप्ति, कम खरीद होने एवं विक्रेता द्वारा बिलों के जमा न कराने के कारण हुई।

(vi) जग प्रवेश चंद्र अस्पताल — 555.82 लाख रुपये की बचत (6290.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों, कम खरीद होने एवं समय से बिलों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

(vii) डा० एन.सी.जोशी मेमोरियल अस्पताल — 140.29 लाख रुपये की बचत (2494.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों के कारण हुई।

(viii) राव तुला राम अस्पताल, जाफरपुर – 618.92 लाख रुपये की बचत (5252.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों, कम बिलों की प्राप्ति, आउटसोर्स सेवाओं के विस्तार में देरी एवं आपूर्ति व सामग्री की कम खरीद होने के कारण हुई।

(ख) अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना – (i) गुरु गोविंद सिंह अस्पताल (एस.सी.एस.पी) – 646.26 लाख रुपये की बचत (6017.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों, कम बिलों की प्राप्ति, कम खरीद होने, ठेकेदारों की देरी से स्वीकृति मिलने, मार्च 2020 के बिलों को न जमा कराने, विभिन्न उपकरणों के लिए निविदाओं का निपटारा न होने एवं एच.आई.एम.एस. सेवाओं के लिए सी.डी.ए.सी बिलों का निपटारा न होने के कारण हुई।

(ii) बाबू जग जीवन राम अस्पताल (एस.सी.एस.पी) – 245.07 लाख रुपये की बचत (5685.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों एवं कम बिलों/दावों की प्राप्ति होने के कारण हुई।

7. **मुख्यशीर्ष "2210"** – चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य – (अ) शहरी स्वास्थ्य सेवाएं ऐलोपैथी – अस्पताल एवं औषधालय – (i) महर्षि बाल्मीकि अस्पताल – 799.68 लाख रुपये की बचत (5941.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों, कम बिलों की प्राप्ति, कम खरीद होने एवं नए एम.सी. एच. ब्लॉक के आंशिक रूप से संचालित होने की वजह से सुरक्षा व स्वच्छता कर्मचारियों को पूरी स्वीकृत क्षमता के साथ आउटसोर्स आधार पर भर्ती न कर सकने के कारण हुई।

(ii) सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र अस्पताल, नरेला – 337.25 लाख रुपये की बचत (4909.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम खरीद होने, रिक्त पदों के न भरने एवं कम बिलों/दावों के प्राप्त होने के कारण हुई।

(ब) शहरी स्वास्थ्य सेवाएं – औषधियों की अन्य प्रणालियां – (क) आयुर्वेद – ए एवं यू तिब्बिया कॉलेज – 881.38 लाख रुपये की बचत (4074.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम बिलों की प्राप्ति, लाभार्थियों की कम संख्या, कम खरीद होने, अनुबंधित कर्मचारियों की स्वीकृति न मिलने एवं समय से कुछ स्वीकृतियों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

(ख) होम्योपैथी – होम्योपैथिक औषधालय ईकाइयां – नेहरू होम्योपैथिक चिकित्सा कॉलेज एवं अस्पताल – 241.17 लाख रुपये की बचत (2234.50 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों, कम बिलों की प्राप्ति एवं कम खरीद होने के कारण हुई।

8. **मुख्यशीर्ष "2052"** – सचिवालय सामान्य सेवाएं – सचिवालय – स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण – 189.96 लाख रुपये की बचत (864.50 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों, कम खरीद होने, कम बिलों की प्राप्ति एवं प्रशासनिक कारणों व कॉविड-19 महामारी की वजह से व्यय करने के प्रस्तावों का निपटारा न हो सकने के कारण हुई।

9. **मुख्यशीर्ष "2210"** – चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य – जन स्वास्थ्य – अन्य व्यय – प्राथमिक, माध्यमिक क्षेत्र के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली की शुरुआत – 2957.94 लाख रुपये की बचत (3000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः योजना की धीमी प्रगति के कारण हुई।

इसके अतिरिक्त, 688.86 लाख रुपये की बचत नौ उपशीर्षों के अंतर्गत हुई जो कि 50.00 लाख रुपये से अधिक परंतु 1.00 करोड़ रुपये से कम थी।

उपरोक्त बचतें निम्नलिखित उपशीर्षों के अन्तर्गत अधिक व्यय से अंशतः प्रतिसंतुलित की गई :-

1. **मुख्यशीर्ष "2210"**— चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य — (अ) शहरी स्वास्थ्य सेवाएं — ऐलोपैथी — अस्पताल एवं औषधालय — मानव व्यवहार तथा सम्बन्ध विज्ञान संस्थान को सहायता अनुदान — 1496.00 लाख रुपये का अधिक व्यय (11304.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 4.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः अधिक अनुदान जारी होने के कारण हुआ।

(ब) जन स्वास्थ्य — अन्य व्यय — यकृत एवं पैत्तिक विज्ञान संस्थान को सहायता अनुदान — 1748.00 लाख रुपये का अधिक व्यय (8502.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 2.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः अधिक अनुदान जारी होने के कारण हुआ।

(स) सामान्य — अन्य व्यय — दिल्ली आरोग्य कोष — 2499.00 लाख रुपये का अधिक व्यय (2501.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः दिल्ली आरोग्य कोष को अधिक योगदान जारी करने के कारण हुआ।

2. **मुख्यशीर्ष "2210"**— चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य — (अ) शहरी स्वास्थ्य सेवाएं — ऐलोपैथी — अस्पताल एवं औषधालय — गुरु नानक नेत्र केन्द्र — 124.52 लाख रुपये का अधिक व्यय (3639.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों के भरने, अधिक बिलों की प्राप्ति एवं अधिक खरीद होने के कारण हुआ।

(ब) शहरी स्वास्थ्य सेवाएं — औषधियों की अन्य प्रणाली — होम्योपैथी — होम्योपैथिक औषधालय — 167.11 लाख रुपये का अधिक व्यय (3572.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों के भरने एवं अधिक बिलों के प्राप्त होने के कारण हुआ।

इसके अतिरिक्त, 79.92 लाख रुपये का अधिक व्यय एक उपशीर्ष के अंतर्गत हुआ जो कि 50.00 लाख रुपये से अधिक परंतु 1.00 करोड़ रुपये से कम था।

अनुदान के पूंजीगत भाग के प्रभारित अंश में 0.56 लाख रुपये की कुल बचत थी (193.92 लाख रुपये के पूरक प्रावधान की तुलना में) जोकि सम्पूर्ण स्वीकृत प्रावधान का 0.28 प्रतिशत थी।

अनुदान के पूंजीगत भाग के स्वीकृत अंश में 19281.88 लाख रुपये की कुल बचत थी (30222.53 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 2594.53 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) जोकि सम्पूर्ण स्वीकृत प्रावधान का 63.80 प्रतिशत थी।

3919.53 लाख रुपये की राशि 9 उपशीर्षों के अन्तर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रही। जिसमें निम्नलिखित उपशीर्ष शामिल हैं :-

1. **मुख्यशीर्ष "4210"** — चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय — (अ) शहरी स्वास्थ्य सेवाएं — ऐलोपैथी — अन्य स्वास्थ्य योजनाएँ — आंख व कान की देखभाल सेवाओं के लिए मोबाइल वैन क्लिनिक — 300.00 लाख रुपये — डी.जी.एच.एस. द्वारा एन.जी.ओ. की अभिव्यक्ति के नियम व शर्तों को अंतिम रूप देने के लिए अनुमोदन प्राप्त न कर सकने के कारण।

(ब) सामान्य — सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य में निवेश — दिल्ली स्वास्थ्य देखभाल निगम के लिए इक्विटी पूँजी — 500.00 लाख रुपये — दिल्ली स्वास्थ्य देखभाल निगम को इक्विटी जारी न होने के कारण।

(स) जन स्वास्थ्य – (क) रोगों की रोकथाम व नियंत्रण – तृतीयक कैंसर देखभाल केन्द्र (सी.एस.एस.) – 2594.53 लाख रुपये – कम मशीनरी व उपकरणों की खरीद होने एवं विक्रेता से आपूर्ति व बिलों के प्राप्त न होने के कारण ।

(ख) जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं – (i) राज्य औषधि एवं विनियामक प्रणाली का सुदृढीकरण (सी.एस.एस.) 250.00 लाख रुपये – कोविड-19 महामारी की वजह से मशीनरी व उपकरणों की खरीद के लिए कुछ कोडल औपचारिकताओं के क्रियान्वित न हो सकने के फलस्वरूप मशीनरी व उपकरणों की खरीद कम हुई।

(ii) राज्य औषधि एवं विनियामक प्रणाली का सुदृढीकरण (राज्य अंश) – 150.00 लाख रुपये – कोविड-19 महामारी की वजह से मशीनरी व उपकरणों की खरीद के लिए कुछ औपचारिकताओं के क्रियान्वित न हो सकने के फलस्वरूप मशीनरी व उपकरणों की खरीद कम हुई।

(ग) अस्पताल एवं औषधालय – ए एवं यू तिब्बिया कॉलेज – 100.00 लाख रुपये – कम मशीनरी व उपकरणों की खरीद होने के कारण।

बचत/अधिक व्यय मुख्यतः निम्नलिखित मुख्यशीर्षों के अन्तर्गत हुई :-

(लाख रुपयों में)

स्वास्थ्य सेवाएं निदेशालय

मुख्यशीर्ष "4210"

चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य
पर पूंजीगत परिव्यय

मू.	18250.00)			
पु.	-13500.00)	4750.00	2426.58	-2323.42

लोक नायक अस्पताल

मू.	1201.00)			
पू.	2593.53)			
पु.	-1011.53)	2783.00	998.12	-1784.88

दीन दयाल उपाध्याय

मू.	950.00)			
पु.	-193.92)	756.08	557.59	-198.49

गुरु तेग बहादुर मेडिकल

कॉलेज एवं अस्पताल

मू.	1000.00)			
पू.	1.00)			
पु.	1964.00)	2965.00	2847.22	-117.78

गुरु नानक नेत्र केन्द्र

मू.	550.00)			
पु.	150.00)	700.00	380.29	-319.71

मौलाना आजाद मेडीकल कॉलेज

मू.	400.00)			
पु.	-100.00)	300.00	289.39	-10.61

डा० बाबा साहेब अम्बेडकर अस्पताल

मू.	900.00)			
पु.	-395.00)	505.00	465.93	-39.07

बाबू जगजीवन राम अस्पताल

मू.	200.00)			
पु.	-80.00)	120.00	24.44	-95.56

1.00 करोड़ रुपये से अधिक बचत मुख्यतः निम्नलिखित उपशीर्षों के अंतर्गत हुई :-

1. **मुख्यशीर्ष "4210"**— चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय — शहरी स्वास्थ्य सेवाएं—ऐलोपैथी — अस्पताल एवं औषधालय — (i) भवन — औषधालय/स्वास्थ्य केन्द्र के लिए भवन निर्माण — 1142.42 लाख रुपये की बचत (2000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य की धीमी गति एवं एन.बी.सी.सी. के भुगतान के लिए रखी गई राशि के लंबित रहने एवं गठित कमिटी के जांच के दायरे में होने के कारण हुई।
 - (ii) दीप चंद बंधु अस्पताल — 387.02 लाख रुपये की बचत (450.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः मशीनरी व उपकरणों की कम खरीद होने एवं कॉविड-19 महामारी व लॉकडाउन होने की वजह से पूर्ति आदेशों के क्रियान्वित न हो सकने के कारण हुई।
 - (iii) केन्द्रीय अधिप्राप्ति एजेंसी एवं राज्य औषधी प्राधिकरण — 13493.98 लाख रुपये की बचत (15000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः मशीनरी व उपकरणों की कम खरीद होने, प्रेषणी/अस्पतालों/पूर्तिकर्ताओं द्वारा खेप रसीद प्रमाण पत्र एवं अंतिम स्वीकृति प्रमाण पत्र को जमा न कराने के कारण बिलों का निपटारा न हो सकने के कारण हुई।
 - (iv) लोक नायक अस्पताल — 201.88 लाख रुपये की बचत (1200.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः विक्रेता से पूर्ति एवं बिलों के प्राप्त न होने के कारण हुई।
 - (v) दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल — 392.41 लाख रुपये की बचत (950.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम मशीनरी व उपकरणों की खरीद होने एवं निविदाओं पर अंतिम निर्णय न होने के कारण हुई।
 - (vi) गुरु नानक नेत्र केन्द्र — 169.71 लाख रुपये की बचत (550.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कॉविड-19 महामारी व लॉकडाउन की वजह से विक्रेता द्वारा उच्च गुणवत्ता के उपकरणों की आपूर्ति न होने के कारण हुई।
 - (vii) मोलाना आजाद मेडिकल कॉलेज — 110.61 लाख रुपये की बचत (400.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम मशीनरी व उपकरणों एवं मोटर वाहनों की खरीद होने के कारण हुई।
 - (viii) डा० बाबा साहेब अम्बेडकर अस्पताल — 434.07 लाख रुपये की बचत (900.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम मशीनरी व उपकरणों की खरीद होने के कारण हुई।
 - (ix) बाबू जगजीवन राम अस्पताल — 175.56 लाख रुपये की बचत (200.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम मशीनरी व उपकरणों की खरीद होने, तकनीकी व कीमतों के मूल्यांकन के कारणों की वजह से कुछ मदों की खरीद प्रक्रिया का निपटारा न होने एवं मार्च 2020 में लॉकडाउन होने की वजह से विक्रेता द्वारा कुछ मदों की पूर्ति न कर सकने के कारण हुई।

इसके अतिरिक्त, 507.90 लाख रुपये की बचत सात उपशीर्षों के अंतर्गत हुई जो कि 50.00 लाख रुपये से अधिक परंतु 1.00 करोड़ रुपये से कम थी।

उपरोक्त बचतें निम्नलिखित उपशीर्ष के अंतर्गत हुए अधिक व्यय से अंशतः प्रतिसंतुलित की गई थी:-

1. **मुख्यशीर्ष "4210"**— चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय — शहरी स्वास्थ्य सेवाएं—ऐलोपैथी — अस्पताल एवं औषधालय — गुरु तेग बहादुर चिकित्सा कॉलेज एवं अस्पताल — 1846.22 लाख रुपये का अधिक व्यय (1001.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः अधिक मशीनरी व उपकरणों की खरीद के कारण हुआ।

अनुदान संख्या 8 – समाज कल्याण

	कुल अनुदान या विनियोजन	वास्तविक व्यय	बचत (-) अधिक व्यय (+)
(हजार रूपयों में)			
राजस्व			
प्रभारित	<u>4.00</u>	<u>1.43</u>	<u>-2.57</u>
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			कुछ नहीं
स्वीकृत			
मूल 6548,55,00)			
पूरक 740,79,90)	7289,34,90	6612,91,22	-676,43,68
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			-326,89,40
पूँजीगत			
स्वीकृत			
मूल 1066,04,00)			
पूरक 872,14,50)	1938,18,50	1517,67,91	-420,50,59
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			-338,88,00
टीका एवं टिप्पणियां			

अनुदान के राजस्व भाग के प्रभारित अंश में 2.57 लाख रुपये की कुल बचत थी (4.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) जोकि स्वीकृत विनियोजन का 64.25 प्रतिशत थी।

अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में 67643.68 लाख रुपये की कुल बचत थी (728934.90 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 74079.90 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) जोकि सम्पूर्ण स्वीकृत प्रावधान का 9.27 प्रतिशत थी।

35067.20 लाख रुपये की राशि 60 उपशीर्षों के अन्तर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रही। जिसमें निम्नलिखित उपशीर्ष शामिल हैं :-

- मुख्यशीर्ष "2235" – सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण – समाज कल्याण – (क) विकलांगों का कल्याण– (i) सुगम सहायक – विकलांग छात्रों की गतिशीलता को सुगम बनाना – 100.00 लाख रुपये – बिलों का निपटारा न होने के कारण।
(ii) शिक्षा प्राप्ति के प्रत्येक चरण पर विकलांग छात्रों के लिए सावधि जमा – 100.00 लाख रुपये – बिलों का निपटारा न होने के कारण।
(iii) विकलांग अभिभावकों की बेटियों के विवाह के लिए वित्तीय सहायता – 100.00 लाख रुपये – बिलों का निपटारा न होने के कारण।

- (ख) वृद्ध, अशक्त व निस्सहायों का कल्याण – (i) विकलांग व्यक्तियों के लिए पुर्नवास और संबद्ध सेवाएं संस्थान – 100.00 लाख रुपये – प्रस्ताव के प्रक्रियाधीन होने के कारण।
- (ii) भिखारियों, विकलांग व्यक्तियों एवं आर्थिक रूप के पिछड़े वर्ग का कौशल विकास और पुनर्वास – 100.00 लाख रुपये – योजना के आंशिक रूप से कार्यान्वित होने के कारण।
2. **मुख्यशीर्ष "2235"** – सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण – समाज कल्याण – (क) बाल कल्याण – (i) आंगनवाड़ी उन्नयन प्रोत्साहन योजन – 2500.00 लाख रुपये – कार्य की धीमी गति एवं प्रशासनिक कारणों की वजह से योजना के आरंभ न होने के कारण।
- (ii) आईसीडीएस छाता योजना के अन्तर्गत आंगनवाड़ी सेवा योजना के लिए आधार नामांकन किट का उर्पाजन (सी.एस.एस) – 256.50 लाख रुपये – प्रशासनिक कारणों की वजह से योजना के कार्यान्वित न होने के कारण।
- (iii) आईसीडीएस छाता योजना के अन्तर्गत आंगनवाड़ी सेवा योजना के लिए आधार नामांकन किट का उर्पाजन (राज्य अंश) – 171.00 लाख रुपये – योजना का कार्यान्वयन न होने के कारण।
- (ख) स्वैच्छिक संगठनों को सहायता – मद्यपान और पदार्थों (औषध) की दुरुपयोग रोकथाम योजना – 100.00 लाख रुपये – योजना की धीमी प्रगति के कारण।
3. **मुख्यशीर्ष "2236"** – पोषण – पोषक आहार एवं पेयों का वितरण – विशेष पोषक कार्यक्रम – पूरक पोषण कार्यक्रम के तहत अतिरिक्त आहार – 4000.00 लाख रुपये – योजना का कार्यान्वयन न होने के कारण।
4. **मुख्यशीर्ष "2225"** – अ.जा/अ.ज.जा एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण – (अ) अनुसूचित जातियों का कल्याण – (क) सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों को सहायता – अनु.जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए डी.एस.सी.एफ.डी.सी. को आर्थिक सहायता – 300.00 लाख रुपये – व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के विज्ञापन के प्रकाशन में प्रक्रियात्मक देरी के कारण डी.एस.एफ.डी.सी. द्वारा बजट का उपयोग न कर सकने के कारण।
- (ख) शिक्षा – (i) अम्बेडकर पाठशाला – माध्यमिक स्तर तक के सरकारी स्कूलों के अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को उपचारात्मक कोचिंग प्रदान करने के लिए योजना – 200.00 लाख रुपये – कम खरीद होने एवं लाभार्थियों की संख्या कम होने के कारण।
- (ii) विदेश में उच्च शिक्षा के लिए अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति – 500.00 लाख रुपये – लाभार्थियों की संख्या कम होने एवं योजना के प्रक्रियाधीन होने के कारण।
- (ब) पिछड़े वर्गों का कल्याण – शिक्षा – अल्पसंख्यकों/अन्य पिछड़े वर्गों/आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना – 400.00 लाख रुपये – योजना के पुनःनिरीक्षण के अधीन होने एवं एस.टी., ओ.बी.सी. एवं ई.डब्लू.एस. तक योजना के विस्तार पर निर्णय लेने के बाद दिल्ली विधान सभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता के लागू होने की वजह से कोचिंग संस्थानों को अतिरिक्त सीटें आवंटित करने में देरी के कारण हुई।
- (स) सामान्य – (क) अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना – (i) अनु.जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए डी.एस.सी.एफ.डी.सी. को आर्थिक सहायता (एस.सी.एस.पी.) – 100.00 लाख रुपये – व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के विज्ञापन के प्रकाशन में प्रक्रियात्मक देरी के कारण डी.एस.एफ.डी.सी. द्वारा बजट का उपयोग न कर सकने के कारण।

- (ii) मैनुअल मेहतर और उनके पुनर्वास के रूप में रोजगार के निषेध का कार्यान्वयन (एस.सी.एस.पी) – 100.00 लाख रुपये – कम बिलों की प्राप्ति के कारण।
- (ख) अन्य व्यय – मैनुअल मेहतर और उनके पुनर्वास के रूप में रोजगार के निषेध का कार्यान्वयन – 100.00 लाख रुपये – कम बिलों की प्राप्ति के कारण।
5. **मुख्यशीर्ष "3055"** – सड़क परिवहन – (क) निर्देशन एवं प्रशासन – फीडर बस सेवा/विद्युत वाहन – 100.00 लाख रुपये – लॉकडाउन की वजह से कुछ प्रस्तावों का निपटारा न हो सकने कारण।
- (ख) सार्वजनिक क्षेत्र व अन्य उपक्रमों को सहायता – राज्य विद्युत वाहन निधि – 10000.00 लाख रुपये – योजना का कार्यान्वयन न होने के कारण।
6. **मुख्यशीर्ष "3075"** – अन्य परिवहन सेवायें – अन्य – अन्य व्यय – महिला यात्रियों के लिए डीएमआरसी को छूट – 15000.00 लाख रुपये – डी.एम.आर.सी. को सब्सिडी जारी न होने के कारण।
7. **मुख्यशीर्ष "3452"** – पर्यटन – सामान्य – सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों को सहायता – स्वदेश दर्शन के लिए टीटी और टीडीसी को सहायता अनुदान (सी.एस.एस) – 150.00 लाख रुपये – कम सहायता अनुदान जारी होने के कारण।

बचत/अधिक व्यय मुख्यतः निम्नलिखित मुख्यशीर्षों के अन्तर्गत हुई :-

(लाख रुपयों में)

सामाजिक कल्याण विभाग

मुख्यशीर्ष "2235"

सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण

मू.	164750.50)			
पू.	16143.10)			
पु.	-611.10)	180282.50	175080.32	-5202.18

महिला एवं बाल विकास निदेशालय

मुख्यशीर्ष "2235"

सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण

मू.	124476.00)			
पू.	10328.10)			
पु.	-5188.60)	129615.50	118861.73	-10753.77

मुख्यशीर्ष "2236"

पोषण

मू.	23231.00)			
पू.	1651.00)			
पु.	-7609.00)	17273.00	14941.70	-2331.30

अ.जाति/अ.ज.जाति

एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण विभाग

मुख्यशीर्ष "2225"

अ.जाति/अ.ज.जाति

एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण

मू.	30910.00)			
पू.	1150.20)			
पु.	-3298.20)	28762.00	26140.40	-2621.60

परिवहन विभाग**मुख्यशीर्ष "2041"**

वाहनों पर कर

मू.	27233.60)			
पू.	15801.00)			
पु.	-2993.40)	40041.20	35559.57	-4481.63

मुख्यशीर्ष "3055"

सड़क परिवहन

मू.	278503.00)			
पू.	14003.00)			
पु.	4366.00)	296872.00	288537.18	-8334.82

मुख्यशीर्ष "3075"

अन्य परिवहन सेवायें

मू.	1.00)			
पू.	15000.00)			
पु.	-14863.10)	137.90	106.10	-31.80

मुख्यशीर्ष "3435"

अन्य परिवहन सेवायें

मू.	223.40)			
पू.	-79.00)	144.40	93.97	-50.43

पर्यटन विभाग**मुख्यशीर्ष "3452"**

पर्यटन

मू.	4920.00)			
पू.	2.00)			
पु.	-2404.00)	2518.00	1504.03	-1013.97

1.00 करोड़ रुपये से अधिक की बचत मुख्यतः निम्नलिखित उपशीर्षों के अन्तर्गत हुई :-

1. **मुख्यशीर्ष "2235"** – सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण – (अ) समाज कल्याण – (क) निर्देशन एवं प्रशासन – (i) समाज कल्याण निदेशालय – 101.01 लाख रुपये की बचत (1355.50 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों के न भरने एवं कौविड-19 महामारी के कारण बिलों/दावों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

(ii) सुरक्षा-आंतरिक व बाह्य तथा सफाई का संवर्धन (एसडब्लूडी) – 265.39 लाख रुपये की बचत (1100.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः दिसम्बर 2019 से मार्च 2020 तक के बिलों का भुगतान सुरक्षा व सफाई एजेंसियों को न करने के कारण हुई।

(iii) मद्य निषेध प्रचार व प्रसार योजना – 126.44 लाख रुपये की बचत (285.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों के न भरने, सामान/मदों की खरीद न होने एवं कार्यक्रमों को आयोजित न करने के कारण हुई।

(ख) विकलांगों का कल्याण – (i) मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए पाठशाला/गृह – 166.36 लाख रुपये की बचत (2028.25 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों के न भरने, उपस्थिति के अनुसार कम मजदूरी का भुगतान करने एवं चिकित्सीय दावों के न मिलने के कारण हुई।

(ii) शिक्षक प्रशिक्षण इकाई एवं मूक व बधिरों के लिए लेडी नायस स्कूल – 174.81 लाख रुपये की बचत (759.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों के न भरने एवं कॉविड-19 की महामारी की वजह से बिलों/दावों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

(iii) विकलांगों को बेरोजगारी भत्ता – 1525.17 लाख रुपये की बचत (26300.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 5000.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः बिलों का निपटारा न होने एवं अनुमानित 1 लाख लाभार्थियों की तुलना में केवल 91 हजार मामलों को स्वीकृति मिलने एवं उनको रुपये भेजने के कारण हुई।

(iv) अल्प/दीर्घ अवधि गृह आश्रय की स्थापना – 185.57 लाख रुपये की बचत (700.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः अल्प अवधि गृहों के संचालित न होने के कारण हुई।

(ग) वृद्ध, अशक्त एवं निस्सहायों का कल्याण – (i) महिला तथा पुरुष भिखारियों के लिए आवास – 330.33 लाख रुपये की बचत (949.80 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम बिलों की प्राप्ति, कम खरीद होने, रिक्त पदों के न भरने, कैदियों की संख्या में अस्थिरता होने तथा आहार संबंधी वस्तुओं की खरीद न होने के कारण हुई।

(ii) वृद्ध व अशक्त भिखारियों के लिए आवास – 135.56 लाख रुपये की बचत (281.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों, कम बिलों की प्राप्ति एवं कम खरीद होने के कारण हुई।

(iii) कुष्ठ रोग व क्षयरोग से ग्रस्त भिखारियों के लिए आवास – 161.84 लाख रुपये की बचत (527.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों, कम बिलों की प्राप्ति एवं कम खरीद होने के कारण हुई।

(iv) कुष्ठ रोगियों के लिए पुनर्वास केन्द्र – 154.66 लाख रुपये की बचत (472.20 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम खरीद होने, रिक्त पदों के न भरने एवं कॉविड-19 महामारी की वजह से बिलों/दावों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

(v) बुजुर्गों के लिए आवासीय मनोरंजन केंद्र – 305.74 लाख रुपये की बचत (400.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कॉविड-19 महामारी की वजह से सहायता अनुदान की राशि जारी न हो सकने के कारण हुई।

(ब) राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम – (क) राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना – इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आई.जी.एन.ओ.ए.पी.एस.) (एन.एस.ए.पी.) (सी.एस.एस) – 332.06 लाख रुपये की बचत (3400.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः वित्त विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार से इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में प्राधिकार प्राप्त न हो सकने के कारण हुई।

(ख) राष्ट्रीय पारिवारिक लाभार्थ योजना – 331.00 लाख रुपये की बचत (2000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1100.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः अनुमानित 10 हजार लाभार्थियों की तुलना में केवल 8500 मामलों को स्वीकृति मिलने एवं उनको रुपये भेजने के कारण हुई।

2

मुख्यशीर्ष "2235" – सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण – समाज कल्याण – (क) निर्देशन एवं प्रशासन – (i) महिला एवं बाल विकास निदेशालय – 292.47 लाख रुपये की बचत (700.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों के न भरने एवं दो बार कार्यालय के स्थानांतरित होने एवं लॉकडाउन होने के कारण कुछ कार्यों एवं खरीदों पर अमल न कर सकने के कारण हुई।

(ii) आंतरिक-बाह्य सुरक्षा तथा सफाई (डी.डब्लू.सी.डी.) – 459.65 लाख रुपये की बचत (3000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम खरीद होने एवं लॉकडाउन की वजह से कुछ बकाया बिलों के क्रियान्वित न हो सकने के कारण हुई।

(ख) बाल कल्याण – (i) लड़कों के लिए बाल गृह/निरीक्षण गृह – 165.24 लाख रुपये की बचत (1136.80 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम बिलों की प्राप्ति, रिक्त पदों के न भरने एवं कैदियों की संख्या में अस्थिरता होने के कारण हुई।

(ii) एकीकृत बाल विकास सेवाएं (सीएसएस) – 2480.60 लाख रुपये की बचत (8650.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 650.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः कम बिलों की प्राप्ति, कम खरीद होने, रिक्त पदों के न भरने एवं ए.डब्लू.डब्लू., व ए.डब्लू.एच., के मानदेय में संशोधन होने के कारण हुई।

(iii) किशोर न्याय अधिनियम, 2000 का कार्यान्वयन (बाल रक्षा) – 221.38 लाख रुपये की बचत (1211.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों के न भरने के कारण हुई।

(iv) आंगनवाड़ी कर्मियों और सहायको को मानदेय – 2094.06 लाख रुपये की बचत (16000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम बिलों की प्राप्ति, रिक्त पदों के न भरने एवं ए.डब्लू.डब्लू. व ए.डब्लू.एच. के मानदेय में संशोधन होने के कारण हुई।

(v) बाल अधिकार आयोग – 151.50 लाख रुपये की बचत (566.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 66.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः पिछले वर्ष की अव्ययित राशि की उपलब्धता एवं परियोजनाओं व प्रकाशन पर कम खर्च होने की वजह से पर्याप्त बचत होने के कारण हुई।

(vi) आईसीडीएस (सामान्य)-राज्य अंश – 1213.24 लाख रुपये की बचत (4722.50 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः कम खरीद होने, रिक्त पदों के न भरने एवं ए.डब्लू.डब्लू. व ए.डब्लू.एच. के मानदेय में संशोधन होने के कारण हुई।

(vii) राज्य किशोर शरण गृह को सहायता अनुदान (सीएसएस) – 421.67 लाख रुपये की बचत (1100.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम सहायता अनुदाना जारी होने, सरकार द्वारा संचालित गृह में कैदियों की संख्या में कमी होने एवं रिक्त पदों के न भरने के कारण हुई।

(viii) राज्य किशोर शरण गृह को सहायता अनुदान (राज्य अंश) – 397.61 लाख रुपये की बचत (700.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम सहायता अनुदाना जारी होने, सरकार द्वारा संचालित गृह में कैदियों की संख्या में कमी होने एवं रिक्त पदों के न भरने के कारण हुई।

(ix) अभिभावकों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं आंगनवाड़ी समितियों को प्रशिक्षण (प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा) – 498.81 लाख रुपये की बचत (500.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः योजना की धीमी प्रगति एवं कम खरीद होने के कारण हुई।

(ग) महिला कल्याण – (i) गरीब विधवाओं की पुत्रियों एवं अनाथ लड़कियों के विवाह हेतु वित्तीय सहायता – 550.20 लाख रुपये की बचत (1200.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः लाभार्थियों की कम संख्या होने के कारण हुई।

(ii) लाडली योजना – 1138.34 लाख रुपये की बचत (9000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः जिला कार्यालयों में कम संख्या में नए मामलों के प्राप्त होने एवं राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन होने की वजह से कम बिलों पर कार्यवाही होने के कारण हुई।

(iii) इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (आई.जी.एन.डब्ल्यू.पी.एस.) (एन.एस.ए.पी.) – 781.65 लाख रुपये की बचत (1350.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः भारत सरकार द्वारा कम अनुदान जारी करने के कारण हुई।

(iv) प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) (सीएसएस) – 279.59 लाख रुपये की बचत (459.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 156.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः अनुबंधित कर्मचारियों के पदों को न भरने, ए.डब्ल्यू.डब्ल्यू., ए.डब्ल्यू.एच एव डी.ई.ओ. को प्रोत्साहन राशि वितरित न करने, आई.टी.वस्तुओं की खरीद न हो सकने एवं कुछ कारणों की वजह से आई.ई.सी. प्रशिक्षण/कार्यशाला व क्षमता निर्माण कार्यों के पूरा न हो सकने के कारण हुई।

(v) प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) (राज्य अंश) – 688.26 लाख रुपये की बचत (1561.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः अनुबंधित कर्मचारियों के पदों को न भरने, ए.डब्ल्यू.डब्ल्यू., ए.डब्ल्यू.एच एव डी.ई.ओ. को प्रोत्साहन राशि वितरित न करने, आई.टी.वस्तुओं की खरीद न हो सकने एवं कुछ कारणों की वजह से आई.ई.सी. प्रशिक्षण/कार्यशाला व क्षमता निर्माण कार्यों के पूरा न हो सकने के कारण हुई।

(घ) स्वयंसेवी संस्थाओं को सहायता – सहायता अनुदान—(डीडब्ल्यूसीडी) – 112.09 लाख रुपये की बचत (205.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम सहायता अनुदान जारी होने के कारण हुई।

(ड.) अन्य कार्यक्रम – दवा की मांग में कमी के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीडीडीआर) (सी.एस.एस.) – 222.33 लाख रुपये की बचत (252.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः वित्त विभाग द्वारा कुछ प्रस्तावों का निपटारा न होने के कारण हुई।

(च) अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना – (i) विधवाओं को पेंशन (एससीएसपी) – 299.10 लाख रुपये की बचत (8000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः संबंधित जिला कार्यालयों द्वारा एस.सी.एस.पी. श्रेणी में आने वाले लाभार्थियों की कम संख्या में पहचान होने के कारण हुई।

(ii) लाडली योजना (एससीएसपी) – 328.58 लाख रुपये की बचत (1000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः जिला कार्यालयों में कम संख्या में नए मामलों के प्राप्त होने एवं राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन होने की वजह से कम बिलों पर कार्यवाही होने के कारण हुई।

3. **मुख्यशीर्ष "2236"** – पोषण – पोषक आहार एवं पेयों का वितरण – (क) विशेष पोषण कार्यक्रम – (i) पूरक पोषक कार्यक्रम – 1729.86 लाख रुपये की बचत (7114.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम बिलों के प्राप्त होने एवं लॉकडाउन होने की वजह से कुछ एस.एन.पी. परियोजनाओं को भुगतान न करने के कारण हुई।

(ii) पूरक पोषण कार्यक्रम (सीएसएस) – 1711.87 लाख रुपये की बचत (8000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम बिलों के प्राप्त होने, भारत सरकार से कम निधि के प्राप्त होने एवं लॉकडाउन होने की वजह से कुछ एस.एन.पी. परियोजनाओं को भुगतान न करने के कारण हुई।

(iii) पोषण अभियान (सीएसएस) – 1236.68 लाख रुपये की बचत (2875.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1650.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः कम बिलों की प्राप्ति व कम खरीद होने, अनुबंधित कर्मचारियों की भर्ती न होने, राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन होने की वजह से कुछ बिलों पर कार्यवाही न हो सकने एवं विकास निगरानी उपकरणों को जी.ई.एम. पोर्टल के माध्यम से अधिकृत कीमत से कम कीमत में खरीदने के कारण हुई।

(ख) अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना – पूरक पोषण कार्यक्रम (एस.सी.एस.पी) – 766.81 लाख रुपये की बचत (1800.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः भारत सरकार से कम निधि के प्राप्त होने एवं लॉकडाउन होने की वजह से कुछ एस.एन.पी. परियोजनाओं को भुगतान न करने के कारण हुई।

4. **मुख्यशीर्ष "2225"** – अ.ज./अ.ज.जा. व पिछड़ा वर्ग का कल्याण – (अ) अनुसूचित जाति का कल्याण – (क) शिक्षा – (i) अ.ज./अ.ज.जा. व अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक छात्रों के लिए स्कॉलरशिप/मैरिट स्कॉलरशिप – कक्षा I से XII – 2617.94 लाख रुपये की बचत (4800.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः लाभार्थियों की कम संख्या होने एवं कुछ विद्यार्थियों का खाता आधार से न जुड़ने की वजह से भुगतान जारी न कर सकने के कारण हुई।

(ii) अ.जा. के लड़कों के लिए छात्रावास – 113.40 लाख रुपये की बचत (165.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम मरम्मत कार्यों के कारण हुई।

(iii) विद्यालयों में अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पुस्तकों व लेखन सामग्री का निःशुल्क वितरण – 4050.00 लाख रुपये की बचत (5400.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः विद्यालयों से कम बिलों/दावों की प्राप्ति होने के कारण हुई।

(iv) अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिये मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति (सी.एस.एस.) – 770.69 लाख रुपये की बचत (1000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः भारत सरकार से कम अनुदान प्राप्त होने एवं लाभार्थियों की संख्या कम होने के कारण हुई।

(ख) अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना – (i) निर्देशन एवं प्रशासन (एससीएसपी) – 214.74 लाख रुपये की बचत (725.95 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः कम खरीद होने, कम बिलों की प्राप्ति, रिक्त पदों एवं आदर्श आचार संहिता के लागू होने के कारण हुई।

(ii) विद्यालयों में अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पुस्तकों व लेखन सामग्री का निःशुल्क वितरण (एससीएसपी) – 1274.54 लाख रुपये की बचत (2500.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः लाभार्थियों की संख्या कम होने की वजह से कम बिलों के प्राप्त होने के कारण हुई।

(iii) अ.जा./अ.ज.जा./अ.पी.वा. एवं अल्प संख्यक छात्रों के लिए छात्रवृत्ति /मैरिट छात्रवृत्ति – कक्षा I से XII (एससीएसपी) – 2035.93 लाख रुपये की बचत (3200.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः लाभार्थियों की कम संख्या होने एवं कुछ विद्यार्थियों का खाता आधार से न जुड़ने की वजह से भुगतान जारी न कर सकने के कारण हुई।

(iv) निजी स्कूलों में ट्यूशन फीस की अदायगी (एससीएसपी) – 243.27 लाख रुपये की बचत (1300.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम बिलों के प्राप्त होने के कारण हुई।

(v) जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना (एससीएसपी) – 3094.08 लाख रुपये की बचत (4000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम बिलों की प्राप्ति, योजना के संशोधन के अधीन होने एवं एस.टी., ओ.बी.सी. एवं ई.डब्ल्यू.एस. तक योजना के विस्तार पर निर्णय होने के बाद, दिल्ली विधान सभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता के लागू होने की वजह से कोचिंग संस्थानों को अतिरिक्त सीटें देने में देरी होने के कारण हुई।

(ब) पिछड़े वर्गों का कल्याण – अन्य व्यय – दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग को सहायता अनुदान – 199.74 लाख रुपये की बचत (285.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः सहायता अनुदान को अगले वित्त वर्ष में ले जाने के कारण हुई।

(स) सामान्य – अन्य व्यय – कॉलेजों एवं विश्वविद्यालय के अ.ज./अ.ज.जा के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति (एससीएसपी) – 154.20 लाख रुपये की बचत (200.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः लाभार्थियों की संख्या कम होने के कारण हुई।

5. **मुख्यशीर्ष "2041"** – वाहनों पर कर – (क) निर्देशन एवं प्रशासन – परिवहन विभाग – 182.26 लाख रुपये की बचत (1550.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों के कारण हुई।

(ख) वसूली प्रभार – 781.07 लाख रुपये की बचत (7236.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्तियों, कम दावों/बिलों, कम विदेशी यात्राओं एवं लॉकडाउन होने की वजह से कुछ प्रस्तावों का निपटारा न हो सकने के कारण हुई।

(ग) अन्य व्यय – (i) सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ एवं गैर सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान – 2215.32 लाख रुपये की बचत (20215.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 14200.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः कम सहायता अनुदान जारी होने के कारण हुई।

(ii) अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण – 119.54 लाख रुपये की बचत (899.80 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्तियों, कम दावों/बिलों, कम विदेशी यात्राओं एवं लॉकडाउन होने की वजह से कुछ प्रस्तावों का निपटारा न हो सकने के कारण हुई।

(iii) पार्किंग फीस के बदले स्थानीय निकायों को मुआवज़ा – दक्षिणी दिल्ली नगर निगम – 1535.40 लाख रुपये की बचत (4998.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम सहायता अनुदान जारी होने के कारण हुई।

(iv) पार्किंग फीस के बदले स्थानीय निकायों को मुआवज़ा – पूर्वी दिल्ली नगर निगम – 646.50 लाख रुपये की बचत (2105.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम सहायता अनुदान जारी होने के कारण हुई।

(v) पार्किंग फीस के बदले स्थानीय निकायों को मुआवज़ा – उत्तरी दिल्ली नगर निगम – 1195.94 लाख रुपये की बचत (3895.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम सहायता अनुदान जारी होने के कारण हुई।

(vi) छूट (ऑटो रिक्शा में जीपीएस ट्रेकिंग शुल्क एवं सिम कार्ड की लागत) – 186.07 लाख रुपये की बचत (501.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः लॉकडाउन होने की वजह से कुछ प्रस्तावों का निपटारा न हो सकने के कारण हुई।

(vii) छूट (हल्के मोटर वाहन में जीपीएस ट्रेकिंग शुल्क एवं सिम कार्ड की लागत) – 588.16 लाख रुपये की बचत (600.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः लॉकडाउन होने की वजह से कुछ प्रस्तावों का निपटारा न हो सकने के कारण हुई।

6. **मुख्यशीर्ष "3055"** – सड़क परिवहन – सार्वजनिक क्षेत्र व अन्य उपक्रमों को सहायता – (i) रियायती पासों के लिए डी.टी.सी को सब्सिडी – 1732.08 लाख रुपये की बचत (10800.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः लॉकडाउन होने की वजह से कुछ प्रस्तावों का निपटारा न हो सकने के कारण हुई।
- (ii) क्लस्टर बसों को घाटा पूर्ति के लिये क्षतिपूर्ति – 5000.00 लाख रुपये की बचत (70000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः क्लस्टर बसों को क्षतिपूर्ति के लिए कम मुआवज़ा जारी होने के कारण हुई।
- (iii) महिला यात्रियों के लिए डीटीसी को छूट – 1984.24 लाख रुपये की बचत (9001.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः योजना के देरी से लागू होने के कारण अर्थात् 28/10/2019 से एवं लॉकडाउन की वजह से विभिन्न प्राधिकारियों से अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण भुगतान न कर सकने के कारण हुई।
- (iv) महिला यात्रियों के लिए क्लस्टर बसों को छूट – 547.50 लाख रुपये की बचत (5000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः योजना के देरी से लागू होने के कारण अर्थात् 28/10/2019 से एवं लॉकडाउन की वजह से विभिन्न प्राधिकारियों से अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण भुगतान न कर सकने के कारण हुई।
7. **मुख्यशीर्ष "3435"** – पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण – प्रदूषण का निवारण तथा नियन्त्रण – अन्य व्यय – मोटर वाहनों के धुँए से होने वाले वायु प्रदूषण पर नियंत्रण – 128.43 लाख रुपये की बचत (222.40 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों के कारण हुई।
8. **मुख्यशीर्ष "3452"** – पर्यटन – (अ) पर्यटक अवस्थापना – सार्वजनिक क्षेत्र व अन्य उपक्रमों को सहायता – दिल्ली होटल प्रबंधन व खानपान तकनीकी संस्थान को सहायता अनुदान – 453.52 लाख रुपये की बचत (500.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम सहायता अनुदान जारी होने एवं पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा कार्य का क्रियान्वयन न करने के कारण हुई।
- (ब) सामान्य – प्रचार एवं प्रसार – (i) दिल्ली एक गंतव्य-पर्यटन को प्रोत्साहन – 363.15 लाख रुपये की बचत (992.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 2.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः संशोधित अनुमानों को देरी से अनुमोदन मिलने व लॉकडाउन की वजह से अंतिम किश्त के जारी न हो सकने के कारण हुई।
- (ii) पर्यटन आधारभूत ढांचा – 100.08 लाख रुपये की बचत (400.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कुछ तकनीकी कारणों की वजह से दिल्ली हाट (आईएनए) एवं कर्नाट प्लेस कॉफी होम के नवीनीकरण एवं उन्नयन का कार्य पूरा न हो सकने के कारण हुई।
- (iii) प्रवेश द्वारों का सौन्दर्यीकरण – 2305.56 लाख रुपये की बचत (2500.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम सहायता अनुदान जारी होने एवं पिछले वर्ष की अव्ययित राशि के जारी होने के कारण हुई।

इसके अतिरिक्त, 1873.62 लाख रुपये की बचत 24 उपशीर्षों के अंतर्गत हुई जोकि 50.00 लाख रुपये से अधिक परंतु 1.00 करोड़ रुपये से कम थी।

उपरोक्त बचतें निम्नलिखित उपशीर्षों के अंतर्गत हुए अधिक व्यय से अंशतः प्रतिसंतुलित की गई थी :-

1. **मुख्यशीर्ष "2235"** – सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण – समाज कल्याण – (क) वृद्ध, अशक्त व निस्सहायों का कल्याण – वरिष्ठ नागरिक पेंशन योजना (वृद्धावस्था सहायता का विस्तार) – 226.54 लाख रुपये का अधिक व्यय (115000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 10000.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः अधिक बिल प्राप्त होने के कारण हुआ।

(ख) महिलाओं का कल्याण – (i) महिला राज्य आयोग – 467.39 लाख रुपये का अधिक व्यय (2002.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 2.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः अधिक अनुदान जारी करने के कारण हुआ।

(ii) विधवाओं को पेंशन – 428.76 लाख रुपये का अधिक व्यय (65197.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 9197.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः लाभार्थियों की संख्या अधिक होने के कारण हुआ।
2. **मुख्यशीर्ष "2225"** – अ.जा./अ.ज.जा एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण – अनुसूचित जातियों का कल्याण – (क) शिक्षा – (i) सार्वजनिक विद्यालयों में ट्यूशन फीस की अदायगी – 795.11 लाख रुपये का अधिक व्यय (3201.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः पब्लिक स्कूलों से अधिक बिलों/दावों के प्राप्त होने के कारण हुआ।

(ii) अ.जा./अ.ज.जा./अन्य पिछड़े वर्ग एवं अल्पसंख्यक छात्रों के लिए स्टेशनरी की खरीद एवं योग्यता छात्रवृत्ति के लिए वित्तीय सहायता – 6767.25 लाख रुपये का अधिक व्यय (1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः लाभार्थियों की संख्या अधिक होने की वजह से अधिक बिलों के प्राप्त होने के कारण हुआ।

(ख) अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना – अ.जा./अ.ज.जा./अन्य पिछड़े वर्ग एवं अल्पसंख्यक छात्रों के लिए स्टेशनरी की खरीद एवं योग्यता छात्रवृत्ति के लिए वित्तीय सहायता (एस.सी.एस.पी.) – 2999.00 लाख रुपये का अधिक व्यय (1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः लाभार्थियों की संख्या अधिक होने की वजह से अधिक बिलों के प्राप्त होने के कारण हुआ।

(ग) अन्य व्यय – अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता (सी.एस.एस.) – 161.00 लाख रुपये का अधिक व्यय (50.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः भारत सरकार से अधिक अनुदान प्राप्त होने के कारण हुआ।
3. **मुख्यशीर्ष "2041"** – वाहनों पर कर – वसूली प्रभार – ड्राइविंग लाइसेंस शुल्क – 131.10 लाख रुपये का अधिक व्यय (500.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः अधिक बिलों के प्राप्त होने के कारण हुआ।
4. **मुख्यशीर्ष "3055"** – सड़क परिवहन – सार्वजनिक क्षेत्र व अन्य उपक्रमों को सहायता – घाटा पूर्ति के लिये डी.टी.सी. को सहायता अनुदान – 15398.00 लाख रुपये का अधिक व्यय (187602.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 2.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः अधिक अनुदान जारी होने के कारण हुआ।
5. **मुख्यशीर्ष "3075"** – अन्य परिवहन सेवायें – अन्य – अन्य व्यय – अन्य योजनाओं के लिए अध्ययन/परामर्शदात्री सेवायें – 105.10 लाख रुपये का अधिक व्यय (1.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः अधिक बिलों के प्राप्त होने के कारण हुआ।

इसके अतिरिक्त, 370.90 लाख रुपये का अधिक व्यय पांच उपशीर्षों के अंतर्गत हुआ जोकि 50.00 लाख रुपये से अधिक परंतु 1.00 करोड़ रुपये से कम था।

अनुदान के पूंजीगत भाग के स्वीकृत अंश में 42050.59 लाख रुपये की कुल बचत थी जोकि (193818.50 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 87214.50 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) कुल स्वीकृत प्रावधान का 21.69 प्रतिशत थी।

29305.00 लाख रुपये की राशि 15 उपशीर्षों के अन्तर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रही। जिसमें निम्नलिखित उपशीर्ष शामिल है :-

1. **मुख्यशीर्ष "4235"** – सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय – समाज कल्याण – (क) विकलांगों का कल्याण – विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995 के कार्यान्वयन के लिए योजना (एस.आई.पी.डी. ए.) (सी.एस.एस) – 900.00 लाख रुपये – कार्य की धीमी प्रगति के कारण।

(ख) वृद्ध, अशक्त व निस्सहायों का कल्याण – (i) वृद्धावस्था गृह – 500.00 लाख रुपये – योजना का कार्यान्वयन न होने के कारण।

(ii) हाफ वे होम/लॉग स्टे होम – 500.00 लाख रुपये – कार्य की धीमी प्रगति एवं 5 हाफ वे होम के निर्माण का कार्य पूरा होने एवं नए प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण।

(ग) बाल कल्याण – प्रत्येक आँगनवाड़ी केन्द्र में सी.सी.टी.वी. – 2000.00 लाख रुपये – योजना का कार्यान्वयन न होने के कारण।

(घ) महिला कल्याण – कामकाजी महिला होस्टल निर्माण – 300.00 लाख रुपये – योजना का कार्यान्वयन न होने के कारण।

2. **मुख्यशीर्ष "6225"** – अ.जा./अ.ज.जा./अन्य पिछड़े वर्गों एवं अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए ऋण – सामान्य – अन्य ऋण – अ.जा./अ.ज.जा./अन्य पिछड़े वर्गों/अल्पसंख्यकों/विकलांगों को शिक्षा ऋण देने के लिए डीएसएफडीसी को ऋण – 101.00 लाख रुपये – योजना के अंतर्गत अतिरिक्त निधि देने के प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय न होने के कारण।

3. **मुख्यशीर्ष "5055"** – सड़क परिवहन पर पूंजी परिव्यय – (क) भूमि एवं भवन – बस कतार आश्रयों का निर्माण – 5000.00 लाख रुपये – योजना का कार्यान्वयन न होने के कारण।

(ख) सार्वजनिक क्षेत्र व अन्य उपक्रमों में निवेश – बसों की खरीद के लिए दिल्ली परिवहन निगम को अंश पूंजी – 15000.00 लाख रुपये – डी.टी.सी. को अंश पूंजी जारी न करने के कारण।

(ग) अन्य व्यय – (i) विद्युत ट्रोली बसों का आरम्भ-यातायात का वैकल्पिक साधन – 100.00 लाख रुपये – कार्य की धीमी प्रगति के कारण।

(ii) आर.आर.टी.एस. कॉरिडोर – 4700.00 लाख रुपये – योजना का कार्यान्वयन न होने के कारण।

4. **मुख्यशीर्ष "5452"** – पर्यटन पर पूंजी परिव्यय – पर्यटक ढांचा – अन्य व्यय – यमुना नदी के सामने विकास – 200.00 लाख रुपये – कार्य की धीमी प्रगति के कारण।

बचत/अधिक व्यय मुख्यतः निम्नलिखित मुख्यशीर्षों के अन्तर्गत हुई :-

(लाख रुपयों में)

समाज कल्याण विभाग

मुख्यशीर्ष "4235"

सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण
पर पूंजी परिव्यय

मू.	2200.00)			
पू.	-1855.00)	345.00	53.98	-291.02

महिला एवं बाल विकास

मुख्यशीर्ष "4235"

सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण
पर पूंजी परिव्यय

मू.	2500.00)			
पू.	50.00)			
पु.	-2318.00)	232.00	51.09	-180.91

अ.जा./अ.ज.जा. एवं

पिछड़े वर्गों का कल्याण विभाग

मुख्यशीर्ष "4225"

अ.जा./अ.ज.जा. एवं
पिछड़े वर्गों के कल्याण
पर पूंजी परिव्यय

मू.	7500.00)			
पु.	-2500.00)	5000.00	3441.22	-1558.78

परिवहन विभाग

मुख्यशीर्ष "5055"

सड़क परिवहन पर पूंजी परिव्यय

मू.	59203.00)			
पू.	19701.50)			
पु.	-44664.00)	34240.50	28314.47	-5926.03

मुख्यशीर्ष "7055"

सड़क परिवहन के लिए ऋण

मू.	35001.00)			
पू.	67361.00)			
पु.	-14999.00)	117361.00	117359.50	-1.50

पर्यटन विभाग

मुख्यशीर्ष "5452"

पर्यटन पर पूंजी परिव्यय

मू.	200.00)			
पू.	1.00)			
पु.	2401.00)	2602.00	2547.65	-54.35

1.00 करोड़ रुपये से अधिक की बचत मुख्यतः निम्नलिखित उपशीर्षों के अन्तर्गत हुई :-

1. **मुख्यशीर्ष "4235"** – सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूंजी परिव्यय – समाज कल्याण – अन्य व्यय–
(i) विद्यमान भवनों में अतिरिक्त सुविधाओं का प्रावधान (एस.डब्ल्यू.डी.) – 246.02 लाख रुपये की बचत (300.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य की धीमी प्रगति एवं कुछ प्रस्तावों के प्रक्रियाधीन रहने के कारण हुई।

(ii) विद्यमान भवनों में अतिरिक्त सुविधाओं का प्रावधान (डब्ल्यू.सी.डी.) – 198.91 लाख रुपये की बचत (250.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 50.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः सक्षम अधिकारी द्वारा कुछ आपत्ति लगाने की वजह से सुरक्षा जाल व भवनों के मरम्मत/रखरखाव से संबंधित कुछ प्रस्तावों का निपटारा न हो सकने के कारण हुई।
2. **मुख्यशीर्ष "4225"** – अ.जा./अ.ज.जा. एवं पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजी परिव्यय – अनुसूचित जाति का कल्याण – अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना – अनुसूचित जातियों की बस्तियों का सुधार (एस.सी.एस.पी.) – 4058.78 लाख रुपये की बचत (7500.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य की धीमी प्रगति एवं 2019 के आम चुनाव हेतु आदर्श आचार संहिता के लागू होने की वजह से निधियों का पूर्णतः उपयोग न कर सकने के कारण हुई।
3. **मुख्यशीर्ष "5055"** – सड़क परिवहन पर पूंजी परिव्यय – (क) भूमि व भवन – नई तकनीक सहित बस डिपों व टर्मिनलों का निर्माण – 3973.29 लाख रुपये की बचत (15000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य की धीमी प्रगति एवं लॉकडाउन होने की वजह से कुछ प्रस्तावों पर अंतिम निर्णय न होने के कारण हुई।

(ख) सार्वजनिक क्षेत्र व अन्य उपक्रमों में निवेश – (i) एम.आर.टी. प्राधिकरण को अंश पूंजी – 15000.00 लाख रुपये की बचत (30000.50 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 15000.50 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः एम.आर.टी. प्राधिकरण को कम इक्विटी जारी होने के कारण हुई।

(ii) डी.टी.सी. और क्लस्टर बसों में सी.सी.टी.वी कैमरों की स्थापना (राज्य अंश) – 7988.67 लाख रुपये की बचत (8000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य की धीमी प्रगति के कारण हुई।
4. **मुख्यशीर्ष "7055"** – सड़क परिवहन के लिए ऋण – सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों को ऋण – केन्द्रीय करों की प्रतिपूर्ति के लिए एम.आर.टी.एस. को ऋण – 5000.00 लाख रुपये की बचत (10000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 5000.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः कम ऋण जारी करने के कारण हुई।

इसके अतिरिक्त, 91.44 लाख रुपये की बचत एक उपशीर्ष के अंतर्गत हुई जोकि 50.00 लाख रुपये से अधिक परंतु 1.00 करोड़ रुपये से कम थी।

उपरोक्त बचतें निम्नलिखित उपशीर्षों के अंतर्गत हुए अधिक व्यय से अंशतः प्रतिसंतुलित की गई थी :-

1. **मुख्यशीर्ष "5055"** – सड़क परिवहन पर पूंजी परिव्यय – भूमि व भवन – परिवहन विभाग – 1266.37 लाख रुपये का अधिक व्यय (1001.00 लाख रुपये के स्वीकृत एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य की अच्छी गति के कारण हुआ।

2. **मुख्यशीर्ष "7055"** – सड़क परिवहन के लिए ऋण – सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों को ऋण – एम. आर.टी.एस. के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु अधीनस्थ ऋण – 19998.50 लाख रुपये का अधिक व्यय (92361.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 62361.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः अधिक ऋण जारी करने के कारण हुआ।
3. **मुख्यशीर्ष "5452"** – पर्यटन पर पूंजी परिव्यय – पर्यटक ढांचा – पर्यटक आवास – दिल्ली सदन के निर्माण के लिए भूमि की खरीद – 2546.65 लाख रुपये का अधिक व्यय (1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य की अच्छी गति के कारण हुआ।

अनुदान संख्या 9 – उद्योग

	कुल अनुदान या विनियोजन	वास्तविक व्यय	बचत (-) अधिक व्यय (+)
			(हजार रुपयों में)

राजस्व

प्रभारित – 13.50 50 -13.00

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि -8.50

स्वीकृत—

मूल 452,29,50)
पूरक 11,50) 452,41,00 204,48,44 -247,92,56

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि -236,16,00

पूँजीगत

स्वीकृत – 2,22,00 19,02 -2,02,98

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि -83,00

टीका एवं टिप्पणियां

अनुदान के राजस्व भाग के प्रभारित अंश में 13.00 लाख रुपये की कुल बचत थी जोकि (13.50 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सम्पूर्ण स्वीकृत विनियोजन का 96.29 प्रतिशत थी ।

3.50 लाख रुपये की राशि दो उपशीर्षों के अन्तर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रही ।

अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में 24792.56 लाख रुपये की कुल बचत थी जोकि (45241.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 11.50 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) सम्पूर्ण स्वीकृत प्रावधान का 54.80 प्रतिशत थी ।

1442.30 लाख रुपये की राशि 19 उपशीर्षों के अन्तर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रही । इसमें निम्नलिखित उपशीर्ष शामिल है :-

1. **मुख्यशीर्ष "3456"** – नागरिक आपूर्ति – (क) उपभोक्ता को छूट – आवश्यक वस्तुओं की मूल्य वृद्धि की जांच के लिए बाजारों पर हस्तक्षेप का प्रावधान – 1050.00 लाख रुपये – योजना का कार्यान्वयन न होने के कारण ।
(ख) अन्य व्यय – राज्य खाद्य आयोग – 100.00 लाख रुपये – रिक्त पदों एवं योजना का कार्यान्वयन न होने के कारण ।
2. **मुख्यशीर्ष "3475"** – अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं – माप तोल का विनियमन – न्यायिक माप विज्ञान स्कंध का सुदृढीकरण (सीएसएस) – 100.00 लाख रुपये – कार्य के आरम्भ न होने के कारण ।

बचत/अधिक व्यय मुख्यतः निम्नलिखित मुख्यशीर्षों के अन्तर्गत हुई :-

(लाख रुपयों में)

उद्योग विभाग

मुख्यशीर्ष "2851"

ग्रामीण एवं लघु उद्योग

मू.	2375.50)			
पू.	4.00)			
पु.	170.00)	2549.50	2250.45	-299.05

रोजगार विभाग

मुख्यशीर्ष "2230"

श्रम एवं रोजगार

मू.	1248.00)			
पु.	-282.50)	965.50	911.85	-53.65

श्रम विभाग

मुख्यशीर्ष "2230"

श्रम एवं रोजगार

मू.	2932.00)			
पु.	-410.00)	2522.00	2354.08	-167.92

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं

उपभोक्ता मामले विभाग

मुख्यशीर्ष "3456"

नागरिक आपूर्ति

मू.	37724.50)			
पू.	7.50)			
पु.	-23010.70)	14721.30	14247.01	-474.29

माप तोल विभाग

मुख्यशीर्ष "3475"

अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं

मू.	899.50)			
पु.	-82.80)	816.70	635.05	-181.65

1.00 करोड़ रुपये से अधिक की बचत मुख्यतः निम्नलिखित उपशीर्षों के अंतर्गत हुई:-

1. **मुख्यशीर्ष "2851"** - ग्रामीण एवं लघु उद्योग - (क) निर्देशन एवं प्रशासन - मुख्यालय स्थापना - 214.09 लाख रुपये की बचत (1443.20 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों के न भरने एवं कुछ खरीद प्रस्तावों को अमल में न लाने के कारण हुई।

(ख) लघु उद्योग - प्रचार, अधिप्रचार एवं प्रदर्शनी - 110.05 लाख रुपये की बचत (144.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः विज्ञापन व प्रचार पर कम व्यय होने के कारण हुई।

2. **मुख्यशीर्ष "2230"** - श्रम एवं रोजगार - (अ) रोजगार - निर्देशन एवं प्रशासन - रोजगार निदेशालय - 127.26 लाख रुपये की बचत (428.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों, कम बिलों की प्राप्ति एवं कम खरीद होने के कारण हुई।

(ब) श्रम – निर्देशन एवं प्रशासन – मुख्यालय स्थापना – 410.85 लाख रुपये की बचत (2747.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों, कम बिलों की प्राप्ति, कम खरीद होने एवं नए वाहनों के खरीद प्रस्तावों के अमल में न आ सकने के कारण हुई।

3. **मुख्यशीर्ष "3456"** – नागरिक आपूर्ति – (क) निर्देशन एवं प्रशासन – 231.75 लाख रुपये की बचत (4567.20 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों, कम बिलों की प्राप्ति एवं लॉकडाउन होने की वजह से बकाया बिल, किराया बिल आदि वेतन एवं लेखा कार्यालय में भुगतान के लिए प्रस्तुत न कर सकने के कारण हुई।

(ख) नागरिक आपूर्ति योजनाएँ – (i) गरीबी रेखा के नीचे पर ध्यान देने के साथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुचारु करना – 21301.00 लाख रुपये की बचत (30000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः योजना की धीमी गति एवं कम बिलों के प्राप्त होने के कारण हुई।

(ii) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कम्प्यूटरीकरण (टीपीडीएस)–राज्य अंश – 465.45 लाख रुपये की बचत (641.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः योजना की धीमी गति के कारण हुई।

(iii) उपभोक्ता फोरा फेस-2 का सुदृढीकरण (सी.एस.एस.) – 107.96 लाख रुपये की बचत (115.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः भारत सरकार से कम निधि के प्राप्त होने एवं राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की वजह से आई.टी.व गैर आई.टी. वस्तुओं की खरीद के प्रस्तावों पर अंतिम निर्णय न हो सकने के कारण हुई।

(ग) अन्य व्यय – जिला फोरम एवं राज्य आयोग – 182.51 लाख रुपये की बचत (979.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः लॉकडाउन होने की वजह से बकाया बिल, किराया बिल आदि वेतन एवं लेखा कार्यालय में भुगतान के लिए प्रस्तुत न कर सकने के कारण हुई।

4. **मुख्यशीर्ष "3475"** – अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ – मापतोल का विनियमन – मानक माप तोल प्रवर्तन – 164.45 लाख रुपये की बचत (799.50 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों, कम बिलों की प्राप्ति एवं कम खरीद होने के कारण हुई।

इसके अतिरिक्त, 162.85 लाख रुपये की बचत दो उपशीर्षों के अन्तर्गत हुई जो कि 50.00 लाख रुपये से अधिक परन्तु 1.00 करोड रुपये से कम थी।

उपरोक्त बचतें निम्नलिखित उपशीर्ष अंतर्गत हुए अधिक व्यय से अंशतः प्रतिसंतुलित की गई थी :-

1. **मुख्यशीर्ष "2851"** – ग्रामीण एवं लघु उद्योग – अन्य व्यय – ई बिज पोर्टल के साथ सेवाओं का एकीकरण (सी.एस.एस.) – 171.06 लाख रुपये का अधिक व्यय (1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः भारत सरकार से अधिक अनुदान प्राप्त होने के कारण हुआ।

इसके अतिरिक्त, 79.58 लाख रुपये का अधिक व्यय एक उपशीर्ष के अन्तर्गत हुआ जो कि 50.00 लाख रुपये से अधिक परन्तु 1.00 करोड रुपये से कम था।

अनुदान के पूंजीगत भाग के स्वीकृत अंश में 202.98 लाख रुपये की कुल बचत थी (222.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) जोकि कुल स्वीकृत प्रावधान का 91.43 प्रतिशत थी।

172.00 लाख रुपये की राशि चार उपशीर्षों के अन्तर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रही । इसमें निम्नलिखित उपशीर्ष शामिल है :-

- 1 **मुख्यशीर्ष "6851"** — ग्रामीण व लघु उद्योगों के लिए ऋण — खादी एवं ग्रामीण उद्योग — राजीव गांधी स्वावलम्बी रोजगार योजना के लिए दिल्ली खादी एवं ग्रामीण उद्योग बोर्ड को ऋण — 120.00 लाख रुपये — कम ऋण जारी होने के कारण ।

अनुदान संख्या 10 – विकास

	कुल अनुदान या विनियोजन	वास्तविक व्यय	बचत (-) अधिक व्यय (+)
(हजार रूपयों में)			
राजस्व			
प्रभारित –			
मूल 30,60)			
पूरक 2,10)	32,70	2,43	-30,27
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			-6,00
स्वीकृत –			
मूल 3105,42,40)			
पूरक 132,77,15)	3238,19,55	2627,60,36	-610,59,19
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			-66,98,25
पूंजीगत			
प्रभारित –			
मूल 50,00)			
पूरक 50,00)	1,00,00	43,22	-56,78
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			कुछ नहीं
स्वीकृत			
मूल 716,63,00)			
पूरक 3,00)	716,66,00	443,00,41	-273,65,59
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			-205,83,00
टीका एवं टिप्पणियां			

अनुदान के राजस्व भाग के प्रभारित अंश में 30.27 लाख रुपये की कुल बचत (32.70 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 2.10 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) थी जोकि सम्पूर्ण स्वीकृत विनियोजन का 92.56 प्रतिशत थी ।

26.70 लाख रुपये की राशि छह उपशीर्षों के अन्तर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रही ।

अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में 61059.19 लाख रुपये की कुल बचत (323819.55 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 13277.15 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) थी जोकि सम्पूर्ण स्वीकृत प्रावधान का 18.85 प्रतिशत थी ।

16604.16 लाख रुपये की राशि 56 उपशीर्षों के अन्तर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रही। जिसमें निम्नलिखित उपशीर्ष शामिल हैं :-

1. **मुख्यशीर्ष "2401"** - कृषि पालन - (क) खाद्यान्न फसलें - किसान मित्र योजना - 10000.00 लाख रुपये - सब्सिडी जारी न होने के कारण।

(ख) कृषि फॉर्म - (i) स्मार्ट कृषि योजना - 250.00 लाख रुपये - योजना का कार्यान्वयन न होने के कारण।

(ii) परंपरागत कृषि विकास योजना (सी.एस.एस) - 1000.00 लाख रुपये - भारत सरकार से कम निधि के प्राप्त होने, आर.सी./एन.जी.ओ. द्वारा जमा किए गए बिलों में कुछ त्रुटि होने व कुछ बिलों के प्रक्रियाधीन होने की वजह से बिलों का भुगतान न किये जा सकने के कारण।
2. **मुख्यशीर्ष "2403"** - पशुपालन - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना - अस्पतालों और औषधालयों में पशु चिकित्सा व संक्रामक रोगों की रोकथाम (एस.सी.एस.पी.) - 100.00 लाख रुपये - चुनाव के उपलक्ष्य में आदर्श आचार संहिता लागू होने की वजह से व्यय न कर सकने के कारण।
3. **मुख्यशीर्ष "2405"** - मत्स्य पालन - अन्तर्देशीय मत्स्य पालन - ब्लू क्रांति समन्वित विकास और मत्स्य पालन के प्रबंधन (राज्य अंश) - 180.00 लाख रुपये - कम सब्सिडी जारी होने एवं लाभार्थियों की कम संख्या होने के कारण।
4. **मुख्यशीर्ष "2030"** - स्टाम्प और पंजीकरण - स्टाम्प न्यायिक - स्टाम्पों की लागत - राजस्व सचिव - 210.00 लाख रुपये - कम बिलों के प्राप्त होने के कारण।
5. **मुख्यशीर्ष "2053"** - जिला प्रशासन - अन्य व्यय - राजस्व सचिव - दिल्ली ई जिला कार्यान्वयन सोसाइटी को सहायता अनुदान - ई जिला परियोजना - 150.00 लाख रुपये - कम अनुदान जारी होने के कारण।
6. **मुख्यशीर्ष "2225"** - अ.ज./अ.ज.जा एवं पिछड़ा वर्ग का कल्याण - (अ) अनुसूचित जातियों का कल्याण - अन्य व्यय - अल्पसंख्यक बाहुल्य जिलों के लिए बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (सी.एस.एस.) - 1100.00 लाख रुपये - भारत सरकार से अनुदान प्राप्त न होने के कारण।

(ब) पिछड़े वर्गों का कल्याण - शिक्षा - अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति योजना (सीएसएस) - 601.00 लाख रुपये - अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा योजना के सीधे एन.एस.पी. के माध्यम से क्रियान्वित करने के कारण।
7. **मुख्यशीर्ष "2235"** - सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण - (अ) समाज कल्याण - अन्य कार्यक्रम - अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु वित्तीय सहायता /वजीफा तथा अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ - 1000.00 लाख रुपये - योजना का कार्यान्वयन न होने के कारण।

(ब) अन्य सामाजिक सुरक्षा व कल्याण कार्यक्रम - अन्य कार्यक्रम - गवाह संरक्षण कोष - 200.00 लाख रुपये - कम बिलों की प्राप्ति एवं मामलों के कम प्राप्त होने की वजह से बजट का उपयोग न हो सकने के कारण।
8. **मुख्यशीर्ष "2245"** - प्राकृतिक आपदाओं के लिये राहत - सामान्य - आपदा उन्मुख क्षेत्रों में राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक योजना पर प्रबंधन - आपदा आकस्मिकता योजना/आपदा प्रतिक्रिया कोष - 500.00 लाख रुपये - योजना का कार्यान्वयन न होने के कारण।

9. **मुख्यशीर्ष "2406"** – वानिकी और वन्य जीवन – पर्यावरण वानिकी एवं वन्य जीवन – वन्य जीवन संरक्षण – वन्यजीवों के आवासों का विकास (सी.एस.एस) – 600.00 लाख रुपये – भारत सरकार से कम निधि के प्राप्त होने एवं निविदाओं का निपटारा न होने के कारण।

बचत/अधिक व्यय मुख्यतः निम्नलिखित मुख्यशीर्षों के अन्तर्गत हुई :-

(लाख रूपयों में)

विकास विभाग

मुख्यशीर्ष "2401"

कृषि पालन

मू.	12844.16)			
पू.	5.50)			
पु.	-11185.76)	1663.90	1050.14	-613.76

मुख्यशीर्ष "2403"

पशुपालन

मू.	4011.49)			
पु.	-194.34)	3817.15	3086.05	-731.10

मुख्यशीर्ष "2405"

मत्स्य पालन

मू.	544.00)			
पु.	-362.50)	181.50	175.47	-6.03

मुख्यशीर्ष "2415"

कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा

मू.	431.90)			
पु.	-169.45)	262.45	259.91	-2.54

मुख्यशीर्ष "2515"

अन्य ग्रामीण विकास योजना

मू.	2300.00)			
पू.	1.50)			
पु.	-1872.50)	429.00	368.81	-60.19

सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग

मुख्यशीर्ष "2075"

विविध सामान्य सेवाएं

मू.	1200.00)			
पु.	-250.00)	950.00	873.81	-76.19

मुख्यशीर्ष "2702"

लघु सिंचाई

मू.	3560.00)			
पु.	-763.00)	2797.00	2406.03	-390.97

मुख्यशीर्ष "2711"

बाढ़ नियंत्रण एवं निष्कासन

मू.	21815.00)			
पु.	-1125.00)	20690.00	19109.81	-1580.19

मण्डल आयुक्त कार्यालय**मुख्यशीर्ष "2030"**

स्टैम्प एवं पंजीकरण

मू.	3200.00)			
पु.	186.00)	3386.00	2635.15	-750.85

मुख्यशीर्ष "2052"

सचिवालय सामान्य सेवाएं

मू.	3730.00)			
पु.	-700.00)	3030.00	2272.50	-757.50

मुख्यशीर्ष "2053"

जिला प्रशासन

मू.	17319.04)			
पू.	4000.00)			
पु.	-8334.59)	12984.45	10771.11	-2213.34

मुख्यशीर्ष "2070"

अन्य प्रशासनिक सेवाएं

मू.	1826.00)			
पु.	-537.45)	1288.55	1045.74	-242.81

मुख्यशीर्ष "2225"

अ.ज/अ.ज.जा एवं पिछड़ा वर्ग

मू.	2309.00)			
पू.	1.00)			
पु.	-1346.00)	964.00	193.36	-770.64

मुख्यशीर्ष "2235"

सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण

मू.	10662.00)			
पू.	1.00)			
पु.	-5832.30)	4830.70	4174.93	-655.77

मुख्यशीर्ष "2245"

प्राकृतिक आपदाओं

के लिए राहत

मू.	2941.00)			
पू.	2.00)			
पु.	4474.00)	7417.00	4212.53	-3204.47

मुख्यशीर्ष "2515"

अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम

मू.	730.46)			
पु.	-250.16)	480.30	398.83	-81.47

मुख्यशीर्ष "3604"स्थानीय निकायो तथा पंचायती
राज संस्थाओं को क्षति पूर्ति
तथा कार्यभार

मू.	169500.00)			
पू.	3.00)			
पु.	23697.00)	193200.00	164519.33	-28680.67

वन विभाग**मुख्यशीर्ष "2406"**

वानिकी एवं वन्य जीव जन्तु

मू.	5153.50)			
पू.	508.00)			
पु.	16.10)	5677.60	4993.11	-684.49

उपायुक्त कार्यालय**मध्य क्षेत्र****मुख्यशीर्ष "2015"**

चुनाव

मू.	1220.50)			
पू.	50.00)			
पु.	130.00)	1400.50	1185.43	-215.07

मुख्यशीर्ष "2053"

जिला प्रशासन

मू.	1007.50)			
पु.	-87.00)	920.50	803.19	-117.31

नई दिल्ली क्षेत्र**मुख्यशीर्ष "2015"**

चुनाव

मू.	1786.00)			
पू.	600.00)			
पु.	21.00)	2407.00	1720.38	-686.62

मुख्यशीर्ष "2053"

जिला प्रशासन

मू.	1180.10)			
पु.	-15.70)	1164.40	1022.94	-141.46

दक्षिणी क्षेत्र**मुख्यशीर्ष "2015"**

चुनाव

मू.	2561.70)			
पू.	400.00)			
पु.	-122.50)	2839.20	1533.69	-1305.51

दक्षिणी-पश्चिमी क्षेत्र**मुख्यशीर्ष "2015"**

चुनाव

मू.	1662.15)			
पु.	51.85)	1714.00	1468.45	-245.55

मुख्यशीर्ष "2053"

सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण

मू.	1260.92)			
पु.	-66.42)	1194.50	865.51	-328.99

पूर्वी क्षेत्र**मुख्यशीर्ष "2015"**

चुनाव

मू.	1886.00)			
पू.	2100.00)			
पु.	480.00)	4466.00	3192.64	-1273.36

मुख्यशीर्ष "2053"

जिला प्रशासन

मू.	1450.00)			
पु.	-286.00)	1164.00	930.83	-233.17

मुख्यशीर्ष "2245"

प्राकृतिक आपदाओं के लिये राहत

मू.	234.00)			
पु.	-61.00)	173.00	95.18	-77.82

पश्चिमी क्षेत्र**मुख्यशीर्ष "2015"**

चुनाव

मू.	2262.00)			
पू.	1100.00)			
पु.	113.00)	3475.00	3085.41	-389.59

मुख्यशीर्ष "2053"

जिला प्रशासन

मू.	1393.10)			
पु.	-172.50)	1220.60	1043.49	-177.11

उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र**मुख्यशीर्ष "2015"**

चुनाव

मू.	2327.80)			
पू.	500.00)			
पु.	-10.80)	2817.00	2424.14	-392.86

उत्तरी-पश्चिमी क्षेत्र**मुख्यशीर्ष "2015"**

चुनाव

मू.	4284.00)			
पू.	700.00)			
पु.	-330.00)	4654.00	3778.66	-875.34

मुख्यशीर्ष "2029"

भूमि राजस्व

मू.	296.00)			
पु.	-122.00)	174.00	117.05	-56.95

मुख्यशीर्ष "2053"

जिला प्रशासन

मू.	1498.00)			
पु.	-103.50)	1394.50	1140.24	-254.26

मुख्यशीर्ष "2245"

प्राकृतिक आपदाओं के लिये राहत

		140.00	27.50	-112.50
--	--	--------	-------	---------

उत्तरी क्षेत्र**मुख्यशीर्ष "2015"**

चुनाव

मू.	2154.20)			
पू.	1050.00)			
पु.	257.80)	3462.00	2163.08	-1298.92

मुख्यशीर्ष "2053"

जिला प्रशासन

मू.	1250.67)			
पु.	-211.57)	1039.10	886.00	-153.10

शाहदरा क्षेत्र**मुख्यशीर्ष "2015"**

चुनाव

मू.	831.00)			
पू.	1200.00)			
पु.	120.00)	2151.00	895.07	-1255.93

दक्षिणी-पूर्वी क्षेत्र**मुख्यशीर्ष "2015"**

चुनाव

मू.	1052.00)			
पू.	1050.00)			
पु.	105.00)	2207.00	842.95	-1364.05

मुख्यशीर्ष "2053"

जिला प्रशासन

मू.	747.00)			
पु.	198.00)	945.00	853.10	-91.90

पर्यावरण विभाग**मुख्यशीर्ष "2501"**

ग्रामीण विकास के लिये

विशेष कार्यक्रम

मू.	575.00)			
पू.	2.00)			
पु.	163.00)	740.00	639.44	-100.56

मुख्यशीर्ष "3435"

पारिस्थितिकी और पर्यावरण

मू.	3961.50)			
पू.	1.00)			
पु.	-2066.50)	1896.00	1320.32	-575.68

1.00 करोड़ रुपये से अधिक की बचत मुख्यतः निम्नलिखित उपशीर्षों के अंतर्गत हुई :-

1. **मुख्यशीर्ष "2401"** - कृषि पालन - कृषि सम्बंधी आर्थिक तथा सांख्यिकी - लाइव स्टॉक जनगणना का संचालन (सी.एस.एस) - 296.44 लाख रुपये की बचत (300.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः भारत सरकार से कम निधि प्राप्त होने एवं कम बिलों की प्राप्ति के कारण हुई।

2. **मुख्यशीर्ष "2403"** - पशुपालन - पशु चिकित्सालय सेवायें व पशु स्वास्थ्य - (i) अस्पताल एवं औषधालय - 132.00 लाख रुपये की बचत (1474.50 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों, कम बिलों की प्राप्ति, कम खरीद होने एवं कम मरम्मत के कारण हुई।

(ii) अस्पतालों और औषधालयों में पशु चिकित्सा सेवाओं व संक्रामक रोगों की रोकथाम - 280.06 लाख रुपये की बचत (800.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः वित्त विभाग द्वारा निधियों के पुनःविनियोजन को अनुमोदित न करने के कारण हुई।

3. **मुख्यशीर्ष "2405"** - मत्स्य पालन - अन्तर्देशीय मत्स्य पालन - ब्लू क्रांति समन्वित विकास और मत्स्य पालन के प्रबंधन (सी.एस.एस) - 163.61 लाख रुपये की बचत (300.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः लाभार्थियों की कम संख्या एवं भारत सरकार से कम निधि के प्राप्त होने के कारण हुई।

4. **मुख्यशीर्ष "2415"** - कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा - पशुपालन - अन्य संस्थाओं को सहायता एस.पी.सी.ए. को सहायता अनुदान - 190.00 लाख रुपये की बचत (400.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः सहायता अनुदान जारी न होने के कारण हुई।

5. **मुख्यशीर्ष "2515"** - अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम - (क) अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना - आई.डी.आर.वी. के माध्यम से ग्रामीण विकास बोर्ड के कार्य जिसमें जल निकास सम्मिलित हैं तथा 5 प्रतिशत परिव्यय ग्रामीण विकास बोर्ड के कार्यों की मरम्मत हेतु जुड़ी है (एस.सी.एस.पी.) - 383.63 लाख रुपये की बचत (400.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम मरम्मत कार्यों के कारण हुई।

(ख) अन्य व्यय - आई.डी.आर.वी. के माध्यम से ग्रामीण विकास बोर्ड के कार्य जिसमें जल निकास सम्मिलित हैं तथा 5 प्रतिशत परिव्यय ग्रामीण विकास बोर्ड के कार्यों की मरम्मत हेतु जुड़ी है (सामान्य) - 1525.39 लाख रुपये की बचत (1600.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम मरम्मत कार्यों के कारण हुई।

6. **मुख्यशीर्ष "2075"** – विविध सामान्य सेवाएं – अन्य व्यय – पेट्रोल आपूर्ति योजना – 326.19 लाख रुपये की बचत (1200.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम बिलों की प्राप्ति एवं दिल्ली सरकार के अन्य विभागों से पेट्रोल/डीजल की मांग में कमी आने के कारण हुई।
7. **मुख्यशीर्ष "2702"** – लघु सिंचाई – सामान्य अन्य व्यय – लघु कार्यों का रखरखाव व मरम्मत – 1018.62 लाख रुपये की बचत (3000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रखरखाव व मरम्मत पर कम व्यय होने एवं लॉकडाउन लगने की वजह से ठेकेदारों द्वारा कार्य को न मापने एवं बिलों के जमा न करने की वजह से हुई।
8. **मुख्यशीर्ष "2711"** – बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकासी – (अ) बाढ़ नियंत्रण – (क) निर्देशन एवं प्रशासन – 991.83 लाख रुपये की बचत (3580.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों, कम बिलों की प्राप्ति एवं भण्डारण वस्तुओं की खरीद न होने के कारण हुई।

(ख) मशीनरी व उपकरण – रखरखाव – 195.38 लाख रुपये की बचत (2085.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रखरखाव व मरम्मत पर कम व्यय होने एवं लॉकडाउन लगने की वजह से ठेकेदारों द्वारा कार्य को न मापने एवं बिलों के जमा न करने की वजह से हुई।

(ब) निष्कासन – मशीनरी व उपकरण – रखरखाव – 1421.97 लाख रुपये की बचत (16000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः लॉकडाउन लगने की वजह से ठेकेदारों द्वारा कार्य को न मापने एवं बिलों के जमा न करने की वजह से हुई।
9. **मुख्यशीर्ष "2030"** – स्टैंप एवं पंजीकरण – स्टैम्प न्यायिक – स्टैम्पों की बिक्री पर व्यय – राजस्व सचिव – 206.74 लाख रुपये की बचत (300.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम बिलों की प्राप्ति एवं न्यायिक स्टैम्पों की कम खरीद होने के कारण हुई।
10. **मुख्यशीर्ष "2052"** – सचिवालय सामान्य सेवाएं – सचिवालय – दिल्ली वक्फ बोर्ड को सहायता अनुदान – 1457.50 लाख रुपये की बचत (3730.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम अनुदान जारी होने, इमाम व मोजिनों को मानदेय एवं बोर्ड के नियमित कर्मचारियों को वेतन का भुगतान जारी न करने के कारण हुई।
11. **मुख्यशीर्ष "2053"** – जिला प्रशासन – जिला स्थापना – (i) राजस्व सचिव – 1220.82 लाख रुपये की बचत (4002.04 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम बिलों की प्राप्ति, कम खरीद होने एवं विभिन्न अनियमित पदों के रिक्त होने के कारण हुई।

(ii) मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा – 7695.98 लाख रुपये की बचत (8150.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम दौरो/यात्राओं, कॉविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण समय-समय पर वित्त विभाग के निर्देशों के अनुसार विभिन्न व्ययों को लंबित रखने एवं मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा से संबंधित विभिन्न भुगतानों के अभी भी शेष रहने के कारण हुई।

(iii) विभिन्न धार्मिक गतिविधियों के लिए सेवाएं – 1464.44 लाख रुपये की बचत (9000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 4000.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः कॉविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण समय-समय पर वित्त विभाग के निर्देशों के अनुसार विभिन्न व्ययों को लंबित रखने एवं मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा से संबंधित विभिन्न भुगतानों के अभी भी शेष रहने के कारण हुई।

12. **मुख्यशीर्ष "2070"** – अन्य प्रशासनिक सेवाएं – अन्य व्यय – सिविल डिफेंस – निर्देशन और प्रशासन – 686.80 लाख रुपये की बचत (1726.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों, विज्ञापन व प्रचार पर कम व्यय होने, कम बिलों की प्राप्ति एवं बैंक संबंधी जानकारीयां उपलब्ध न होने की वजह से बुनियादी प्रशिक्षण संबंधी बिलों का निपटारा न होने के कारण हुई।
13. **मुख्यशीर्ष "2225"** – अ.ज./अ.ज.जा एवं पिछड़े वर्गों का कल्याण – (अ) अनुसूचित जातियों का कल्याण – अन्य व्यय – अल्पसंख्यक बाहुल्यों जिलों के लिए बहु क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम-राज्य अंश – 292.51 लाख रुपये की बचत (300.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः योजना का कार्यान्वयन न होने के कारण हुई।
- (ब) अल्पसंख्यकों का कल्याण – निर्देशन एवं प्रशासन – दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग को सहायता अनुदान अन्य व्यय – 114.13 लाख रुपये की बचत (300.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कॉविड-19 महामारी की वजह से वर्ष के दौरान व्यय न हो सकने के कारण हुई।
14. **मुख्यशीर्ष "2235"** – सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण – (अ) पुनर्वास – (क) अन्य राहत उपाय – (i) 1984 के दंगों के शिकार लोगों के संबंध में भुगतान – 954.03 लाख रुपये की बचत (1000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः भारत सरकार से निधियों के प्राप्त न होने के कारण हुई।
- (ii) जम्मू एवं कश्मीर के विस्थापितों के संबंध में मासिक तदर्थ राहत का भुगतान – 1295.36 लाख रुपये की बचत (4000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः भारत सरकार से निधियों के प्राप्त न होने के कारण हुई।
- (ख) अन्य राहत योजना – राजस्व सचिव – बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास – 103.60 लाख रुपये की बचत (110.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम बिलों के प्राप्त होने के कारण हुई।
- (ब) अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम – अन्य कार्यक्रम – रक्षा/दिल्ली पुलिस/अर्धसैनिक/होम गार्ड और नागरिक सुरक्षाकर्मी के लड़ाई व कार्यवाही के दौरान मरने पर अनुग्रहपूर्वक अदायगी – 2700.00 लाख रुपये की बचत (3500.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः लाभार्थियों की संख्या कम होने एवं दिल्ली विधान सभा चुनाव की वजह से मात्र 73 मामलों के प्राप्त होने एवं उनके प्रक्रियाधीन रहने के कारण हुई।
15. **मुख्यशीर्ष "2515"** – अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम – सामुदायिक विकास – सामुदायिक विकास कार्मिक – 245.47 लाख रुपये की बचत (525.50 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों, कम बिलों की प्राप्ति एवं कम खरीद होने के कारण हुई।
16. **मुख्यशीर्ष "3604"** – स्थानीय निकायो तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षति पूर्ति तथा कार्यभार – स्टैम्प ड्यूटी – (i) कर संग्रह में स्थानीय निकायों का अंश – उत्तरी दिल्ली नगर परिषद को कर संग्रह में अंश के लिए सहायता अनुदान – 8720.28 लाख रुपये की बचत (65000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः वित्त वर्ष के दौरान सम्पत्ति का पूंजीकरण कम होने के कारण हुई।
- (ii) कर संग्रह में स्थानीय निकायों का अंश – दक्षिणी दिल्ली नगर परिषद को कर संग्रह में अंश के लिए सहायता अनुदान – 4843.73 लाख रुपये की बचत (80001.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः वित्त वर्ष के दौरान सम्पत्तियों का पूंजीकरण कम होने के कारण हुई।

(iii) कर संग्रह में स्थानीय निकायों का अंश – पूर्वी दिल्ली नगर परिषद को कर संग्रह में अंश के लिए सहायता अनुदान – 745.69 लाख रुपये की बचत (17501.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः वित्त वर्ष के दौरान सम्पत्तियों का पंजीकरण कम होने के कारण हुई।

17. **मुख्यशीर्ष "2406"** – वानिकी एवं वन्यजीव – वानिकी – सामाजिक एवं खेती वानिकी – वृक्षारोपण योजना – पौधों के बीजों का वितरण एवं रोपण – 256.07 लाख रुपये की बचत (2628.70 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों के न भरने, कम बिलों की प्राप्ति एवं कम खरीद होने के कारण हुई।

18. **मुख्यशीर्ष "2015"** – चुनाव – (क) मत सूची को तैयार करना व छपवाना – (i) नई दिल्ली जिला – 184.65 लाख रुपये की बचत (450.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः लॉकडाउन होने की वजह से बी.एल.ओ. के पारिश्रमिक एवं पी.वी.सी. ई.पी.आई.सी. कार्ड के छापने के प्रस्तावों पर अनुमादन प्राप्त न हो सकने के कारण हुई।

(ii) दक्षिण-पश्चिमी जिला – 165.12 लाख रुपये की बचत (200.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः विक्रेता द्वारा निर्वाचक नामावली छापने से संबंधित बिलों के जमा न कराने के कारण हुई।

(ख) संसदीय चुनावों के आयोजन का प्रभार – (i) नई दिल्ली जिला – लोकसभा चुनाव का आयोजन – 216.90 लाख रुपये की बचत (900.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 450.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः विक्रेता द्वारा बिलों के जमा न कराने के कारण हुई।

(ii) दक्षिणी जिला – लोकसभा चुनाव का आयोजन – 674.59 लाख रुपये की बचत (1500.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 300.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः लॉकडाउन होने के वजह से कई प्रस्तावों के विचाराधीन होने एवं अंतिम रूप से स्वीकृत न हो सकने के कारण हुई।

(iii) पूर्वी जिला – लोकसभा चुनाव का आयोजन – 408.18 लाख रुपये की बचत (1900.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1200.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः विविध प्रशासनिक कारणों की वजह से लोकसभा चुनाव के बिलों का निपटारा न होने के कारण हुई।

(iv) पश्चिमी जिला – लोकसभा चुनाव का आयोजन – 178.27 लाख रुपये की बचत (1500.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 600.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः विक्रेता द्वारा बिलों के जमा न कराने के कारण हुई।

(v) उत्तर-पश्चिमी जिला – लोकसभा चुनाव का आयोजन – 380.18 लाख रुपये की बचत (2700.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 700.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः लॉकडाउन होने की वजह से लोकसभा चुनाव 2019 से संबंधित कई भुगतानों के न होने के कारण हुई।

(vi) उत्तरी जिला – लोकसभा चुनाव का आयोजन – 192.56 लाख रुपये की बचत (1250.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 450.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः लॉकडाउन होने की वजह से कुछ प्रस्तावों पर वित्त विभाग से व्यय स्वीकृतियां प्राप्त न होने के कारण उनका निपटारा न हो सकने के कारण हुई।

(ग) राज्य/संघ क्षेत्र के विधान मंडलों के चुनाव कराने पर प्रभार – (i) मध्य जिला – चुनावों पर व्यय – 122.04 लाख रुपये की बचत (600.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 एवं कॉविड-19 महामारी के फैलने की वजह से अधिकतर विक्रेताओं द्वारा समय पर बिलों के जमा न करा सकने के कारण हुई।

(ii) नई दिल्ली जिला – चुनावों पर व्यय – 175.79 लाख रुपये की बचत (600.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 150.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः विक्रेता द्वारा बिलों को जमा न कराने एवं लॉकडाउन की वजह से कुछ प्रस्तावों के लंबित रहने के कारण हुई।

(iii) दक्षिणी जिला – चुनावों पर व्यय – 606.84 लाख रुपये की बचत (900.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 100.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः विक्रेता के बिलों का सत्यापन न होने एवं बाद में लॉकडाउन लगने की वजह से बिलों का निपटारा न हो सकने के कारण हुई।

(iv) पूर्वी जिला – चुनावों पर व्यय – 496.48 लाख रुपये की बचत (1200.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 900.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः विविध प्रशासनिक कारणों की वजह से लोकसभा चुनाव व दिल्ली विधानसभा चुनाव के बिलों का निपटारा न होने के कारण हुई।

(v) उत्तरी-पूर्वी जिला – चुनावों पर व्यय – 274.37 लाख रुपये की बचत (1000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 200.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः विक्रेता द्वारा पूर्ण बिलों के जमा न कराने एवं उत्तरी पूर्वी जिले में दंगे होने, कॉविड-19 महामारी के फैलने एवं फिर लॉकडाउन लगने की वजह से भुगतान जारी न कर सकने के कारण हुई।

(vi) उत्तरी-पश्चिमी जिला – चुनावों पर व्यय – 731.05 लाख रुपये की बचत (1500.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम खरीद होने, लॉकडाउन लगने की वजह से विधानसभा चुनाव 2020 से संबंधित विविध भुगतानों के न हो सकने एवं विक्रेता द्वारा कार्यालय में बिलों के जमा न करा सकने के कारण हुई।

(vii) उत्तरी जिला – चुनावों पर व्यय – 900.87 लाख रुपये की बचत (1200.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 600.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः विविध फर्मों से बिलों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

(viii) शाहदरा जिला – चुनावों पर व्यय – 1097.54 लाख रुपये की बचत (1500.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1200.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 से संबंधित बिलों के जमा न कराने/निपटारा न हो सकने के कारण हुई।

(ix) दक्षिणी-पूर्वी जिला – चुनावों पर व्यय – 1200.90 लाख रुपये की बचत (1500.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1050.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः 31 मार्च 2020 तक विक्रेता से बिलों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

(घ) मतदाताओं को पहचान पत्र जारी करना – पश्चिमी जिला – 115.07 लाख रुपये की बचत (215.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम बिलों/दावों के प्राप्त होने के कारण हुई।

19. **मुख्यशीर्ष "2053"** – जिला प्रशासन – (क) जिला स्थापना – (i) मध्य क्षेत्र – 137.80 लाख रुपये की बचत (829.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम खरीद होने एवं प्रशासनिक कारणों की वजह से जनरेटर की खरीद से संबंधित भुगतान जारी न कर सकने के कारण हुई।

(ii) नई दिल्ली जिला – 131.02 लाख रुपये की बचत (1106.10 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः विविध रिक्त पदों के कारण हुई।

- (iii) दक्षिण-पश्चिमी जिला – 226.92 लाख रुपये की बचत (970.66 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों, आकस्मिक/चिकित्सिक बिलों का निपटारा न होने के कारण हुई।
- (iv) पूर्वी क्षेत्र – 492.98 लाख रुपये की बचत (1415.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों, कम बिलों की प्राप्ति एवं विविध खरीद प्रस्तावों का निपटारा न होने के कारण हुई।
- (v) पश्चिमी क्षेत्र – 305.18 लाख रुपये की बचत (1312.60 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों, कम बिलों की प्राप्ति, कम खरीद होने एवं विक्रेताओं द्वारा बिलों के जमा न कराने के कारण हुई।
- (vi) उत्तरी-पश्चिमी क्षेत्र – 247.57 लाख रुपये की बचत (1246.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम बिलों/दावों की प्राप्ति, कम खरीद होने एवं रिक्त पदों के कारण हुई।
- (vii) उत्तरी क्षेत्र – 292.38 लाख रुपये की बचत (1132.26 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों, कम बिलों की प्राप्ति, कम खरीद होने एवं लॉकडाउन होने की वजह से उर्स कैंप 2016 व स्वच्छता सेवाओं से संबंधित प्रस्तावों का निपटारा न होने के कारण हुई।
- (ख) अन्य स्थापना – (i) भूमि अधिग्रहण स्थापना – दक्षिणी-पश्चिमी क्षेत्र – 142.66 लाख रुपये की बचत (254.91 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः वकीलों के बिलों का निपटारा न होने के कारण हुई।
- (ii) भूमि अधिग्रहण स्थापना – उत्तरी-पश्चिमी क्षेत्र – 100.24 लाख रुपये की बचत (205.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों एवं विज्ञापन व प्रचार एवं पेशेवर सेवाओं से संबंधित बिलों के प्राप्त न होने के कारण हुई।
20. **मुख्यशीर्ष "2245"** – प्राकृतिक आपदाओं के लिये राहत – बाढ़, चक्रवात आदि – निशुल्क राहत – (i) पूर्वी जिला – अन्य मदें – 123.19 लाख रुपये की बचत (200.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम बिलों की प्राप्ति, रिक्त पदों के न भरने एवं कुछ खरीद प्रस्तावों का निपटारा न होने के कारण हुई।
- (ii) उत्तरी-पश्चिमी जिला – अन्य मदें – 112.50 लाख रुपये की बचत (140.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः आपातकालीन स्थितियों जैसे आग, अन्य दुर्घटनाएं, बम विस्फोट, साम्प्रदायिक दंगे, आतंकवादी हमले, झुगियों को नुकसान आदि के लिए निधियों को रखने के कारण हुई।
21. **मुख्यशीर्ष "2029"** – भूमि राजस्व – अन्य व्यय – उत्तरी-पश्चिमी जिला – चकबन्दी योजना – 114.97 लाख रुपये की बचत (223.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों एवं कम बिलों की प्राप्ति के कारण हुई।
22. **मुख्यशीर्ष "3435"** – पारिस्थितिकी और पर्यावरण – (अ) वातावरणीय अनुसंधान एवं पारिस्थितिकीय पुनर्योजन – अनुसंधान एवं पारिस्थितिकीय पुनर्योजन – स्कूलों/कालिजों में पारिस्थितिकी क्लब – 139.63 लाख रुपये की बचत (400.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम बिलों की प्राप्ति, स्कूलों/कॉलेजों द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा न कराने की वजह से निधियों का उपयोग नहीं किया जा सका एवं तकनीकी कारण की वजह से एक बिल का निपटारा न होने एवं मार्च 2020 में लॉकडाउन लगने के कारण हुई।

(ब) अन्य – (क) अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना – दिल्ली पार्क एवं गार्डन सोसाइटी (एस.सी.एस.पी.) – 187.50 लाख रुपये की बचत (250.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम सहायता अनुदान जारी होने के कारण हुई।

(ख) अन्य व्यय – दिल्ली पार्क एवं गार्डन सोसाइटी – 2068.50 लाख रुपये की बचत (2751.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः कम सहायता अनुदान जारी होने एवं कॉविड-19 महामारी की वजह से शेष धनराशि के लिए प्रस्तावों को शुरू न कर सकने के कारण हुई।

इसके अतिरिक्त, 1753.93 लाख रुपये की बचत 24 उपशीर्षों के अन्तर्गत हुई जोकि 50.00 लाख रुपये से अधिक परन्तु 1.00 करोड़ रुपये से कम थी।

उपरोक्त बचतें निम्नलिखित उपशीर्षों के अंतर्गत हुए अधिक व्यय से, अंशतः प्रतिसंतुलित की गई थीं :-

1. **मुख्यशीर्ष "2245"** – प्राकृतिक आपदाओं के लिये राहत – बाढ़, चक्रवात आदि – निःशुल्क राहत – राजस्व सचिव – 2003.43 लाख रुपये का अधिक व्यय (1301.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः अधिक निःशुल्क राहत जारी करने के कारण हुआ।
2. **मुख्यशीर्ष "3604"** – स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थानों को क्षतिपूर्ति तथा कार्य – स्टैम्प ड्यूटी – कर संग्रह में स्थानीय निकायों का अंश – नई दिल्ली नगर परिषद को कर संग्रह में अंश के लिए सहायता अनुदान – 9326.03 लाख रुपये का अधिक व्यय (7001.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः अधिक अनुदान जारी होने के कारण हुआ।
3. **मुख्यशीर्ष "2406"** – वानिकी और वन्य जीवन – पर्यावरण वानिकी एवं वन्य जीवन – जन उद्यान – चकबन्दी सहित वनों का विकास – 247.05 लाख रुपये का अधिक व्यय (303.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 3.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः अधिक खरीद होने, अधिक मरम्मत कार्यों एवं अधिक बिलों के कारण हुआ।
4. **मुख्यशीर्ष "2053"** – जिला प्रशासन – जिला स्थापना – दक्षिणी-पूर्वी क्षेत्र – 106.10 लाख रुपये का अधिक व्यय (747.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः अधिक बिलों एवं अधिक खरीद के कारण हुआ।

इसके अतिरिक्त, 340.35 लाख रुपये का अधिक व्यय पांच उपशीर्षों के अन्तर्गत हुआ जोकि 50.00 लाख रुपये से अधिक परन्तु 1.00 करोड़ रुपये से कम था।

अनुदान के पूंजीगत भाग के प्रभारित अंश में 56.78 लाख रुपये की कुल बचत हुई (100.00 लाख रुपये के स्वीकृत विनियोजन एवं 50.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) जोकि सम्पूर्ण स्वीकृत विनियोजन का 56.78 प्रतिशत थी।

इसके अतिरिक्त, 56.78 लाख रुपये का अधिक व्यय एक उपशीर्ष के अन्तर्गत हुआ जोकि 50.00 लाख रुपये से अधिक परन्तु 1.00 करोड़ रुपये से कम था।

अनुदान के पूंजीगत भाग के स्वीकृत अंश में 27365.59 लाख रुपये की कुल बचत थी (71666.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 3.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) जोकि सम्पूर्ण स्वीकृत प्रावधान का 38.18 प्रतिशत थी।

1200.00 लाख रुपये की राशि तीन उपशीर्षों के अन्तर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रही । इसमें निम्नलिखित उपशीर्ष शामिल है :-

1. **मुख्यशीर्ष "4401"** – कृषि पालन पर पूँजी परिव्यय – कृषि फॉर्म – स्मार्ट कृषि योजना – 550.00 लाख रुपये – मशीनरी व उपकरणों की खरीद न होने एवं योजना का कार्यान्वयन न होने के कारण।
2. **मुख्यशीर्ष "4070"** – अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजी परिव्यय – अन्य व्यय – सिविल सुरक्षा – 150.00 लाख रुपये – कम मोटर वाहनों की खरीद एवं मशीनरी व उपकरणों की खरीद न होने के कारण।
3. **मुख्यशीर्ष "4250"** – अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय – प्राकृतिक आपदायें – आपदा आकस्मिकता योजना/आपदा प्रतिक्रिया निधि – 500.00 लाख रुपये – मशीनरी व उपकरणों की खरीद न होने के कारण।

बचत/अधिक व्यय मुख्यतः निम्नलिखित मुख्यशीर्षों के अंतर्गत हुई :-

(लाख रूपयो में)

विकास विभाग

मुख्यशीर्ष "4403"

पशु पालन पर पूँजी परिव्यय	700.00	28.99	-671.01
---------------------------	--------	-------	---------

मुख्यशीर्ष "4515"

अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम

पर पूँजी परिव्यय

मू.	38000.00)			
पु.	-7932.00)	30068.00	27785.23	-2282.77

सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग

मुख्यशीर्ष "4702"

बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं

पर पूँजी परिव्यय

मू.	2500.00)			
पु.	-2460.00)	40.00	9.18	-30.82

मुख्यशीर्ष "4711"

बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं

पर पूँजी परिव्यय

मू.	18800.00)			
पू.	2.00)			
पु.	-6617.00)	12185.00	11576.51	-608.49

मण्डल आयुक्त कार्यालय

मुख्यशीर्ष "4059"

सार्वजनिक कार्य पर

पूँजी परिव्यय

मू.	6000.00)			
पु.	-4190.00)	1810.00	1589.98	-220.02

मुख्यशीर्ष "4515"

अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम
पर पूंजी परिव्यय

मू.	1163.00)			
पु.	-663.00)	500.00	472.52	-27.48

मुख्यशीर्ष "4406"

वानिकी और वन्य जीवन
पर पूंजी परिव्यय

मू.	3200.00)			
पू.	1.00)			
पु.	2499.00)	5700.00	2828.15	-2871.85

1.00 करोड़ रुपये से अधिक की बचत निम्नलिखित उपशीर्षों के अन्तर्गत हुई :-

1. **मुख्यशीर्ष "4403"** - पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय - पशु चिकित्सा सेवाएं और पशु स्वास्थ्य - अस्पतालों और औषधालयों में पशु चिकित्सा सेवायें व संक्रामक रोगों की रोकथाम - 671.01 लाख रुपये की बचत (700.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा उसके अधिकार में रखी गई राशि का उपयोग न करने एवं मशीनरी व उपकरणों की खरीद की निविदाओं के अमल में न आ सकने के कारण हुई।

2. **मुख्यशीर्ष "4515"** - अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय - (क) ग्रामीण विकास - ग्रामीण गांवों के समेकित विकास के अन्तर्गत ग्रामीण विकास बोर्ड (आईडीआरयूवी) - 8416.11 लाख रुपये की बचत (31200.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य की धीमी प्रगति एवं 24.03.2020 से 31.03.2020 तक लॉकडाउन लगने की वजह से कार्यालय के बंद रहने एवं कार्यों को न माप पाने की वजह से ठेकेदारों द्वारा बिलों के जमा न करा सकने के कारण हुई।

(ख) अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना - ग्रामीण गांवों के समेकित विकास के अन्तर्गत ग्रामीण विकास बोर्ड (एस.सी.एस.पी) - 1798.66 लाख रुपये की बचत (6800.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य की धीमी प्रगति एवं 24.03.2020 से 31.03.2020 तक लॉकडाउन लगने की वजह से कार्यालय के बंद रहने एवं कार्यों को न माप पाने की वजह से ठेकेदारों द्वारा बिलों के जमा न करा सकने के कारण हुई।

3. **मुख्यशीर्ष "4702"** - लघु सिंचाई पर पूंजी परिव्यय - भूजल - जल निकायों का कायाकल्प और संरक्षण - 2490.82 लाख रुपये की बचत (2500.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य की धीमी गति के कारण हुई।

4. **मुख्यशीर्ष "4711"** - बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजी परिव्यय - (अ) बाढ़ नियंत्रण - अन्य व्यय - छठ घाटों का विकास - 1399.26 लाख रुपये की बचत (2000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य की धीमी गति एवं लॉकडाउन लागू होने की वजह से कार्यों को न माप पाने के कारण ठेकेदारों द्वारा बिलों के जमा न करा सकने के कारण हुई।

(ब) जलनिकासी - (क) अन्य व्यय - नालियों का कायाकल्प - 9592.94 लाख रुपये की बचत (10000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य की धीमी गति एवं लॉकडाउन लागू होने की वजह से कार्यों को न माप पाने के कारण ठेकेदारों द्वारा बिलों के जमा न करा सकने के कारण हुई।

(ख) अन्य व्यय – मुख्य जलनिकासी कार्य – 551.33 लाख रुपये की बचत (800.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य की धीमी गति एवं लॉकडाउन लागू होने की वजह से कार्यों को न माप पाने के कारण ठेकेदारों द्वारा बिलों के जमा न करा सकने के कारण हुई।

5. **मुख्यशीर्ष "4059"** – सार्वजनिक कार्यों पर पूंजी परिव्यय – (अ) कार्यालय भवन – निर्माण – मण्डल आयुक्त कार्यालय – 1415.92 लाख रुपये की बचत (3000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य की धीमी गति एवं लॉकडाउन होने की वजह से स्वीकृति आदेश जारी न हो सकने एवं समय समय पर वित्त विभाग के दिशानिर्देशानुसार मरम्मत कार्यों को रोके रखने के कारण हुई।

(ब) कार्यालय भवन – निर्माण – हज आवास का निर्माण – 2994.10 लाख रुपये की बचत (3000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य की धीमी गति के कारण हुई।

6. **मुख्यशीर्ष "4515"** – अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजी परिव्यय – पंचायती राज – पंचायत इकाइयों व इसके कार्यकलापों का आधुनिकीकरण – 690.48 लाख रुपये की बचत (1163.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य की धीमी गति के कारण हुई।

7. **मुख्यशीर्ष "4406"** – वानिकी और वन्य जीवन पर पूंजी परिव्यय – पर्यावरण वानिकी एवं वन्य जीवन – वन्य जीवन – वन्य जीव अभयारण्यों/वन्य जीव खण्ड का विकास – 883.78 लाख रुपये की बचत (1700.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कॉविड-19 महामारी व लॉकडाउन लगने की वजह से निधियों का उपयोग न हो सकने के कारण हुई।

इसके अतिरिक्त, 90.15 लाख रुपये की बचत एक उपशीर्ष के अन्तर्गत थी जोकि 50.00 लाख रुपये से अधिक परन्तु 1.00 करोड़ रुपये से कम थी।

उपरोक्त बचतें निम्नलिखित उपशीर्ष के अंतर्गत हुए अधिक व्यय से अंशतः प्रति सन्तुलित की गई :-

1. **मुख्यशीर्ष "4711"** – बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजी परिव्यय – जल निकासी – अन्य व्यय – अन्य जलनिकासी कार्य – 4318.04 लाख रुपये का अधिक व्यय (6002.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 2.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः कार्य की अच्छी प्रगति के कारण हुआ।
2. **मुख्यशीर्ष "4406"** – वानिकी और वन्य जीवन पर पूंजी परिव्यय – पर्यावरण वानिकी एवं वन्य जीवन – सार्वजनिक उद्यान – चक बन्दी सहित वनों का विकास – 510.93 लाख रुपये का अधिक व्यय (1501.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः कार्य की अच्छी प्रगति के कारण हुआ।

अनुदान संख्या 11 – शहरी विकास तथा लोक निर्माण

	कुल अनुदान या विनियोजन	वास्तविक व्यय	बचत (-) अधिक व्यय (+)
(हजार रुपयों में)			
राजस्व			
प्रभारित –			
मूल	18,00)		
पूरक	15,69)	33,69	18,67
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			6,00
स्वीकृत –			
मूल	8187,35,00)		
पूरक	1219,91,00)	9407,26,00	8759,35,07
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			647,90,93
पूँजीगत			
स्वीकृत –			
मूल	9264,86,00)		
पूरक	660,12,00)	9924,98,00	6541,59,25
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			3383,38,75
			2704,66,00

टीका एवं टिप्पणियां

अनुदान के राजस्व भाग के प्रभारित अंश में 15.02 लाख रुपये की कुल बचत हुई (33.69 लाख रुपये के स्वीकृत विनियोजन एवं 15.69 लाख रुपये के पूरक प्रावाधान सहित, की तुलना में) जोकि सम्पूर्ण स्वीकृत विनियोजन का 44.58 प्रतिशत थी ।

8.00 लाख रुपये की राशि दो उपशीर्षों के अन्तर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रही ।

अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में 64790.93 लाख रुपये की कुल बचत हुई (940726.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 121991.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) जोकि सम्पूर्ण स्वीकृत प्रावधान का 6.88 प्रतिशत थी ।

26310.00 लाख रुपये की राशि 19 उपशीर्षों के अन्तर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रही । जिसमें निम्नलिखित उपशीर्ष शामिल हैं :-

- मुख्यशीर्ष "2070"** –अन्य प्रशासनिक सेवाएं – अन्य व्यय – दिल्ली नगर निगम को जुर्मानों, जब्ती की प्रतिपूर्ति – 450.00 लाख रुपये – कम बिलों की प्राप्ति की वजह से दिल्ली नगर निगम को जुर्मानों, जब्तियों की कम प्रतिपूर्ति होने एवं कॉविड-19 महामारी व लॉकडाउन की वजह से प्रस्तावों को अनुमोदित न करने के कारण ।

2. **मुख्यशीर्ष "2215"** – जल आपूर्ति एवं स्वच्छता – जल आपूर्ति – शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम – एन.डी.एम.सी के माध्यम से उपभोक्ताओं को सब्सिडी – 275.00 लाख रुपये – संबंधित संस्था से प्रस्ताव के प्राप्त न होने के कारण।
3. **मुख्यशीर्ष "2216"** – आवास – सामान्य – सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों को सहायता – (क) कमजोर वर्ग हेतु मकान बनाने के लिए दि.रा.औ.वि.नि. को अनुदान (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) – 800.00 लाख रुपये – दि.रा.औ.वि.नि. को कम सहायता अनुदान जारी होने के कारण।
(ख) अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना – कमजोर वर्ग हेतु मकान बनाने के लिए दि.रा.औ.वि.नि. को अनुदान (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) (एस.सी.एस.पी.) – 200.00 लाख रुपये – कम अनुदान जारी होने के कारण।
4. **मुख्यशीर्ष "2217"** – शहरी विकास – (अ) स्लम बस्ती सुधार – स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरण, नगर सुधार बोर्डों आदि के लिए सहायता – स्मार्ट सिटी के लिए एन.डी.एम.सी को सहायता अनुदान (सीएसएस) – 5000.00 लाख रुपये – भारत सरकार से कम निधि की प्राप्ति के कारण एन.डी.एम.सी को कम सहायता अनुदान जारी होने एवं एन.डी.एम.सी द्वारा यू.डी. विभाग को उपयोगिता प्रमाण पत्र व परियोजना के लिए राशि का अनुरोध प्रस्तुत न करने के कारण।
(ब) अन्य शहरी विकास योजनाएं – (क) स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरण, नगर सुधार बोर्डों आदि के लिए सहायता – अनधिकृत कॉलोनियों में मूलभूत सुविधाओं का प्रावधान – दि.रा.औ.वि.नि. – केन्द्रीय सड़क निधि योजना – 1060.00 लाख रुपये – कम अनुदान जारी होने के कारण।
(ख) अन्य व्यय – बाजार विकास कोष – 5000.00 लाख रुपये – कम अनुदान जारी होने एवं संबंधित शाखा/संस्था से प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण।
(स) सामान्य – स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरण, नगर सुधार बोर्डों आदि के लिए सहायता – (i) स्वच्छ भारत मिशन (सी.एस.एस) – 9501.00 लाख रुपये – भारत सरकार से कम सहायता अनुदान प्राप्त होने एवं कार्यान्वयन संस्थाओं से उपयोगिता प्रमाण पत्र न मिलने की वजह से भारत सरकार से दूसरी किश्त प्राप्त न होने के कारण।
(ii) स्वच्छ भारत मिशन (सी.एस.एस) – क्षमता निर्माण एवं ए. व ओई के लिए शहरी विकास विभाग (सी.एस.एस) – 151.00 लाख रुपये – कार्यान्वयन संस्थाओं से उपयोगिता प्रमाण पत्र न मिलने की वजह से भारत सरकार से दूसरी किश्त प्राप्त न होने के कारण।
(iii) स्वच्छ भारत मिशन (राज्य अंश) – 3001.00 लाख रुपये – कम सहायता अनुदान जारी होने एवं प्रस्ताव के प्राप्त न होने के कारण।
5. **मुख्यशीर्ष "2210"** – चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य – शहरी स्वास्थ्य सेवायें-ऐलोपैथी – अस्पताल एवं औषधालय – भवन – दीपचंद बंधु अस्पताल – 200.00 लाख रुपये – श्रमिकों के पलायन की वजह से कार्यों के निष्पादन में देरी होने, कर्मचारियों की कमी की वजह से ठेकेदारों/संस्थाओं द्वारा रनिंग खाता बिलों के जमा न कराने एवं कॉविड-19 महामारी की वजह से सरकार द्वारा लॉकडाउन के लागू करने की वजह से दफ्तरों के बंद रहने के कारण।
6. **मुख्यशीर्ष "2251"** – सचिवालय सामाजिक सेवाएं – सचिवालय – भूमि अधिकरण, पुनर्वास एवं पुनःस्थापना (एलएआरआर) प्राधिकरण – 150.00 लाख रुपये – रिक्त पदों, कम खरीद होने एवं भूमि अधिकरण, पुनर्वास एवं पुनःस्थापना प्राधिकरण के पीठासीन अधिकारी की भर्ती प्रक्रिया को अंतिम रूप से स्वीकृति न मिल सकने के कारण।

7. **मुख्यशीर्ष "2810"** – ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत – सौर – अन्य व्यय – सौर उर्जा के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना – 500.00 लाख रुपये – कम सब्सिडी जारी होने एवं डी.पी.सी.सी. से राशि के प्राप्त न होने की वजह से निधियों के अनुपयोगी रहने के कारण ।

बचत/अधिक व्यय मुख्यतः निम्नलिखित मुख्यशीर्षों के अन्तर्गत हुई :-

(लाख रुपयों में)

शहरी विकास विभाग

मुख्यशीर्ष "2052"

सचिवालय सामान्य सेवाएं

मू.	990.00)			
पू.	500.00)			
पु.	-51.44)	1438.56	1377.50	-61.06

मुख्यशीर्ष "2210"

चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य

मू.	1.00)			
पू.	299.00)	300.00	300.00	..

मुख्यशीर्ष "2215"

जल आपूर्ति एवं स्वच्छता

मू.	135185.00)			
पू.	6.00)			
पु.	6619.00)	141810.00	141535.00	-275.00

मुख्यशीर्ष "2217"

शहरी विकास

मू.	107275.80)			
पू.	7505.00)			
पु.	-24854.40)	89926.40	85156.93	-4769.47

मुख्यशीर्ष "3054"

सडकें एवं पुल

पू.	4731.00)	4731.00	1000.00	-3731.00
-----	----------	---------	---------	----------

मुख्यशीर्ष "3475"

अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं

मू.	1729.00)			
पु.	-797.00)	932.00	562.12	-369.88

मुख्यशीर्ष "3604"

स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा कार्य

मू.	224400.00)			
पू.	28047.00)			
पु.	-3.16)	252443.84	252070.12	-373.72

लोक निर्माण विभाग**मुख्यशीर्ष "2059"**

लोक निर्माण

मू.	75387.00)			
पू.	1800.00)			
पु.	-3022.00)	74165.00	68322.45	-5842.55

मुख्यशीर्ष "2202"

सामान्य शिक्षा

मू.	2500.00)			
पु.	-300.00)	2200.00	927.31	-1272.69

मुख्यशीर्ष "2210"

चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य

मू.	13980.00)			
पु.	-440.00)	13540.00	11279.94	-2260.06

मुख्यशीर्ष "2216"

आवास

मू.	12070.00)			
पु.	-3226.00)	8844.00	8164.77	-679.23

मुख्यशीर्ष "3054"

सडकें एवं पुल

मू.	61005.00)			
पु.	-405.00)	60600.00	58894.58	-1705.42

भूमि व भवन विभाग**मुख्यशीर्ष "2251"**

सचिवालय सामाजिक सेवाएं

मू.	1508.00)			
पु.	-136.00)	1372.00	1180.20	-191.80

ऊर्जा विभाग**मुख्यशीर्ष "2801"**

ऊर्जा

मू.	174922.00)			
पू.	79401.00)			
पु.	-11122.00)	243201.00	242328.61	-872.39

राज्य चुनाव आयोग**मुख्यशीर्ष "2015"**

चुनाव

मू.	2733.50)			
पु.	-2577.50)	156.00	124.60	-31.40

1.00 करोड़ रुपये से अधिक की बचत मुख्यतः निम्नलिखित उपशीर्षों के अन्तर्गत हुई :-

1. **मुख्यशीर्ष "2052"** — सचिवालय सामान्य सेवाएं — सचिवालय — शहरी विकास विभाग — 112.50 लाख रुपये की बचत (1490.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 500.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों, कम बिलों की प्राप्ति एवं कम विदेशी यात्राओं के होने के कारण हुई।

2. **मुख्यशीर्ष "2215"** – जल आपूर्ति एवं स्वच्छता – (अ) जल आपूर्ति – स्थानीय निकायों, नगरपालिकाओं आदि को सहायता – दिल्ली जल बोर्ड को कच्चे पानी के लिये अनुदान – 1825.00 लाख रुपये की बचत (7300.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम अनुदान जारी होने के कारण हुई।

(ब) मल व्ययन तथा स्वच्छता – स्थानीय निकायों, नगरपालिकाओं आदि को सहायता – अनाधिकृत बस्तियों में मल व्ययन सुविधाओं के लिए दिल्ली जल बोर्ड को सहायता अनुदान – 175.00 लाख रुपये की बचत (30000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम अनुदान जारी होने के कारण हुई।

3. **मुख्यशीर्ष "2217"** – शहरी विकास – (अ) स्लम बस्ती सुधार – (क) रखरखाव और मरम्मत – स्लम पुनर्वास पॉकेट में सेवाओं का सुधार – 712.17 लाख रुपये की बचत (1000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम अनुदान जारी होने एवं डी.यू.एस.आई.बी. द्वारा राशि को जारी करने का अनुरोध प्रस्तुत न करने के कारण हुई।

(ख) स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरण, नगर सुधार बोर्डों आदि के लिए सहायता – अमृत योजना के लिए दि.न.नि./न.दि.न.पा.को सहायता अनुदान (सी.एस.एस) – 160.08 लाख रुपये की बचत (15000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः परियोजनावार लागत के आधार पर राशियों के जारी करने के कारण हुई।

(ग) अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना – शहरी स्लम वाले क्षेत्र में पर्यावरण सुधार के लिए डी.यू.एस.आई.बी. को अनुदान (एस.सी.एस.पी) – 200.00 लाख रुपये की बचत (2000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम सहायता अनुदान जारी होने के कारण हुई।

(ब) अन्य शहरी विशेष विकास योजना – (क) स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरण, नगर सुधार बोर्डों आदि के लिए सहायता – शाहजहानाबाद पुनर्विकास निगम को सहायता अनुदान – 4550.00 लाख रुपये की बचत (5000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम सहायता अनुदान जारी होने के कारण हुई।

(ख) अन्य व्यय – अनाधिकृत कॉलोनियों में आवश्यक सेवाओं के लिए प्रावधान – 497.69 लाख रुपये की बचत (500.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम बिलों की प्राप्ति एवं प्रस्ताव के प्राप्त न होने के कारण हुई।

4. **मुख्यशीर्ष "3054"** – सड़कें एवं पुल – जिला एवं अन्य सड़कें – अन्य व्यय – आरओबी/आरयूबी के लिए उत्तरी दिल्ली नगर निगम को सहायता अनुदान – 3731.00 लाख रुपये की बचत (4731.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कॉविड-19 महामारी व लॉकडाउन होने की वजह से प्रस्ताव के अनुमोदित होने के कारण हुई।

5. **मुख्यशीर्ष "3475"** – अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं – शहरी उन्मुख रोजगार कार्यक्रम – (i) स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना – 110.62 लाख रुपये की बचत (229.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों, कम बिलों की प्राप्ति एवं कम खरीद होने के कारण हुई।

(ii) दीन दयाल उपाध्याय अन्तोद्य योजना/राष्ट्रीय शहरी आजीविका अभियान (सी.एस.एस) – 1056.26 लाख रुपये की बचत (1500.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम अनुदान जारी होने एवं भारत सरकार से कम राशि प्राप्त होने के कारण हुई।

6. **मुख्यशीर्ष "3604"** – स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थानों को क्षतिपूर्ति तथा कार्य – अन्य विविध क्षतिपूर्ति एवं कार्य – (i) दिल्ली नगर निगम को मूल कर आबंटन – दक्षिणी दिल्ली नगर निगम – 3007.31 लाख रुपये की बचत (43959.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम मूल कर आबंटन जारी होने के कारण हुई।
- (ii) नई दिल्ली नगर निगम को मूल कर आबंटन – 420.41 लाख रुपये की बचत (2177.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम मूल कर आबंटन जारी होने के कारण हुई।
- (iii) दिल्ली छावनी परिषद को मूल कर आबंटन – 101.86 लाख रुपये की बचत (1492.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम मूल कर आबंटन जारी होने के कारण हुई।
7. **मुख्यशीर्ष "2059"** – लोक निर्माण – सामान्य – (क) निर्देशन एवं प्रशासन – स्थापना प्रभार – 6656.89 लाख रुपये की बचत (28787.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों, कम खरीद होने, कम बिलों की प्राप्ति, श्रमिकों के पलायन की वजह से कार्यों के निष्पादन में देरी होने, कर्मचारियों की कमी की वजह से ठेकेदारों/संस्थाओं द्वारा रनिंग खाता बिलों के जमा न कराने एवं कॉविड-19 महामारी की वजह से सरकार द्वारा लॉकडाउन के लागू करने की वजह से दफ्तरों के बंद रहने के कारण हुई।
- (ख) रखरखाव एवं मरम्मत – (i) रखरखाव एवं मरम्मत – 1244.27 लाख रुपये की बचत (40000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः श्रमिकों के पलायन की वजह से कार्यों के निष्पादन में देरी होने, कर्मचारियों की कमी की वजह से ठेकेदारों/संस्थाओं द्वारा रनिंग खाता बिलों के जमा न कराने एवं कॉविड-19 महामारी की वजह से सरकार द्वारा लॉकडाउन के लागू करने की वजह से दफ्तरों के बंद रहने के कारण हुई।
- (ii) दिल्ली सरकार सचिवालय – 1045.26 लाख रुपये की बचत (2200.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम मरम्मत के कारण हुई।
- (iii) मण्डल आयुक्त कार्यालय – 129.67 लाख रुपये की बचत (500.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः श्रमिकों के पलायन की वजह से कार्यों के निष्पादन में देरी होने, कर्मचारियों की कमी की वजह से ठेकेदारों/संस्थाओं द्वारा रनिंग खाता बिलों के जमा न कराने एवं कॉविड-19 महामारी की वजह से सरकार द्वारा लॉकडाउन के लागू करने की वजह से दफ्तरों के बंद रहने के कारण हुई।
8. **मुख्यशीर्ष "2202"** – सामान्य शिक्षा – माध्यमिक शिक्षा – भवनों का रखरखाव – सरकारी स्कूलों में सिविल और इलेक्ट्रिकल कार्यों के व्यापक रखरखाव – 1572.69 लाख रुपये की बचत (2500.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम मरम्मत, श्रमिकों के पलायन की वजह से कार्यों के निष्पादन में देरी होने, कर्मचारियों की कमी की वजह से ठेकेदारों/संस्थाओं द्वारा रनिंग खाता बिलों के जमा न कराने एवं कॉविड-19 महामारी की वजह से सरकार द्वारा लॉकडाउन के लागू करने की वजह से दफ्तरों के बंद रहने के कारण हुई।
9. **मुख्यशीर्ष "2210"** – चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य – (अ) शहरी स्वास्थ्य सेवायें-एलोपैथी – (क) अस्पताल एवं औषधालय – भवन – (i) डा0 हेडगेवार आरोग्य संस्थान, कडकडडूमा – 148.95 लाख रुपये की बचत (400.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः श्रमिकों के पलायन की वजह से कार्यों के निष्पादन में देरी होने, कर्मचारियों की कमी की वजह से ठेकेदारों/संस्थाओं द्वारा रनिंग खाता बिलों के जमा न कराने एवं कॉविड-19 महामारी की वजह से सरकार द्वारा लॉकडाउन के लागू करने की वजह से दफ्तरों के बंद रहने के कारण हुई।

(ii) सत्यवादी राजा हरीशचंद्र अस्पताल, नरेला – 165.32 लाख रुपये की बचत (275.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः श्रमिकों के पलायन की वजह से कार्यों के निष्पादन में देरी होने, कर्मचारियों की कमी की वजह से ठेकेदारों/संस्थाओं द्वारा रनिंग खाता बिलों के जमा न कराने एवं कॉविड-19 महामारी की वजह से सरकार द्वारा लॉकडाउन के लागू करने की वजह से दफ्तरों के बंद रहने के कारण हुई।

(iii) लोक नायक अस्पताल – 560.26 लाख रुपये की बचत (1800.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम मरम्मत, श्रमिकों के पलायन की वजह से कार्यों के निष्पादन में देरी होने, कर्मचारियों की कमी की वजह से ठेकेदारों/संस्थाओं द्वारा रनिंग खाता बिलों के जमा न कराने एवं कॉविड-19 महामारी की वजह से सरकार द्वारा लॉकडाउन के लागू करने की वजह से दफ्तरों के बंद रहने के कारण हुई।

(iv) जी.टी.बी. चिकित्सा कॉलेज एवं अस्पताल – 159.86 लाख रुपये की बचत (2000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः श्रमिकों के पलायन की वजह से कार्यों के निष्पादन में देरी होने, कर्मचारियों की कमी की वजह से ठेकेदारों/संस्थाओं द्वारा रनिंग खाता बिलों के जमा न कराने एवं कॉविड-19 महामारी की वजह से सरकार द्वारा लॉकडाउन के लागू करने की वजह से दफ्तरों के बंद रहने के कारण हुई।

(v) भगवान महावीर अस्पताल – 211.67 लाख रुपये की बचत (325.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम मरम्मत, श्रमिकों के पलायन की वजह से कार्यों के निष्पादन में देरी होने, कर्मचारियों की कमी की वजह से ठेकेदारों/संस्थाओं द्वारा रनिंग खाता बिलों के जमा न कराने एवं कॉविड-19 महामारी की वजह से सरकार द्वारा लॉकडाउन के लागू करने की वजह से दफ्तरों के बंद रहने के कारण हुई।

(vi) राव तुला राम अस्पताल – 247.11 लाख रुपये की बचत (450.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम मरम्मत के कारण हुई।

(ख) अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना – (i) मंगोलपुरी में संजय गाँधी मैमोरियल अस्पताल (एस.सी.एस.पी) – 244.67 लाख रुपये की बचत (350.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम मरम्मत, श्रमिकों के पलायन की वजह से कार्यों के निष्पादन में देरी होने, कर्मचारियों की कमी की वजह से ठेकेदारों/संस्थाओं द्वारा रनिंग खाता बिलों के जमा न कराने एवं कॉविड-19 महामारी की वजह से सरकार द्वारा लॉकडाउन के लागू करने की वजह से दफ्तरों के बंद रहने के कारण हुई।

(ii) औषधालय/स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण हेतु (एस.सी.एस.पी)– 341.38 लाख रुपये की बचत (400.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम मरम्मत, श्रमिकों के पलायन की वजह से कार्यों के निष्पादन में देरी होने, कर्मचारियों की कमी की वजह से ठेकेदारों/संस्थाओं द्वारा रनिंग खाता बिलों के जमा न कराने एवं कॉविड-19 महामारी की वजह से सरकार द्वारा लॉकडाउन के लागू करने की वजह से दफ्तरों के बंद रहने के कारण हुई।

(ब) चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान – आयुर्वेद – भवन – आयुर्वेदिक एवं यूनानी तिब्बिया कॉलेज – 118.27 लाख रुपये की बचत (300.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 2.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः कम मरम्मत के कारण हुई।

10. **मुख्यशीर्ष "2216"** – आवास – सरकारी निवास भवन – सामान्य पूल आवास – (i) रखरखाव तथा मरम्मत – 2477.29 लाख रुपये की बचत (9140.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम बिलों की प्राप्ति, कम मरम्मत, श्रमिकों के पलायन की वजह से कार्यों के निष्पादन में देरी होने, कर्मचारियों की कमी की वजह से ठेकेदारों/संस्थाओं द्वारा रनिंग खाता बिलों के जमा न कराने एवं कॉविड-19 महामारी की वजह से सरकार द्वारा लॉकडाउन के लागू करने की वजह से दफ्तरों के बंद रहने के कारण हुई।

(ii) निर्माण – 235.46 लाख रुपये की बचत (350.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम मरम्मत के कारण हुई।

(iii) दिल्ली सरकार कर्मचारी आवास – 1192.48 लाख रुपये की बचत (2580.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम मरम्मत के कारण हुई।

11. **मुख्यशीर्ष "3054"** – सड़कें एवं पुल – (अ) जिला एवं अन्य सड़कें – (क) मरम्मत एवं रखरखाव – लोक निर्माण विभाग की सड़कों का व्यापक रखरखाव – 366.24 लाख रुपये की बचत (3305.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः श्रमिकों के पलायन की वजह से कार्यों के निष्पादन में देरी होने, कर्मचारियों की कमी की वजह से ठेकेदारों/संस्थाओं द्वारा रनिंग खाता बिलों के जमा न कराने एवं कॉविड-19 महामारी की वजह से सरकार द्वारा लॉकडाउन के लागू करने की वजह से दफ्तरों के बंद रहने के कारण हुई।

(ख) अन्य व्यय – जिला सड़कें – (i) कार्य प्रभार स्थापना – 1030.70 लाख रुपये की बचत (10500.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः श्रमिकों के पलायन की वजह से कार्यों के निष्पादन में देरी होने, कर्मचारियों की कमी की वजह से ठेकेदारों/संस्थाओं द्वारा रनिंग खाता बिलों के जमा न कराने एवं कॉविड-19 महामारी की वजह से सरकार द्वारा लॉकडाउन के लागू करने की वजह से दफ्तरों के बंद रहने के कारण हुई।

(ii) रखरखाव – 166.98 लाख रुपये की बचत (35000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः श्रमिकों के पलायन की वजह से कार्यों के निष्पादन में देरी होने, कर्मचारियों की कमी की वजह से ठेकेदारों/संस्थाओं द्वारा रनिंग खाता बिलों के जमा न कराने एवं कॉविड-19 महामारी की वजह से सरकार द्वारा लॉकडाउन के लागू करने की वजह से दफ्तरों के बंद रहने के कारण हुई।

(ब) सामान्य – अनुसंधान एवं विकास – विभिन्न गलियारों का व्यवहार्यता अध्ययन – 450.12 लाख रुपये की बचत (500.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः योजना की धीमी गति, श्रमिकों के पलायन की वजह से कार्यों के निष्पादन में देरी होने, कर्मचारियों की कमी की वजह से ठेकेदारों/संस्थाओं द्वारा रनिंग खाता बिलों के जमा न कराने एवं कॉविड-19 महामारी की वजह से सरकार द्वारा लॉकडाउन के लागू करने की वजह से दफ्तरों के बंद रहने के कारण हुई।

12. **मुख्यशीर्ष "2251"** – सचिवालय सामाजिक सेवाएं – सचिवालय – भूमि एवं भवन विभाग – 177.80 लाख रुपये की बचत (1358.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः रिक्त पदों के कारण हुई।

13. **मुख्यशीर्ष "2801"** – ऊर्जा – संचरण एवं वितरण – अन्य व्यय – (i) डीस्कॉम के माध्यम से उपभोक्ताओं को सब्सिडी – 10842.00 लाख रुपये की बचत (251401.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 79401.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः डीस्कॉम के माध्यम से उपभोक्ताओं को कम सब्सिडी देने एवं डीस्कॉम द्वारा निधि के कम आवेदन के कारण हुई।

(ii) दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग को सहायता अनुदान – 1068.05 लाख लाख रुपये की बचत (2800.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम सहायता अनुदान जारी होने एवं दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग के पास पर्याप्त निधि की उपलब्धता की वजह से सहायता अनुदान के लिए अनुरोध न करने के कारण हुई।

14. **मुख्यशीर्ष "2015"** – चुनाव – चुनाव आयोग – राज्य चुनाव आयोग – 2608.90 लाख रुपये की बचत (2733.50 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः— रिक्त पदों, कम खरीद होने एवं चुनावों के आयोजित न होने की वजह से बिलों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

इसके अतिरिक्त, 1584.81 लाख रुपये की बचत 22 उपशीर्षों के अन्तर्गत थी जोकि 50.00 लाख रुपये से अधिक परंतु 1.00 करोड़ रुपये से कम थी।

उपरोक्त बचतें निम्नलिखित उपशीर्षों के अंतर्गत हुए अधिक व्यय से अंशतः प्रति सन्तुलित की गई :-

1. **मुख्यशीर्ष "2210"** – चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य – जन स्वास्थ्य – रोगों की रोकथाम एवं नियंत्रण – वेक्टर जनित रोगों के लिए अलगाव घर के लिए डीयूएसआईबी को सहायता अनुदान – 299.00 लाख रुपये का अधिक व्यय (1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः अधिक अनुदान जारी होने के कारण हुआ।
2. **मुख्यशीर्ष "2215"** – जल आपूर्ति एवं स्वच्छता – (अ) जल आपूर्ति – स्थानीय निकायों, नगर पालिकाओं आदि को सहायता – (i) दिल्ली जल बोर्ड को अनाधिकृत कालोनियों में पीने योग्य जल की आपूर्ति के लिए अनुदान – 1998.00 लाख रुपये का अधिक व्यय (30002.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 2.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः अधिक अनुदान जारी होने के कारण हुआ।

(ii) पल्ला में लौह अवशेष को अलग करने के संयंत्र के निर्माण के लिए दिल्ली जल बोर्ड को सहायता अनुदान – 1124.00 लाख रुपये का अधिक व्यय (1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः अधिक अनुदान जारी होने के कारण हुआ।

(ब) मलव्ययन और स्वच्छता – स्थानीय निकायों, नगर पालिकाओं को सहायता – (i) सेप्टेज प्रबंध के लिए दिल्ली जल बोर्ड को सहायता अनुदान – 499.00 लाख रुपये का अधिक व्यय (1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम अनुदान जारी होने के कारण हुआ।

(ii) मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना के लिए छूट – 4999.00 लाख रुपये का अधिक व्यय (1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः अधिक सब्सिडी जारी होने के कारण हुआ।
3. **मुख्यशीर्ष "2217"** – शहरी विकास – सामान्य – अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना – पैसे दो और प्रयोग करो जन-सुविधा परिसरों के निर्माण हेतु डी यू एस आई बी को सहायता अनुदान (एस.सी. एस.पी) – 299.00 लाख रुपये का अधिक व्यय (9001.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः अधिक अनुदान जारी करने के कारण हुआ।
4. **मुख्यशीर्ष "3604"** – स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा कार्य – अन्य विविध प्रतिपूर्ति तथा आबंटन – दिल्ली नगर निगम को मूल कर आवंटन – उत्तरी दिल्ली नगर निगम – 3152.93 लाख रुपये का अधिक व्यय (84050.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1090.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः अधिक बीटीए जारी होने के कारण हुआ।
5. **मुख्यशीर्ष "2059"** – लोक निर्माण – सामान्य – निर्माण – 521.57 लाख रुपये का अधिक व्यय (300.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः अधिक रखरखाव कार्य होने के कारण हुआ।

6. **मुख्यशीर्ष "2210"** – चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य – चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान – एलोपैथी – भवन – एम.ए.एम. कॉलेज भवन – 298.62 लाख रुपये का अधिक व्यय (1200.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः अधिक मरम्मत होने के कारण हुआ।

अनुदान के पूंजीगत भाग के स्वीकृत अंश में 338338.75 लाख रुपये की (992498.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 66012.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) कुल बचत थी जोकि सम्पूर्ण स्वीकृत प्रावधान का 34.08 प्रतिशत थी।

47624.00 लाख रुपये की राशि 33 उपशीर्षों के अन्तर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रही। जिसमें निम्नलिखित शामिल है:-

1. **मुख्यशीर्ष "4217"** – शहरी विकास पर पूंजी परिव्यय – अन्य शहरी विकास योजनाएँ – भूमि – सामाजिक सांस्कृतिक केन्द्रों का निर्माण – 100.00 लाख रुपये – कार्य की धीमी गति के कारण।
2. **मुख्यशीर्ष "4059"** – लोक निर्माण पर पूंजी परिव्यय – कार्यालय भवन – निर्माण – उत्पाद शुल्क विभाग – 1000.00 लाख रुपये – श्रमिकों के पलायन की वजह से कार्यों के निष्पादन में देरी होने, कर्मचारियों की कमी की वजह से ठेकेदारों/संस्थाओं द्वारा रनिंग खाता बिलों के जमा न कराने एवं कॉविड-19 महामारी की वजह से सरकार द्वारा लॉकडाउन के लागू करने की वजह से दफ्तरों के बंद रहने के कारण हुई।
3. **मुख्यशीर्ष "4235"** – सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूंजी परिव्यय – समाज कल्याण – (क) विकलांगों का कल्याण – सेवा कुटीर परिसर किंगजवे कैम्प फेस-2 में कॉलेज जाने वाले नेत्रहीन छात्रों (लडको) के लिए छात्रावास का निर्माण – 500.00 लाख रुपये – कार्य की धीमी गति होने के कारण।

(ख) महिलाओं कल्याण – (i) भवन – 100.00 लाख रुपये – कार्य की धीमी गति होने के कारण।

(ii) कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास का निर्माण – 150.00 लाख रुपये – कार्य की धीमी गति होने के कारण।

(ग) वृद्धों, अपंगों एवं निस्सहायों का कल्याण – सेवा सदन परिसर, लामपुर में भवन निर्माण – 500.00 लाख रुपये – कार्य की धीमी गति के कारण।

4. **मुख्यशीर्ष "5054"** – सड़कों एवं पुलों पर पूंजी परिव्यय – जिला एवं अन्य सड़कें – (क) पुल – (i) करावल नगर, भजनपुरा और गगन सिनेमा मंगल के बीच फ्लाईओवर/अंडरपास का निर्माण – 8200.00 लाख रुपये – श्रमिकों के पलायन की वजह से कार्यों के निष्पादन में देरी होने, कर्मचारियों की कमी की वजह से ठेकेदारों/संस्थाओं द्वारा रनिंग खाता बिलों के जमा न कराने एवं कॉविड-19 महामारी की वजह से सरकार द्वारा लॉकडाउन के लागू करने की वजह से दफ्तरों के बंद रहने के कारण हुई।

(ii) मजनों का टीला और मैटकॉफ हॉउस बाहरी रिंग रोड पर फ्लाईओवर – 4000.00 लाख रुपये – कार्य की धीमी गति के कारण।

(iii) उत्तर-दक्षिण कॉरिडोर – 200.00 लाख रुपये – कार्य की धीमी गति के कारण।

(iv) आधा फ्लाईओवर का निर्माण – 500.00 लाख रुपये – कार्य की धीमी गति के कारण।

(v) खजूरी चौक में अंडरपास का निर्माण – 2000.00 लाख रुपये – कार्य की धीमी गति के कारण।

(vi) आश्रम फ्लाईओवर का डीएनडी फ्लाईओवर तक विस्तार – 3000.00 लाख रुपये – कार्य की धीमी गति के कारण।

(vii) वजीराबाद, दिल्ली स्थित मौजूदा पुल पर यमुना नदी के नीचे की ओर पहुँचने के लिए पुल एवं पहुँच रोड का निर्माण – 300.00 लाख रुपये – कार्य की धीमी गति के कारण।

(viii) आनंद विहार आरओबी से अप्सरा बार्डर आरओबी दिल्ली के बीच सड़क संख्या 56 पर ग्रेड विभाजक/फ्लाईओवर का निर्माण – 500.00 लाख रुपये – कार्य की धीमी गति के कारण।

(ख) सड़क कार्य – (i) ढांसा रेगुलेटर से द्वारका मोड़ तक नाला संख्या 8 (नजफगढ़ नाला) के साथ चार लेन का निर्माण – 500.00 लाख रुपये – कार्य की धीमी गति के कारण।

(ii) ककरोला मोड़ से वजीराबाद के बीच नजफगढ़ नाले के ऊपर ऐलीवेटेड सड़क का निर्माण – 100.00 लाख रुपये – कार्य की धीमी गति के कारण।

(iii) बवाना से इंद्रलोक तक हरियाणा नहर के साथ नया सम्पर्क – 100.00 लाख रुपये – कार्य की धीमी गति के कारण।

(iv) वजीराबाद से डी.एन.डी. फ्लाईओवर तक रिंग रोड के साथ नया बाइपास रोड – 500.00 लाख रुपये – कार्य की धीमी गति के कारण।

(v) सबवे का निर्माण – 100.00 लाख रुपये – कार्य की धीमी गति के कारण।

(vi) पी.डब्ल्यू.डी. रोड का भूदृश्य निर्माण – 1000.00 लाख रुपये – कार्य की धीमी गति के कारण।

(ग) अन्य व्यय – (i) केन्द्रीय संचित निधि – 500.00 लाख रुपये – कार्य की धीमी गति के कारण।

(ii) एल.ई.डी.स्क्रीन के लिए प्रावधान – 1000.00 लाख रुपये – कार्य की धीमी गति के कारण।

(iii) वाई.फाई. दिल्ली – 15000.00 लाख रुपये – श्रमिकों के पलायन की वजह से कार्यों के निष्पादन में देरी होने, कर्मचारियों की कमी की वजह से ठेकेदारों/संस्थाओं द्वारा रनिंग खाता बिलों के जमा न कराने एवं कॉविड-19 महामारी की वजह से सरकार द्वारा लॉकडाउन के लागू करने की वजह से दफ्तरों के बंद रहने के कारण हुई।

5. **मुख्यशीर्ष "4801"** – बिजली परियोजनाओं पर पूँजी परिव्यय – प्रेषण एवं वितरण – अन्य व्यय – एच.टी. /एल.टी. बिजली वितरण तारों का स्थानांतरण – 1000.00 लाख रुपये – कार्य की धीमी गति के कारण।

6. **मुख्यशीर्ष "6801"** – विद्युत परियोजना के लिए ऋण – डीजल/गैस विद्युत उत्पादन – प्रगति पावर योजना-।।। बवाना को ऋण – 6500.00 लाख रुपये – प्रगति पावर योजना-।।। बवाना को ऋण जारी न करने के कारण।

बचत/अधिक व्यय मुख्यतः निम्नलिखित मुख्यशीर्षों के अन्तर्गत हुई :-

(लाख रुपयों में)

शहरी विकास विभाग

मुख्यशीर्ष "4217"

शहरी विकास पर पूँजी परिव्यय

मू.	269600.00)			
पु.	-57590.00)	212010.00	182318.59	-29691.41

मुख्यशीर्ष "6215"

जलापूर्ति एवं स्वच्छता के लिए ऋण

मू.	148840.00)			
पू.	1.00)			
पु.	-17626.00)	131215.00	131215.00	..

मुख्यशीर्ष "6217"

शहरी विकास के लिए ऋण

मू.	7000.00)			
पू.	-5000.00)	2000.00	2000.00	..

मुख्यशीर्ष "4055"

पुलिस पर पूंजी परिव्यय

मू.	530.00)			
पू.	-130.00)	400.00	313.43	-86.57

मुख्यशीर्ष "4059"

लोक निर्माण कार्यो पर पूंजी परिव्यय

मू.	32500.00)			
पू.	1001.00)			
पु.	-7901.00)	25600.00	16659.81	-8940.19

मुख्यशीर्ष "4070"

अन्य प्रशासनिक सेवाओं

पर पूंजीगत परिव्यय

मू.	3000.00)			
पू.	3.00)			
पु.	17797.00)	20800.00	18385.82	-2414.18

मुख्यशीर्ष "4202"

शिक्षा, खेलकूद, कला एवं

संस्कृति पर पूंजी परिव्यय

मू.	156733.00)			
पू.	5004.00)			
पु.	-31257.00)	130480.00	121236.77	-9243.23

मुख्यशीर्ष "4210"

चिकित्सा एवं जनस्वास्थ्य

पर पूंजी परिव्यय

मू.	74670.00)			
पू.	1.00)			
पु.	-45081.00)	29590.00	24944.45	-4645.55

मुख्यशीर्ष "4225"

अनु.जा. व अनु. जनजाति और पिछड़े

वर्गों के कल्याण पर पूंजी परिव्यय

मू.	550.00)			
पू.	-40.00)	510.00	356.47	-153.53

मुख्यशीर्ष "4235"सामाजिक सुरक्षा और
कल्याण पर पूंजी परिव्यय

मू.	4299.00)			
पु.	-1669.00)	2630.00	1508.93	-1121.07

मुख्यशीर्ष "4250"अन्य सामाजिक
सेवाओं पर पूंजी परिव्यय

मू.	12925.00)			
पु.	-11095.00)	1830.00	996.42	-833.58

मुख्यशीर्ष "5054"सड़कों एवं पुलों पर
पूंजी परिव्यय

मू.	189500.00)			
पू.	2.00)			
पु.	-100902.00)	88600.00	78306.41	-10293.59

मुख्यशीर्ष "5475"अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं
पर पूंजी परिव्यय

मू.	610.00)			
पु.	-560.00)	50.00	16	-49.84

ऊर्जा विभाग**मुख्यशीर्ष "4801"**

ऊर्जा परियोजनाओं पर पूंजी परिव्यय

मू.	2599.00)			
पु.	-2199.00)	400.00	285.84	-114.16

मुख्यशीर्ष "4810"ऊर्जा के गैर परंपरागत
स्रोतों पर पूंजी परिव्यय

मू.	900.00)			
पु.	-800.00)	100.00	15.71	-84.29

1.00 करोड़ रुपये से अधिक की बचत निम्नलिखित उपशीर्षों के अन्तर्गत हुई :-

- मुख्यशीर्ष "4217"**— शहरी विकास पर पूंजी परिव्यय — अन्य शहरी विकास योजनाएं — (क) भूमि — (i) अनाधिकृत कालोनियों का विकास — 9617.02 लाख रुपये की बचत (99500.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य की धीमी गति एवं कॉविड-19 महामारी की वजह से लॉकडाउन लागू होने से कार्यों की माप न हो सकने के कारण ठेकेदारों द्वारा बिलों के जमा न करने के कारण हुई।

(ii) यमुना पार क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों का निष्पादन — 5568.52 लाख रुपये की बचत (10000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य की धीमी गति एवं यमुना पार क्षेत्र में विकास कार्य के लिए तत्काल आवश्यकता को पूरा करने के लिए निधि को संचित रखने के कारण हुई।

(ख) निर्माण – (i) प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में सड़कों गलियों, इलाकों, गलियों की बत्ती इत्यादी ढाँचों का सुदृढीकरण एवं संवर्धन – 25033.74 लाख रुपये की बचत (70000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य की धीमी गति एवं विधायकों के विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्य के लिए तत्काल आवश्यकता को पूरा करने के लिए निधि को संचित रखने के कारण हुई।

(ii) मुख्यमंत्री सड़क पुनरुत्थान योजना – 43419.49 लाख रुपये की बचत (80000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य की धीमी गति एवं कार्य के पूरा न होने की वजह से राशि जारी करने के प्रस्ताव का अनुरोध प्राप्त न होने के कारण हुई।

(ग) अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना – प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में सड़कों गलियों, इलाकों, गलियों की बत्ती इत्यादी ढाँचों का सुदृढीकरण एवं संवर्धन – 3542.64 लाख रुपये की बचत (10000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः विधायकों के विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्य के लिए तत्काल आवश्यकता को पूरा करने के लिए निधि को संचित रखने के कारण हुई।

2. **मुख्यशीर्ष "6215"**— जलापूर्ति एवं सफाई के लिए ऋण – (अ) जलापूर्ति – स्थानीय निकायों, नगरपालिकाओं इत्यादि को ऋण – (i) पुरानी वितरण प्रणाली और ट्रंक संचरण के प्रतिस्थापन के लिए दिल्ली जल बोर्ड को ऋण – 4000.00 लाख रुपये की बचत (20000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम ऋण जारी करने के कारण हुई।

(ii) मौजूदा जल कार्यों के सुधार के लिए दिल्ली जल बोर्ड को ऋण – 3000.00 लाख रुपये की बचत (12000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः मौजूदा जल कार्यों के सुधार के लिए दिल्ली जल बोर्ड को कम ऋण जारी करने के कारण हुई।

(iii) पैमाइश और रिसाव प्रबंधन के लिए दिल्ली जल बोर्ड के लिए ऋण – 2000.00 लाख रुपये की बचत (10000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम ऋण जारी करने के कारण हुई।

(iv) द्वारका में 50 एमजीडी जल शोधन संयंत्र के निर्माण के लिए दिल्ली जल बोर्ड को ऋण – 1250.00 लाख रुपये की बचत (5000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम ऋण जारी होने के कारण हुई।

(v) चंद्रावल जल शोधन संयंत्र – जेआईसीए के लिए दिल्ली जल बोर्ड को ऋण (केन्द्रीय अंश) – 4500.00 लाख रुपये की बचत (27000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम ऋण जारी होने के कारण हुई।

(vi) चंद्रावल जल शोधन संयंत्र के लिए दिल्ली जल बोर्ड को ऋण (राज्य अंश) – 1250.00 लाख रुपये की बचत (4050.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम ऋण जारी होने के कारण हुई।

(vii) दिल्ली जल बोर्ड वजीरावाद जल संयंत्र के लिये ऋण (केन्द्रीय अंश) – 500.00 लाख रुपये की बचत (1000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम ऋण जारी होने के कारण हुई।

(ब) मलव्ययन एवं स्वच्छता – स्थानीय निकायों, निगमपालिकाओं आदि को ऋण – (i) यमुना कार्य योजना – III के अर्न्तगत सीवर लाइन के पुनर्वास हेतु दि.ज.बोर्ड को ऋण (राज्य अंश) – 1050.00 लाख रुपये की बचत (2100.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम ऋण जारी होने के कारण हुई।

(ii) एस.टी.पी./एस.पी.एस. के लिए दिल्ली जल बोर्ड को ऋण – 3000.00 लाख रुपये की बचत (26000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम ऋण जारी होने के कारण हुई।

- 3 **मुख्यशीर्ष "6217"** – शहरी विकास के लिए ऋण – अन्य शहरी विकास योजनाएँ – अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना – (क) स्वस्थानी पुर्नवास योजना के लिए डी.यू.एस.आई.बी. को ऋण (एस.सी.एस.पी.) – 4900.00 लाख रुपये की बचत (5000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम ऋण जारी होने के कारण हुई।
- (ख) कमजोर वर्गों (जे.उन.उन.यू.आर.एम.) के लिए गृह निमाण के लिए डी.यू.एस.आई.बी. को ऋण (एस.सी.एस.पी.) – 100.00 लाख रुपये की बचत (500.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कम ऋण जारी होने के कारण हुई।
- 4 **मुख्यशीर्ष "4055"** – पुलिस पर पूँजी परिव्यय – दिल्ली पुलिस – दिल्ली अपराध विज्ञान प्रयोगशाला – 216.57 लाख रुपये की बचत (530.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य की धीमी गति एवं श्रमिकों के पलायन की वजह से कार्यों के निष्पादन में देरी होने, कर्मचारियों की कमी की वजह से ठेकेदारों/संस्थाओं द्वारा रनिंग खाता बिलों के जमा न कराने एवं कॉविड-19 महामारी की वजह से सरकार द्वारा लॉकडाउन के लागू करने की वजह से दफ्तरों के बंद रहने के कारण हुई।
- 5 **मुख्यशीर्ष "4059"** – लोक निर्माण पर पूँजी परिव्यय – (अ) कार्यालय भवन – (क) निर्माण – (i) न्यायालय भवन – 11248.19 लाख रुपये की बचत (18500.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः श्रमिकों के पलायन की वजह से कार्यों के निष्पादन में देरी होने, कर्मचारियों की कमी की वजह से ठेकेदारों/संस्थाओं द्वारा रनिंग खाता बिलों के जमा न कराने एवं कॉविड-19 महामारी की वजह से सरकार द्वारा लॉकडाउन के लागू करने की वजह से दफ्तरों के बंद रहने के कारण हुई।
- (ii) उपायुक्त कार्यालय – 1045.89 लाख रुपये की बचत (1500.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य की धीमी गति के कारण हुई।
- (iii) दिल्ली सरकार के भवनों/परिसरों में सरकारी विज्ञापन के लिए संरचना की स्थापना/निर्माण – 966.55 लाख रुपये की बचत (1000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः श्रमिकों के पलायन की वजह से कार्यों के निष्पादन में देरी होने, कर्मचारियों की कमी की वजह से ठेकेदारों/संस्थाओं द्वारा रनिंग खाता बिलों के जमा न कराने एवं कॉविड-19 महामारी की वजह से सरकार द्वारा लॉकडाउन के लागू करने की वजह से दफ्तरों के बंद रहने के कारण हुई।
- (ख) मशीनरी व उपकरण – सभी जेलों में सीसीटीवी निगरानी प्रणाली की स्थापना/ओएण्डएम – 2117.32 लाख रुपये की बचत (7500.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः श्रमिकों के पलायन की वजह से कार्यों के निष्पादन में देरी होने, कर्मचारियों की कमी की वजह से ठेकेदारों/संस्थाओं द्वारा रनिंग खाता बिलों के जमा न कराने एवं कॉविड-19 महामारी की वजह से सरकार द्वारा लॉकडाउन के लागू करने की वजह से दफ्तरों के बंद रहने के कारण हुई।
- (ब) अन्य भवन – निर्माण – न्याय प्रशासन – न्याय पालिका के लिए आधारभूत सुविधाएँ (सी.एस.एस) – 463.24 लाख रुपये की बचत (4001.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः श्रमिकों के पलायन की वजह से कार्यों के निष्पादन में देरी होने, कर्मचारियों की कमी की वजह से ठेकेदारों/संस्थाओं द्वारा रनिंग खाता बिलों के जमा न कराने एवं कॉविड-19 महामारी की वजह से सरकार द्वारा लॉकडाउन के लागू करने की वजह से दफ्तरों के बंद रहने के कारण हुई।
- 6 **मुख्यशीर्ष "4202"** – शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति पर पूँजी परिव्यय – (अ) सामान्य शिक्षा – (क) विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा – सरकारी कॉलेजों/विश्वविद्यालयों की मूलढाँचा परियोजनाएँ – 13930.95 लाख रुपये की बचत (15000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य की धीमी गति के कारण हुई।

(ख) सामान्य – सरकारी स्कूलों में सीसीटीवी कैमरों की स्थापना – 29830.48 लाख रुपये की बचत (40000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः श्रमिकों के पलायन की वजह से कार्यों के निष्पादन में देरी होने, कर्मचारियों की कमी की वजह से ठेकेदारों/संस्थाओं द्वारा रनिंग खाता बिलों के जमा न कराने एवं कॉविड-19 महामारी की वजह से सरकार द्वारा लॉकडाउन के लागू करने की वजह से दफ्तरों के बंद रहने के कारण हुई।

(ग) अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना – (i) विद्यालयों के लिए भवनों का निर्माण (एससीएसपी) – 280.30 लाख रुपये की बचत (2001.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः श्रमिकों के पलायन की वजह से कार्यों के निष्पादन में देरी होने, कर्मचारियों की कमी की वजह से ठेकेदारों/संस्थाओं द्वारा रनिंग खाता बिलों के जमा न कराने एवं कॉविड-19 महामारी की वजह से सरकार द्वारा लॉकडाउन के लागू करने की वजह से दफ्तरों के बंद रहने के कारण हुई।

(ii) मौजूदा स्कूल बिल्डिंग में अतिरिक्त कक्षा के लिए कमरों का निर्माण (एस.सी.एस.पी) – 634.90 लाख रुपये की बचत (1500.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः श्रमिकों के पलायन की वजह से कार्यों के निष्पादन में देरी होने, कर्मचारियों की कमी की वजह से ठेकेदारों/संस्थाओं द्वारा रनिंग खाता बिलों के जमा न कराने एवं कॉविड-19 महामारी की वजह से सरकार द्वारा लॉकडाउन के लागू करने की वजह से दफ्तरों के बंद रहने के कारण हुई।

(घ) अन्य व्यय – अतिरिक्त सुविधायें/शिक्षा विभाग के वर्तमान भवनों का पुनरुद्धार – 1405.75 लाख रुपये की बचत (3000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः श्रमिकों के पलायन की वजह से कार्यों के निष्पादन में देरी होने, कर्मचारियों की कमी की वजह से ठेकेदारों/संस्थाओं द्वारा रनिंग खाता बिलों के जमा न कराने एवं कॉविड-19 महामारी की वजह से सरकार द्वारा लॉकडाउन के लागू करने की वजह से दफ्तरों के बंद रहने के कारण हुई।

(ब) तकनीकी शिक्षा – (क) पॉलिटेक्निक – भवन – 8411.40 लाख रुपये की बचत (9000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः श्रमिकों के पलायन की वजह से कार्यों के निष्पादन में देरी होने, कर्मचारियों की कमी की वजह से ठेकेदारों/संस्थाओं द्वारा रनिंग खाता बिलों के जमा न कराने एवं कॉविड-19 महामारी की वजह से सरकार द्वारा लॉकडाउन के लागू करने की वजह से दफ्तरों के बंद रहने के कारण हुई।

(ख) इंजीनियरिंग/तकनीकी शिक्षा महाविद्यालय एवं संस्थान – जी.बी.पंत इंजीनियरिंग कॉलेज – 195.59 लाख रुपये की बचत (323.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः श्रमिकों के पलायन की वजह से कार्यों के निष्पादन में देरी होने, कर्मचारियों की कमी की वजह से ठेकेदारों/संस्थाओं द्वारा रनिंग खाता बिलों के जमा न कराने एवं कॉविड-19 महामारी की वजह से सरकार द्वारा लॉकडाउन के लागू करने की वजह से दफ्तरों के बंद रहने के कारण हुई।

(स) खेल, युवा सेवाएं, खेल स्टेडियम – अन्य व्यय – (i) एन.सी.सी. के लिए भवन का निर्माण – 122.41 लाख रुपये की बचत (265.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः श्रमिकों के पलायन की वजह से कार्यों के निष्पादन में देरी होने, कर्मचारियों की कमी की वजह से ठेकेदारों/संस्थाओं द्वारा रनिंग खाता बिलों के जमा न कराने एवं कॉविड-19 महामारी की वजह से सरकार द्वारा लॉकडाउन के लागू करने की वजह से दफ्तरों के बंद रहने के कारण हुई।

(ii) खेल के मैदान, खेल परिसर, तरणताल आदि का विकास – 1709.07 लाख रुपये की बचत (5000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः श्रमिकों के पलायन की वजह से कार्यों के निष्पादन में देरी होने, कर्मचारियों की कमी की वजह से ठेकेदारों/संस्थाओं द्वारा रनिंग खाता बिलों के जमा न कराने एवं कॉविड-19 महामारी की वजह से सरकार द्वारा लॉकडाउन के लागू करने की वजह से दफ्तरों के बंद रहने के कारण हुई।

(द) कला एवं संस्कृति – अभिलेख – अभिलेख विभाग – 231.15 लाख रुपये की बचत (300.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः श्रमिकों के पलायन की वजह से कार्यों के निष्पादन में देरी होने, कर्मचारियों की कमी की वजह से ठेकेदारों/संस्थाओं द्वारा रनिंग खाता बिलों के जमा न कराने एवं कॉविड-19 महामारी की वजह से सरकार द्वारा लॉकडाउन के लागू करने की वजह से दफ्तरों के बंद रहने के कारण हुई।

7. **मुख्यशीर्ष "4210"** – चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य पर पूँजी परिव्यय – (अ) शहरी स्वास्थ्य योजनाएं – अस्पताल एवं औषधालय – (i) भवन – अस्पतालों के लिए भवनों का निर्माण – 7014.10 लाख रुपये की बचत (19000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः श्रमिकों के पलायन की वजह से कार्यों के निष्पादन में देरी होने, कर्मचारियों की कमी की वजह से ठेकेदारों/संस्थाओं द्वारा रनिंग खाता बिलों के जमा न कराने एवं कॉविड-19 महामारी की वजह से सरकार द्वारा लॉकडाउन के लागू करने की वजह से दफ्तरों के बंद रहने के कारण हुई।

(ii) मौजूदा अस्पतालों का पुर्नगठन – 35628.15 लाख रुपये की बचत (40000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः श्रमिकों के पलायन की वजह से कार्यों के निष्पादन में देरी होने, कर्मचारियों की कमी की वजह से ठेकेदारों/संस्थाओं द्वारा रनिंग खाता बिलों के जमा न कराने एवं कॉविड-19 महामारी की वजह से सरकार द्वारा लॉकडाउन के लागू करने की वजह से दफ्तरों के बंद रहने के कारण हुई।

(iii) औषधालयों के मौजूदा भवनों का उन्नयन – 5297.73 लाख रुपये की बचत (9000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः श्रमिकों के पलायन की वजह से कार्यों के निष्पादन में देरी होने, कर्मचारियों की कमी की वजह से ठेकेदारों/संस्थाओं द्वारा रनिंग खाता बिलों के जमा न कराने एवं कॉविड-19 महामारी की वजह से सरकार द्वारा लॉकडाउन के लागू करने की वजह से दफ्तरों के बंद रहने के कारण हुई।

(ब) सार्वजनिक स्वास्थ्य – रोगों का रोकथाम एवम नियंत्रण – लोक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण – 1819.73 लाख रुपये की बचत (6501.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः श्रमिकों के पलायन की वजह से कार्यों के निष्पादन में देरी होने, कर्मचारियों की कमी की वजह से ठेकेदारों/संस्थाओं द्वारा रनिंग खाता बिलों के जमा न कराने एवं कॉविड-19 महामारी की वजह से सरकार द्वारा लॉकडाउन के लागू करने की वजह से दफ्तरों के बंद रहने के कारण हुई।

8. **मुख्यशीर्ष "4225"** – अनु.जा./अनु. जनजाति और पिछड़े वर्गों के कल्याण हेतु पूँजी परिव्यय – अनुसूचित जाति का कल्याण – अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना – अनु.जा./अनु.जनजाति और अनाथों के लिए के.आई.एस.एस. सोसाइटी के सहयोग से गांव ईसापुर में आवासीय विद्यालय का निर्माण (एस.सी. एस.पी) – 109.96 लाख रुपये की बचत (200.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः श्रमिकों के पलायन की वजह से कार्यों के निष्पादन में देरी होने, कर्मचारियों की कमी की वजह से ठेकेदारों/संस्थाओं द्वारा रनिंग खाता बिलों के जमा न कराने एवं कॉविड-19 महामारी की वजह से सरकार द्वारा लॉकडाउन के लागू करने की वजह से दफ्तरों के बंद रहने के कारण हुई।

9. **मुख्यशीर्ष "4235"**— सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूंजी परिव्यय — समाज कल्याण — (क) बाल कल्याण — किशोर न्याय अधिनियम, 2000 का कार्यान्वयन — 432.25 लाख रुपये की बचत (470.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः श्रमिकों के पलायन की वजह से कार्यों के निष्पादन में देरी होने, कर्मचारियों की कमी की वजह से ठेकेदारों/संस्थाओं द्वारा रनिंग खाता बिलों के जमा न कराने एवं कॉविड-19 महामारी की वजह से सरकार द्वारा लॉकडाउन के लागू करने की वजह से दफ्तरों के बंद रहने के कारण हुई।
- (ख) वृद्धों, अपंगों एवं निस्सहायों का कल्याण — वृद्धावस्था गृह — 533.14 लाख रुपये की बचत (1000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः श्रमिकों के पलायन की वजह से कार्यों के निष्पादन में देरी होने, कर्मचारियों की कमी की वजह से ठेकेदारों/संस्थाओं द्वारा रनिंग खाता बिलों के जमा न कराने एवं कॉविड-19 महामारी की वजह से सरकार द्वारा लॉकडाउन के लागू करने की वजह से दफ्तरों के बंद रहने के कारण हुई।
- (ग) अन्य व्यय — वर्तमान भवनों में अतिरिक्त सुविधाओं का प्रावधान (पी.डब्ल्यू.डी.) — 499.60 लाख रुपये की बचत (979.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः श्रमिकों के पलायन की वजह से कार्यों के निष्पादन में देरी होने, कर्मचारियों की कमी की वजह से ठेकेदारों/संस्थाओं द्वारा रनिंग खाता बिलों के जमा न कराने एवं कॉविड-19 महामारी की वजह से सरकार द्वारा लॉकडाउन के लागू करने की वजह से दफ्तरों के बंद रहने के कारण हुई।
10. **मुख्यशीर्ष "4250"**— अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय — रोजगार — (i) आई.टी.आई. का निर्माण — 2103.44 लाख रुपये की बचत (2800.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः श्रमिकों के पलायन की वजह से कार्यों के निष्पादन में देरी होने, कर्मचारियों की कमी की वजह से ठेकेदारों/संस्थाओं द्वारा रनिंग खाता बिलों के जमा न कराने एवं कॉविड-19 महामारी की वजह से सरकार द्वारा लॉकडाउन के लागू करने की वजह से दफ्तरों के बंद रहने के कारण हुई।
- (ii) विश्व स्तरीय कौशल केन्द्र का निर्माण — 9706.10 लाख रुपये की बचत (10000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः श्रमिकों के पलायन की वजह से कार्यों के निष्पादन में देरी होने, कर्मचारियों की कमी की वजह से ठेकेदारों/संस्थाओं द्वारा रनिंग खाता बिलों के जमा न कराने एवं कॉविड-19 महामारी की वजह से सरकार द्वारा लॉकडाउन के लागू करने की वजह से दफ्तरों के बंद रहने के कारण हुई।
11. **मुख्यशीर्ष "5054"**— सड़कों एवं पुलों पर पूंजी परिव्यय — जिला एवं अन्य सड़कें — (क) पुल — (i) आश्रम चौक पर अंडरपास का निर्माण — 4640.38 लाख रुपये की बचत (5000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः श्रमिकों के पलायन की वजह से कार्यों के निष्पादन में देरी होने, कर्मचारियों की कमी की वजह से ठेकेदारों/संस्थाओं द्वारा रनिंग खाता बिलों के जमा न कराने एवं कॉविड-19 महामारी की वजह से सरकार द्वारा लॉकडाउन के लागू करने की वजह से दफ्तरों के बंद रहने के कारण हुई।
- (ii) पूर्व-पश्चिम कॉरिडोर — 197.74 लाख रुपये की बचत (200.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य की धीमी गति होने के कारण हुई।
- (iii) बारापुला नाला, फेस 3 के ऐलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण — 8246.29 लाख रुपये की बचत (13000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः श्रमिकों के पलायन की वजह से कार्यों के निष्पादन में देरी होने, कर्मचारियों की कमी की वजह से ठेकेदारों/संस्थाओं द्वारा रनिंग खाता बिलों के जमा न कराने एवं कॉविड-19 महामारी की वजह से सरकार द्वारा लॉकडाउन के लागू करने की वजह से दफ्तरों के बंद रहने के कारण हुई।

(iv) आई.आई.टी से राष्ट्रीय राजमार्ग 8, पार्ट-ए और पार्ट-बी के लिए बाहरी रिंग रोड के कॉरिडोर में सुधार – 5512.79 लाख रुपये की बचत (9000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः श्रमिकों के पलायन की वजह से कार्यों के निष्पादन में देरी होने, कर्मचारियों की कमी की वजह से ठेकेदारों/संस्थाओं द्वारा रनिंग खाता बिलों के जमा न कराने एवं कॉविड-19 महामारी की वजह से सरकार द्वारा लॉकडाउन के लागू करने की वजह से दफ्तरों के बंद रहने के कारण हुई।

(v) गोपालपुर रेड लाइट, ओ.आर.आर.-जगतपुर ब्रिज पर आधे अंडरपास का निर्माण – 2525.85 लाख रुपये की बचत (3000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य की धीमी गति के कारण हुई।

(vi) बसई दारापुर में नजफगढ़ नाले पर पूरी पंक्ति को ढकने के लिए पुल का चौड़ीकरण – 320.10 लाख रुपये की बचत (2000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः श्रमिकों के पलायन की वजह से कार्यों के निष्पादन में देरी होने, कर्मचारियों की कमी की वजह से ठेकेदारों/संस्थाओं द्वारा रनिंग खाता बिलों के जमा न कराने एवं कॉविड-19 महामारी की वजह से सरकार द्वारा लॉकडाउन के लागू करने की वजह से दफ्तरों के बंद रहने के कारण हुई।

(vii) रामपुरा, त्रिनगर/इंद्रलोक और करमपुरा, दिल्ली में राष्ट्रीय राजमार्ग-10 पर पुलों का चौड़ीकरण – 3011.36 लाख रुपये की बचत (4000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य की धीमी गति के कारण हुई।

(viii) पुलों और फ्लाईओवरों की मरम्मत एवं पुनर्वास – 495.32 लाख रुपये की बचत (1500.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः श्रमिकों के पलायन की वजह से कार्यों के निष्पादन में देरी होने, कर्मचारियों की कमी की वजह से ठेकेदारों/संस्थाओं द्वारा रनिंग खाता बिलों के जमा न कराने एवं कॉविड-19 महामारी की वजह से सरकार द्वारा लॉकडाउन के लागू करने की वजह से दफ्तरों के बंद रहने के कारण हुई।

(ix) इंटीग्रेटेड कॉरिडोर (i) डीएनडी चौराहे से भैरों मार्ग जंक्शन तक रिंग रोड (ii) मोदी मिल फ्लाईओवर से आईआईटी गेट तक रिंग रोड – 986.07 लाख रुपये की बचत (1000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य की धीमी गति के कारण हुई।

(ख) सड़क कार्य – (i) पी.डब्ल्यू.डी. की सड़कों (राष्ट्रीय राजमार्ग) के सुदृढ़ीकरण/पुर्ननिर्माण/सूक्ष्म निर्माण – 450.18 लाख रुपये की बचत (800.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः श्रमिकों के पलायन की वजह से कार्यों के निष्पादन में देरी होने, कर्मचारियों की कमी की वजह से ठेकेदारों/संस्थाओं द्वारा रनिंग खाता बिलों के जमा न कराने एवं कॉविड-19 महामारी की वजह से सरकार द्वारा लॉकडाउन के लागू करने की वजह से दफ्तरों के बंद रहने के कारण हुई।

(ii) पी.डब्ल्यू.डी. की सड़कों (आर.आर./ओ.आर.आर.) के सुदृढ़ीकरण/पुर्ननिर्माण/सूक्ष्म निर्माण – 3940.80 लाख रुपये की बचत (6000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः श्रमिकों के पलायन की वजह से कार्यों के निष्पादन में देरी होने, कर्मचारियों की कमी की वजह से ठेकेदारों/संस्थाओं द्वारा रनिंग खाता बिलों के जमा न कराने एवं कॉविड-19 महामारी की वजह से सरकार द्वारा लॉकडाउन के लागू करने की वजह से दफ्तरों के बंद रहने के कारण हुई।

(iii) पी.डब्ल्यू.डी. की सड़कों (रोहिणीय सड़कों) का सुदृढीकरण/पुर्ननिर्माण/सूक्ष्म निर्माण – 3148.46 लाख रुपये की बचत (10000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः श्रमिकों के पलायन की वजह से कार्यों के निष्पादन में देरी होने, कर्मचारियों की कमी की वजह से ठेकेदारों/संस्थाओं द्वारा रनिंग खाता बिलों के जमा न कराने एवं कॉविड-19 महामारी की वजह से सरकार द्वारा लॉकडाउन के लागू करने की वजह से दपतरों के बंद रहने के कारण हुई।

(iv) पी.डब्ल्यू.डी. की सड़कों (आर.ओ.डब्ल्यू 30 के कम वाली सड़कों) का सुदृढीकरण/पुर्ननिर्माण/सूक्ष्म निर्माण – 4787.23 लाख रुपये की बचत (15000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः श्रमिकों के पलायन की वजह से कार्यों के निष्पादन में देरी होने, कर्मचारियों की कमी की वजह से ठेकेदारों/संस्थाओं द्वारा रनिंग खाता बिलों के जमा न कराने एवं कॉविड-19 महामारी की वजह से सरकार द्वारा लॉकडाउन के लागू करने की वजह से दपतरों के बंद रहने के कारण हुई।

(ग) अन्य व्यय – (i) जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन – 611.64 लाख रुपये की बचत (1000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः श्रमिकों के पलायन की वजह से कार्यों के निष्पादन में देरी होने, कर्मचारियों की कमी की वजह से ठेकेदारों/संस्थाओं द्वारा रनिंग खाता बिलों के जमा न कराने एवं कॉविड-19 महामारी की वजह से सरकार द्वारा लॉकडाउन के लागू करने की वजह से दपतरों के बंद रहने के कारण हुई।

(ii) लो.नि.वि.की सड़कों की स्ट्रीट स्केपिंग – 9034.73 लाख रुपये की बचत (10000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः श्रमिकों के पलायन की वजह से कार्यों के निष्पादन में देरी होने, कर्मचारियों की कमी की वजह से ठेकेदारों/संस्थाओं द्वारा रनिंग खाता बिलों के जमा न कराने एवं कॉविड-19 महामारी की वजह से सरकार द्वारा लॉकडाउन के लागू करने की वजह से दपतरों के बंद रहने के कारण हुई।

(iii) सी.सी.टी.वी. कैमरो की स्थापना – 35844.32 लाख रुपये की बचत (50000.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः श्रमिकों के पलायन की वजह से कार्यों के निष्पादन में देरी होने, कर्मचारियों की कमी की वजह से ठेकेदारों/संस्थाओं द्वारा रनिंग खाता बिलों के जमा न कराने एवं कॉविड-19 महामारी की वजह से सरकार द्वारा लॉकडाउन के लागू करने की वजह से दपतरों के बंद रहने के कारण हुई।।

(iv) अंधेरे स्थानों पर स्ट्रीट लाईट लगाना – 238.27 लाख रुपये की बचत (240.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः श्रमिकों के पलायन की वजह से कार्यों के निष्पादन में देरी होने, कर्मचारियों की कमी की वजह से ठेकेदारों/संस्थाओं द्वारा रनिंग खाता बिलों के जमा न कराने एवं कॉविड-19 महामारी की वजह से सरकार द्वारा लॉकडाउन के लागू करने की वजह से दपतरों के बंद रहने के कारण हुई।

12. **मुख्यशीर्ष "5475"**– अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूँजी परिव्यय – अन्य व्यय – नाप व तोल विभाग के लिए भवन का निर्माण – 609.84 लाख रुपये की बचत (610.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य की धीमी गति के कारण हुई।

13. **मुख्यशीर्ष "4801"**– बिजली परियोजनाओं पर पूँजी परिव्यय – प्रेषण एवं वितरण – अन्य व्यय – भूमि की खरीद – 1214.16 लाख रुपये की बचत (1500.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य की धीमी गति एवं भूमि की कम खरीद होने के कारण हुई।

14. **मुख्यशीर्ष "4810"**— ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों पर पूंजी परिव्यय — सौर — नवीकरणीय ऊर्जा — 884.29 लाख रुपये की बचत (900.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः मशीनरी व उपकरणों की कम खरीद होने एवं आई.पी.जी.सी.एल. से बवाना में एस.पी.वी. प्लांट के चालू होने की अधिसूचना प्राप्त न होने के कारण हुई।

इसके अतिरिक्त, 377.75 लाख रुपये की बचत पांच उपशीर्षों के अन्तर्गत थी जो कि 50.00 लाख रुपये से अधिक परन्तु 1.00 करोड़ रुपये से कम थी।

उपरोक्त बचतें, निम्नलिखित उपशीर्षों के अंतर्गत हुए अधिक व्यय से अंशतः प्रति सन्तुलित की गई :-

- 1 **मुख्यशीर्ष "6215"** — जल आपूर्ति एवं सफाई के लिये ऋण — जलापूर्ति — स्थानीय निकायों, निगमों इत्यादि को ऋण — वितरण के स्रोतों और जलाशयों के लिए दिल्ली जल बोर्ड के लिए ऋण — 2999.00 लाख रुपये का अधिक व्यय (9501.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः दिल्ली जल बोर्ड को स्रोतों और जलाशयों के वितरण के लिए अधिक ऋण जारी करने के कारण हुआ।

- 2 **मुख्यशीर्ष "4070"** — अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय — अन्य व्यय —(i) दिल्ली अग्नि शमन सेवाएं — 1927.20 लाख रुपये का अधिक व्यय (1002.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 2.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः कार्य की अच्छी गति के कारण हुआ।

(ii) केन्द्रीय कारागार भवन — 13455.62 लाख रुपये का अधिक व्यय (2001.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः कार्य की अच्छी गति के कारण हुआ।

3. **मुख्यशीर्ष "4202"** — शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति पर पूंजी परिव्यय — सामान्य शिक्षा — (क) माध्यमिक शिक्षा — (i) माध्यमिक स्कूलों के लिए भवनों का निर्माण — 2872.44 लाख रुपये का अधिक व्यय (10001.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः कार्य की अच्छी गति के कारण हुआ।

(ii) मौजूदा स्कूल भवनों में अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण — 12005.87 लाख रुपये का अधिक व्यय (60001.50 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.50 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः कार्य की अच्छी गति के कारण हुआ।

(ख) अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना — मौजूदा स्कूल भवनों में अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण (एस.सी.एस.पी) — 1522.99 लाख रुपये का अधिक व्यय (15000.50 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 5000.50 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः कार्य की अच्छी गति के कारण हुआ।

4. **मुख्यशीर्ष "5054"**— सड़कों एवं पुलों पर पूंजी परिव्यय — जिला एवं अन्य सड़कें — (क) पुल — (i) शास्त्री पार्क एवं सीलमपुर चौराहों पर फ्लाईओवरों का निर्माण — 9301.88 लाख रुपये का अधिक व्यय (10001.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः कार्य की अच्छी गति होने के कारण हुआ।

(ii) फुट ओवर ब्रिज का निर्माण — 523.93 लाख रुपये का अधिक व्यय (2940.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः कार्य की अच्छी गति के कारण हुआ।

(ख) अन्य व्यय — सड़कों व पुलों का निर्माण — 471.70 लाख रुपये का अधिक व्यय (5211.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान एवं 1.00 लाख रुपये के पूरक प्रावधान सहित, की तुलना में) मुख्यतः कार्य की अच्छी गति के कारण हुआ।

अनुदान संख्या 12 – सरकारी कर्मचारियों को ऋण ;सभी स्वीकृत

	कुल अनुदान या विनियोजन	वास्तविक व्यय	बचत (-) अधिक व्यय (+)
			(हजार रूपयों में)
पूँजीगत			
स्वीकृत –	1,50,00	55,08	—94,92
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			—22,00

टीका एवं टिप्पणियां

अनुदान के पूँजीगत भाग के स्वीकृत अंश में 94.92 लाख रुपये की (150.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कुल बचत थी जोकि सम्पूर्ण स्वीकृत प्रावधान का 63.28 प्रतिशत थी।

इसके अतिरिक्त, 87.42 लाख रुपये की बचत एक उपशीर्ष के अन्तर्गत थी जो कि 50.00 लाख रुपये से अधिक परन्तु 1.00 करोड़ रुपये से कम थी ।

अनुदान संख्या 13 – पेंशन

	कुल अनुदान या विनियोजन	वास्तविक व्यय	बचत (-) अधिक व्यय (+)
			(हजार रूपयों में)
राजस्व			
स्वीकृत –	125,00,00	2,52,98	–122,47,02
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			–122,25,00

टीका एवं टिप्पणियां

अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में 12247.02 लाख रुपये (12500.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) की कुल बचत थी जोकि सम्पूर्ण स्वीकृत प्रावधान का 97.97 प्रतिशत थी ।

12200.00 लाख रुपये की राशि एक उपशीर्ष के अंतर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रही। इसमें निम्नलिखित उपशीर्ष शामिल है:-

1. **मुख्यशीर्ष "2071"** – पेंशन एवं अन्य सेवानिवृति लाभ – नागरिक – परिभाषित अंश दान पेंशन योजना में सरकारी अंश – सरकारी अंशदान – 12200.00 लाख रुपये – भारत सरकार के साथ मामले के लंबित होने के कारण ।

अनुदान संख्या 14 – आकस्मिक निधि के अर्न्तगत विनियोजन

	कुल अनुदान या विनियोजन	वास्तविक व्यय	बचत (-) अधिक व्यय (+)
			(हजार रुपयों में)
पूँजीगत			
स्वीकृत –			
पूरक	..	..	..
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			कुछ नहीं

टीका एवं टिप्पणियां

अनुदान के पूँजीगत भाग के स्वीकृत अंश में वित्त वर्ष 2019–20 में कोई बजट प्रावधान नहीं रखा गया।

अनुदान संख्या 15 – सार्वजनिक ऋण (सभी प्रभारित)

कुल अनुदान या विनियोजन	वास्तविक व्यय	बचत (-) अधिक व्यय (+)
(हजार रुपयों में)		

राजस्व

प्रभारित – 3178,27,00 2751,87,09 -426,39,91

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि -426,39,00

पूंजीगत

प्रभारित – 3331,10,00 2811,10,12 -519,99,88

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि -519,99,00

टीका एवं टिप्पणियां

अनुदान के राजस्व भाग के प्रभारित अंश में 42639.91 लाख रुपये की (317827.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कुल बचत थी जो कि सम्पूर्ण स्वीकृत विनियोजन का 13.41 प्रतिशत थी ।

बचत/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्यशीर्ष के अन्तर्गत हुई :-

(लाख रुपयों में)

सार्वजनिक ऋण

मुख्यशीर्ष "2049"

ब्याज का भुगतान

मू.	3178,27,00)			
पु.	-426,39,00)	2751,88,00	2751,87,09	-91

1.00 करोड़ रुपये से अधिक की बचत मुख्यतः निम्नलिखित उपशीर्ष के अन्तर्गत हुई :-

- मुख्यशीर्ष "2049" –** ब्याज का भुगतान – केन्द्र सरकार से प्राप्त ऋण तथा अग्रिम पर ब्याज – राज्य/संघ क्षेत्र की प्लान योजनाओं के लिए ऋण पर ब्याज – 42639.91 लाख रुपये की बचत (317827.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः ब्याज की कम देयता के कारण हुई ।

अनुदान के पूंजीगत भाग के प्रभारित अंश में 51999.88 लाख रुपये की (333110.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कुल बचत थी जो कि सम्पूर्ण स्वीकृत विनियोजन का 15.61 प्रतिशत थी ।

बचत/अधिक व्यय मुख्यतः निम्नलिखित मुख्यशीर्ष के अन्तर्गत हुई :-

(लाख रुपयों में)

सार्वजनिक ऋण

मुख्यशीर्ष "6004"

केन्द्रीय सरकार से ऋण व अग्रिम

मू.	<u>3331,10,00)</u>			
पु.	<u>-519,99,00)</u>	<u>2811,11,00</u>	<u>2811,10,12</u>	<u>-88</u>

1.00 करोड़ रुपये से अधिक की बचत निम्नलिखित उपशीर्ष के अन्तर्गत हुई :-

1. **मुख्यशीर्ष "6004"**— केन्द्रीय सरकार से ऋण व अग्रिम — गैर-योजना ऋण — लघु बचत योजना का अंश — 51999.88 लाख रुपये की बचत (333110.00 लाख रुपये के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्यतः ऋण देयताओं के कम भुगतान के कारण हुई।

2019-2020 की वसूलियों का विवरण

अनुदान की संख्या तथा नाम		बजट अनुमान		वास्तविक वसूलियां		बचत (-)/अधिक (+)	
		राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
(हजार रूपयों में)							
1—विधान सभा	स्वीकृत	0	0	5	0	5	0
2—सामान्य प्रशासन	स्वीकृत	0	0	4042	0	4042	0
3—न्याय प्रशासन	प्रभारित	0	0	671	0	671	0
	स्वीकृत	0	0	2475	0	2475	0
4—वित्त	स्वीकृत	0	0	4531	0	4531	0
5—गृह	स्वीकृत	0	0	1087	696	1087	696
6—शिक्षा	स्वीकृत	0	0	35785	0	35785	0
7—चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	स्वीकृत	0	0	21234	16778	21234	16778
8—समाज कल्याण	स्वीकृत	0	0	38290	93922	38290	93922
9—उद्योग	स्वीकृत	0	0	2034	0	2034	0
10—विकास	स्वीकृत	0	0	7444	0	7444	0
11—शहरी विकास एवं लोक निर्माण विभाग	स्वीकृत	0	0	2876766	131974	2876766	131974
योग—	प्रभारित	0	0	671	0	671	0
	स्वीकृत	0	0	2993693	243370	2993693	243370